लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

Preservation Unit
16-1-89

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, गुरुवार, 25 जुलाई, 1968/3 श्रावण, 1890 (शक)
No. 4 Thurs day, July 25, 1968/ Sravana 3, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
91. छोटे समाचार पत्र	Small Newspapers	555—60
92. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक	Delhi State Co-operative Bank	560—62
94. कृषि ऋण के लिये रिज़र्व बैंक के नियम	Reserve Bank's Rules for Agricultural Credit	562—66
95. काँडला उर्वरक कारखाना	Kandla Fertilizer Plant .	566—68
96. दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	568-69
97. श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Ceylon.	570
98. उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Price of Fertilizers	570-71
99. सुर्रा रोग	Surra Disease . . .	572
100. समान व्यवहार संहिता	Uniform Civil Code	572
101. पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात	Import of Food grains under P.L 480	572-73
102. योजना आयोग के दल द्वारा आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों के सूख ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	Planning Commission Team's visit to Drought Affected Areas in Andhra Pradesh and other States . . .	573
103. उद्योगों में इंजीनियरों की नियुक्ति	Employment of Engineers in Industries	574
104. भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Provident Fund	574
105. केरल को आवंटित किये गये गेहूं का मूल्य	Price of Wheat Allotted to Kerala	575
106. पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति	Food situation in West Bengal	575

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

• प्र० संख्या

Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
107. कृषि विकास के लिये ऋण	Credit for Agricultural Development	576
108. हरियाना में कृषि फार्म	Agricultural farms in Haryana	576
109. नेवेली लिग्नाइट परियोजना में छंटनी	Retrenchment in Neyveli Lignite Project	576-77
110. बेरोजगारी	Unemployment	577
111. औद्योगिक कर्मचारियों को परिवार पेंशन	Family Pension to Industrial Workers	578
112. दण्डकारण्य परियोजना	Dandakaranya Project	578
113. पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव	Mid-term poll in West Bengal	578-79
114. कम मूल्य के टिकटों का न मिलना	Non-availability of stamps of lower denomination	579
115. खाद्यान्न की वसूली तथा संग्रह व्यवस्था	Procurement and Storage of Foodgrains	579-80
116. गोरक्षा सम्बन्धी समिति	Committee on Cow Protection	580
117. अनाज लाने और ले जाने पर से पाबन्दी का हटाया जाना	Removal of restrictions on movement of Foodgrains	580-81
118. निर्वाचन सम्बन्धी नियम	Electoral Rules	581-82
119. केरल में खाद्य आन्दोलन	Food agitation in Kerala	582
120. बिहार में गेहूं का मूल्य	Price of wheat in Bihar	582-83

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos:

757. मेहतरों की सेवा की शर्तें	Working Condition of scavengers	583
758. जाली मनीआर्डर	Bogus Money Orders	583-84
759. गन्ने के काश्त के अन्तर्गत भूमि	Area under Sugarcane Cultivation	584-85
760. खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains	585
761. कृषि मूल्य आयोग	Agricultural Prices Commission	585-86
762. कृषि मूल्य आयोग द्वारा मूल्यों का निर्धारण	Fixation of price by Agricultural Prices Commission	586
763. विदेशी तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees in Foreign Oil Companies	586

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
764.	ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन Public Call Offices in Rural Areas	587-88
765.	बेकार भूमि का वितरण Distribution of Waste Lands . .	588-89
766.	राज्यों के लिये उर्वरकों का नियतन Allotment of Fertilizers to States . .	589-90
767.	फार्मों के यंत्रीकरण पर व्यय Cost of Mechanisation of Farms . .	590-91
768.	कृषि उत्पादन में वृद्धि Increase in Agricultural Produce	591
769.	उर्वरकों की खपत Fertilizer Consumption . . .	591-93
770.	उड़ीसा और राजस्थान में कृषि उत्पादन Agricultural Production in Orissa and Rajasthan	593
771.	कामरूप जिले में अनाज की कमी Food Scarcity in Kamrup District . .	594
772.	पी० एल० 480 निधियां PL 480 Funds	594
773.	अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी फैडरेशन द्वारा हड़ताल का नोटिस Strike Notice by All India Newspapers Employees' Federation . .	594-95
774.	बर्मा और थाईलैंड से चावल की खरीद Purchase of Rice from Burma and Thailand	595
775.	खाद्यान्नों से लदे माल डिब्बों को रोकना Detention of Wagons Loaded with Foodgrains	595-96
776.	अनाज के मूल्यों में कमी Fall in Prices of Foodgrains . . .	596
777.	डाक तथा तार विभाग के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये खादी की वर्दी Khadi Uniform to Lower Grade Employees of Post and Telegraphs . . .	596-97
778.	पालघाट का विभागीय तार कार्यालय Palghat Departmental Telegraph Office .	597
779.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा सहकारी आन्दोलन के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन Chief Ministers' Conference on Community Development Programme and Cooperative movement . . .	597-98
780.	सहकारी समितियाँ Cooperative Societies . . .	598-99
781.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति Minimum wages Advisory Committee for Andaman and Nicobar Islands .	599
782.	रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी ढांचा Wage Structure for Railway Employees .	599

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृ ष्ठ/PAGES
783.	केरल में केन्द्रीय दुग्धशाला	Central Milk Dairy in Kerala	600
784.	केरल राज्य में रोजगार कार्यालय	Employment Exchange in Kerala State	600
785.	केरल मे नये डाकघर	New Post Offices in Kerala	600
786.	भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Provident Fund	601
787.	कृषि विकास निगम	Agricultural Development Corporation	601-602
788.	भविष्य निधि की बकाया राशि	Provident Fund arrears . . .	602
789.	भारतीय खाद्य नगम द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क	Demmurage paid by Food Corporation of India	603
790.	चीनी की बिक्री पर नियंत्रण	Control on Sale of Sugar	603
791.	खाद्यान्नों की क्षति	Damage to Foodgrains . . .	603-604
792.	मैसूर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कपास की नई किस्म का विकास	New Cotton Variety evolved at Mysore Agricultural University	604-605
793.	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi	605-606
794.	खाद्यान्न की वसूली का लक्ष्य	Procurement Target of Foodgrains	606-607
795.	चीन में गेहूं का चोरी छिपे ले जाया जाना	Wheat Smuggling into China	607
796.	ऐक्शन फार फूड प्रोडक्शन आरगेनाइजेशन	Action for Food Production Organisation	607-508
797.	विदेशी फर्मों को टिकटों की बिक्री	Sales of Stamps to Foreign Firms	608-609
798.	अनाज का रक्षित भण्डार	Buffer Stock of Foodgrains	609
799.	नेपाल में चोरी छिपे गुड़ ले जाया जाना	Smgguling of Gur into Nepal	609
800.	अलगाय से चावल के उत्पादन में वृद्धि	Rise in Rice Yield with Algae	609-10
801.	कार्मिक संघों की गतिविधियाँ	Trade Union Activities	610
802.	राष्ट्रीय श्रम आयोग	National Labour Commission	610-11
803.	चीनी पर से आंशिक रूप में नियंत्रण का हटाया जाना	Partial Decontrol of Sugar	611
804.	रानीगंज की एक कोयला खान में दुर्घटना	Accident in a Colliery in Raniganj	611-12
805.	आसाम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भूख से मौतें	Starvation Deaths in Assam, Orissa and Madhya Pradesh	612-13

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
806.	अधिक उपज वाले बीजों की किस्में	High Yielding Varieties of Seeds	614
807.	भारतीय खाद्य निगम के विवेन्द्रम स्थित जोनल मैनेजर के कार्यालय में अनियमितताएं	Irregularities in the Office of Zonal Manager of Food Corporation of India, Trivandrum	614-15
808.	कृत्रिम वर्षा	Artificial Rain	615
809.	दिल्ली में दूध की सप्लाई में सुधार	Improvement in Milk Supply in the Capital	615-16
810.	मुख्य चुनाव आयुक्त	Chief Election Commissioner	616
811.	पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to West Bengal	616-17
812.	पश्चिम बंगाल में फैक्टरियों का बन्द होना	Closure pf Factories in West Bengal	617-18
813.	बिजली उपक्रमों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Electricity Undertakings	618
814.	अन्दमान फौरेस्ट यूनियन और पी०डब्लू०डी० वर्कर्स यूनियन का हड़ताल नोटिस	Strike notice by Andaman Forest Union and PWD Workers' Union . .	618-19
815.	केन्द्रीय वन-विज्ञान बोर्ड	Central Board Forestry . . .	619
816.	शिष्टमंडलों को विदेश यात्रा	Delegations going abroad . .	619-20
817.	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट द्वारा गलत बिल बनाये जाना	Faulty billing by Delhi Telephone District	620
818.	पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threatened Strike by Cotton Textile Mill Workers in West Bengal . .	620
819.	दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका	Delhi Telephone Directory	621
820.	नई दिल्ली में श्रमिक विवाद	Labour Disputes in New Delhi	621
821.	उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव	Mid term Poll in U.P. and West Bengal	621-22
822.	मछली का उत्पादन	Fish Production	622
823.	पूसा इंस्टीट्यूट और रुद्रपुर विश्वविद्यालय में नये बीजों का विकास	Development of New Seeds in Pusa Institute and Rudrapur university . .	622-23
824.	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	624
825.	कुलियों का कल्याण	Welfare of Porters	624
826.	चावल की आधुनिक मिलें	Modern Rice Mills	624

तां० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
827.	कृषि उत्पादन के लिये अणु शक्ति — Atomic Energy for Agricultural Production	625
828.	उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां तथा बैंक — Cooperative Societies and Banks in U.P.	626
829.	खाद्यान्नों की खरीद के लिये मंडियां — Markets for purchase of Foodgrains	626
830.	अनाज के वितरण के बारे में शिकायत — Complaints against Distribution of Foodgrains	626-27
831.	पीलीभीत बस्तीकरण योजना — Pilibhit Colonisation Scheme	627
832.	ट्रैक्टरों का आयात — Import of Tractors	627-28
833.	खाद्यान्नों की वसूली — Procurement of Foodgrains	628
834.	गेहूं और चावल के अन्तर्गत भूमि — Area covered by Wheat and Rice	628-29
835.	बिहार तथा उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव — Mid term Elections in Bihar and U.P.	629-30
836.	पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड — Wage board for Journalists	630
837.	पंजाब और हरियाणा में रेलवे द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई — Transport by Rail of Foodgrains by Railways in Punjab and Haryana	630-31
838.	हरयाणा और पंजाब में अनाज की लदाई — Loading of Foodgrains in Haryana and Punjab	631
839.	मजूरी बोर्ड के पंचाटों की क्रियान्विति — Implementation of Wage Board Awards	631
840.	प्रादेशिक भाषाओं में टेलीप्रिंटर — Teleprinters in Regional Languages	631
841.	नई दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज में आग — Fire in Telephone Exchange in New Delhi	632
842.	मछुओं द्वारा कब्जे में की गई भूमि का स्वामित्व — Ownership of Land occupied by Fishermen	632-33
843.	राजपत्रित अधिकारियों के निवासों में टेलीफोन सुविधायें — Telephone Facilities at Residence of Gazetted Officers	633
844.	ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि जब्त की जाना — Confiscation of Land by the British Government	634
845.	ग्राम समाज की भूमि से प्राप्त आय का उपयोग — Utilization of Income from land belonging to Gram Samaj	634
846.	मेरठ तथा मथुरा जिलों में भूमि का आवंटन — Allotment of land in Meerut and Mathura Districts	634-35
847.	राजधानी में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन — Grow More Food Compaign in the Capital	635-36

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
848.	हरियाणा में चुनाव पर खर्च Election Expenses in Haryana	636
849.	बंगलौर तथा विवेन्द्रम में संसद् का सत्र Parliament Session in Bangalore and Trivandrum	636-637
850.	उत्तर प्रदेश में टेलीफोन के तारों की चोरी Theft of Telephone Wires in U. P.	637
851.	खाद्यान्नों का निर्यात Export of Foodgrains	637-38
852.	स्वचालित मशीनें तथा कम्प्यूटर लगाना Automation and Installation of Computers	638
853.	खाद्यान्नों का आयात Import of Foodgrains	639
854	तारों का देर से बाँटा जाना Late Delivery of Telegrams	639-40
855.	टेलीफोन सेवा म सुधार Improvement in Telephone Service	640
857.	कृषि तथा ग्राम विकास कार्यक्रम Agricultural and Rural Development Programme	640
858.	व्यापारिक फसलों का उत्पादन Production of Commercial Crops	640-41
859.	केरल को अनाज की सप्लाई Supply of Foodgrains to Kerala	641
860.	केरल में कृषि का विकास Development of Agriculture in Kerala	641-42
861.	विदेशी बाजारों में मछली की माँग Demand of Fish in Foreign Markets	642-43
862.	समन्वित दाल परियोजना Co-ordinated Pulse Project	643
863.	लक्ष्मीरतन कांटन मिल्स और एटहर्टन वेस्ट कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की और भविष्य निधि की बकाया राशि Provident Fund dues against Laxmi Rattan Cotton Mills and Atherton West Co. Ltd., Kanpur	643-44
864.	रिगों के आयात के लिए राज्यों को विदेशी मुद्रा Foreign Exchange to States for Importing Rigs	644-45
865.	कलकत्ता में साझे के टेलीफोनों की नई प्रणाली New System of Sharing of Telephones in Calcutta	645
866.	अनाज का रक्षित भण्डार Buffer Stock of Foodgrains	645-46
868.	खाने के अनुपयुक्त संकर बाजरा तथा मक्का Unfit Hybrid Bajra and Maize	646
869.	दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध सप्लाई करने वालों द्वारा हड़ताल करने की धमकी Strike Threat by Milk Suppliers to D.M.S.	646-47
870.	भारी फसल के उपलक्ष में विशेष डाक टिकट Special Postage Stamp on the eve of Bumper Crop	647
871.	अनाज का भण्डार बनाना तथा लाना और ले जाना Storage and Movement of Foodgrains	647-48

तां० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
872.	खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता — Self Sufficiency in Food Production	648
873.	सूखाग्रस्त क्षेत्र की समस्यायें — Problems of drought affected areas	648-49
874.	केरल के लिये कृषि फार्म — Agricultural Farm for Kerala	649
875.	सोयाबीन का तेल — Soyabean Oil	649-650
876.	शरणार्थी बस्ती, मारंगा — Refugee colony at Maranga	650
877.	मेरठ और खुर्जा जिलों में अनाज की वसूली — Procurement of Foodgrains in Meerut and Khurja Districts	650
878.	चीनी के मूल्य — Sugar Prices	650-51
879.	चीनी का उत्पादन — Sugar Production	651
880.	आसारगंज और संग्रामपुर मे सार्वजनिक टेलीफोन — Public Call Office at Asarganj and Sangrampur	651-52
881.	राज्यों को अनाज की सप्लाई — Supply of Foodgrains to States	652
882.	सहकारी खेती — Cooperative Farming	652-55
883.	राज्यों में भूमि का अर्जन — Land Acquisition in States	653
884.	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी — Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in U.P.	653
885.	डाक तथा तार विभाग के गोरखपुर डिवीजन में चिकित्सा सम्बन्धी झूठे बिलों का भुगतान — Rimrbursement of Bogus Medical Bills in the Gorakhpur Division of the P&T, Deptt.	653
886.	उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त भूमि का दिया जाना — Settlement of Additional Land in U.P.	654
887.	ग्रामीण समुदाय का समन्वित विकास — Integrated Development of Rural Communities	654
888.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की माँगें — Demands of F.C.I. Employees	654-55
889.	फिल्म उद्योग के लिये मज़दूरी बोर्ड — Wage Board for Film Industry	655
890.	राष्ट्रीय खाद्य नीति — National Food Policy	655
891.	चुनाव पर व्यय — Election Expenses	656-57
892.	अधिवक्ता बनने के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण की शर्त हटाना — Removal of condition of Practical Training for eligibility as an Advocate	657
893.	विभागातिरिक्त कर्मचारियों की उपलब्धियों का पुनरीक्षण — Review of emoluments of Extra-Departmental Employees	657-58

तारा० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
894.	जटनी (उड़ीसा) में डाक तथा तार भवन	P. & T. Building at Jutni (Orissa)	658
895.	उड़ीसा में बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed Persons in Orissa	658
896.	उड़ीसा में खाद्यान्न का समाहार	Procurement of Foodgrains in Orissa	658-59
897.	गिर संरक्षित वन में शेर	Lions in Gir Sanctuary . . .	659
898.	केरल के डाकघरों में टेलीफोन और तार की सुविधायें	Telegraph and Telephone Facilities in Kerala Post Offices	659-60
899.	चौथी योजना में खाद्यान्न की आवश्यकता	Requirement of Foodgrains during Fourth Plan	660
900.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production . .	660-61
901.	हड़तालों आदि के कारण जन-दिनों की हानि	Man-days lost due to strikes . .	661
902.	गोदामों में खाद्यान्न रखने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee on Storage of Foodgrains	661-62
903.	आग मे अनाज का नष्ट होना	Loss of Foodgrains in fire . .	662
904.	बूचड़खाने	Slaughter Houses	662-63
905.	गेहूं की वसूली	Procurement of Wheat . . .	663-64
906.	अनाज के गोदाम	Storage of Foodgrains . . .	664
907.	सहकारी कृषि	Co-operative Farming . . .	664
908.	कृषि मजदूरों के लिये रोजगार के अवसर	Employment Opportunities for Agricultural Labourers	665
909.	भारत का खाद्य निगम	Food Corporaton of India . .	665
910.	एशियाई श्रम मंत्री सम्मेलन	Asian Labour Ministers' Conference .	665
911.	चावल के आधुनिक मिल	Modern Rice Mills . . .	666
912.	कृषि आयोग	Agricultural Commission . .	666-67
913.	चीनी को बिक्री के लिये छोड़ना	Release of Sugar	667
914.	अमरीका से खाद्यान्न का आयात	Food Imoprts from USA	667
915.	चुकन्दर से चीनी का उत्पादन	Production of Sugar from Beet . .	667-68
916.	पश्चिम बंगाल में हड़तालें, तालाबन्दी और जबरी छुट्टी	Strikes, lock-outs and lay-offs in West Bengal	668
917.	राजकोट में 'क' श्रेणी का मुख्य डाकघर	'A' Grade Head Post Offiees at Rajkot	668

अता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
918.	राजकोट में 'क' श्रेणी के मुख्य डाकघर / 'A' Grade Head Post Office at Rajkot	668-69
919.	अहमदाबाद में रेलवेपुरा मुख्य डाकघर में अपर्याप्त सुविधायें / Inadequate facilities in Railwaypura Head Post Office at Ahmedabad . .	669
920.	गुजरात सर्किल में मेहसाना डाक डिवीजन का दर्जा बढ़ाना / Upgarding of Mehsana Postal Division in Gujarat Circle . . .	669
921.	डाकखानों में सहायक अधीक्षक (शिकायत) / Assistant Superintendents (Complairnts) Post Offices . . .	670
922.	खाद्यान्नों का वसूली मूल्य / Procuremnt prices of Foodgrains	670
923.	पटना में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि / Telephone Bill arrears in Patna	670-71
924.	चूहा उन्मूलन कार्यक्रम / Rat Eradication	671
925.	इण्डिया शूगर एण्ड रीफाइनरीज लिमिटेड, होसपेट / India Sugar and Refineries Limited, Hospet	671
926.	आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं तथा कृषकों को अधिक उपज देने वाली फसल उगाने का प्रशिक्षण / Training of field workers and cultivators in High Yielding crops in Andhra Pradesh	672-73
927.	अनाज के गोदाम बनाना / Storage of Foodgrains	674
928.	बिना लाइसेंसों के रेडियो का प्रयोग / Use of Radio Sets without Licences	674-75
929.	डाकघरों की कार्यकुशलता में कमी / Decrease of Effciency in Post Offices	675
930.	पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाओं के लिए नलकूप / Tubewells for Irrigation Projects in West Bengal	675
931.	मैसर्स केवेंन्टर्स लिमिटेड दिल्ली में हड़ताल / Strike In M/s Kenventers Ltd., Delhi	675
932.	दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी भण्डार / Consumer's Cooperative Stores In Delhi	676
933.	पश्चिम बंगाल में मोगराहाट नहर द्वारा सिंचित भूमि में फसल की उपज / Crop Yield in West Bengal served by Mograhat Canal	676
934.	पश्चिम बंगाल को अनाज की सप्लाई / Supply of Foodgrains to West Bengal	677
935.	टलीफोन निर्देशिकाओं में ग्राहकों के नामों में ब्रिटिश उपाधियों का प्रयोग / Use of British Titles in the names of subscribers in Telephone Directories	677

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
936.	कृषकों को राजसहायता देना	Subsidizing the Agriculturists	678
937.	लघु सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation Schemes	678
938.	मध्य प्रदेश में नलकूप लगाना	Drilling of Tube Wells in M.P.	678
939.	प्रत्येक राज्य में फसल वाला क्षेत्र	Cropped Area in States	679
940.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by F.C.I.Employees	679
941.	जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन	I.L.O. Conference at Geneva	680
942.	मोटर लांच कर्मचारी संस्था	Motor Launch Employees Association	680
943.	दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों के मैनेजरों तथा असिस्टेंट मैनेजरों का स्थानान्तरण	Transfer of Mangers and Assistant Managers of D.M.S. Stalls	680-81
944.	दक्षिण भारत में गन्ने के मूल्य	Sugarcane Prices in the South	681
945.	पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains in Eastern U.P.	681-82
946.	अटारनी जनरल की नियुक्ति के बारे में नियम	Rules re: appointment of Attorney Gereral	682
947.	रोजगार दिलाऊ कार्यालयों द्वारा भेजे गये अभ्यार्थियों का चयन	Selection of candidates sent by Employment Exchanges	682
948.	दूध और मक्खन के उत्पादन में कमी	Fall in production of Milk and Butter	683
949.	मेरठ के डाकघरों में डाक टिकटें	Postage Stamps in Meerut Post Offices	683
950.	दिल्ली में गेहुं के आटे के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Wheat Flour in Delhi	683-84
951.	मुख्य सचेतक	Chief Whips	684
952.	एक अध्यापक द्वारा मनीआर्डर की दो बार वसूली	Double receipt of Money Order by a teacher	684-85
953.	संसद् भवन का मिल्क स्टाल तथा मिल्क बार	Milk Stall and Milk Bar of Parliament House	685-86
954.	बांदा जिले में कृषि विकास	Agricultural development in Banda District	686
955.	ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर	Post Offices in Rural Areas	686-87
956.	उत्तर प्रदेश में गेहूं का वसूली मूल्य	Wheat Procurement Prices in U. P.	687

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
957.	उत्तर प्रदेश में बिना काश्त की भूमि	Uncultivated Land in U P.	687-88
958.	उत्तर प्रदेश में तारघर	Telegraph Offices in U P. . .	688
959.	अफसरों के निवास स्थानों पर लगाये गये टेलीफोनों का हटाया जाना	Disconnection of Telephones Installed at Residences of Officers . .	688
960.	कोटा के तारघरों के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	Medical Reimbursement to Employees in Kota Telegraph Office	688-89
961.	मध्य प्रदेश सरकार को चीनी की सप्लाई	Supply of Sugar to M.P. Government	689
962.	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के दौरान दूरसंचार का विशेष प्रबन्ध	Special Telecommunication arrangement during Prime Minister's visit Abroad	689
963.	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	690
964.	स्वचालित टेलीफोन केन्द्र निजामाबाद के लिये इमारत	Building for Automatic Telephone Exchange' Nizamabad	690
965.	चुनाव लड़ने पर व्यय	Election Expenditure	690-22
966.	लोहना रोड डाक घर	Lohna Road Post Office . .	692-93
967.	किसान प्रशिक्षण केन्द्र	Farmer Training Centres .	693
968.	पूर्णा (उड़ीसा) में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Office at Purna (Orissa) .	693-94
969.	खादंग नदी परियोजना	Khadang nadi Project	694
970.	कच्छ में खार भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Khar Land in Kutch	694
971.	गुजरात में कृषि का विकास	Agricultural Development in Gujarat	694-95
972.	धनुषकोडी पाये (पायर्स)	Dhanuskodi Piers	695-96
973.	सामुदायिक विकास खण्डों में जीपें	Jeeps in C.D. Blocks . . .	696
974.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	Punjab Agricultural University, Ludhiana	696-97
975.	गन्ने की खेती के लिये भूमि	Land Under Sugar Cultivation . .	697
976.	विस्थापित व्यक्तियों को छोटे ऋण	Small Loans to Displaced Persons . .	697-98

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृ ष्ठ PAGES
977.	संसद् भवन के अन्दर स्थित दुग्ध स्टाल का कार्य संचालन के विरुद्ध शिकायतें	Comp ints against working of Inner Milk Stall in Parliament House .	699
978.	गैर-पत्रकार और पत्रकार कर्मचारी	Non-Journalist and Journalist Employees	699
979.	केन्द्रीय कोयला मजूरी बोर्ड का पंचाट	Central Coal Wage Boards Award	699
980.	दिल्ली में राशन	Rationing in Delhi	700
981.	ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors	700
982.	खाद्य उत्पादन के लिये धन का नियतन तथा वितरण	Allocation and Distribution of Funds for Food Production	700-701
983.	हरियाणा से भेजी गई मक्का को क्षति	Damage to Maize Exported from Haryana	701
984.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	701-702
985.	खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains	702
986.	गेहूं के वसूली मूल्य	Procurement prices of Wheat	702
987.	रीवा और ग्वालियर के थानों में टेलीफोन तथा तार प्रणाली	Telephone and Telegraphic System in Police Stations and Post Offices in Rewa and Gwalior	702-703
988.	बेरोजगारी	Unemployment	703
989.	कालकाजी कालोनी में पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को प्लाटों का दिया जाना	Allotment of plots to East Pakistan Refugees in Kalkaji Colony	704
990.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों के लिये नई बैरकपुर कालोनी	New Barrackpore Colom for displaced Persons from East Pakistan	704-705
991.	सामूहिक कृषि फार्म	Collective Agricultural Farms	
992.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का निर्माण	Construction of godwans by FCI	706
993.	आंध्र प्रदेश में सिंचाई की छोटी सुविधायें	Minor Irrigation Facilities in Andhra Pradesh	706-707
994.	कृषि की छोटी मशीनों का प्रयोग	Use of Small Agricultural machines	707
995.	विभिन्न राज्यों में फार्मों (प्रक्षेत्रों) की स्थापना	Setting up of Farms in States .	707-708
996.	सहकारिता आन्दोलन	Cooperative Movement .	708

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGES
997.	गन्ने की कीमत की बकाया राशि का भुगतान	Payment of Arrears of Sugarcane Price	708-709
998.	भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून	Land Ceilings Laws	709
999.	राजस्थान में संचार सुविधायें	Communication Facilities in Rajasthsn .	709-10
1000.	सहकारी क्षेत्र में उद्योग के लिये सहायता	Assistance for Industries in the Cooperative Sector	710
1001.	पंजाब और हरियाणा में अनाज का समाहार	Procurement of Food grains in Punjab and Haryana	711
1002.	आस्ट्रेलिया से अन्डों के उपहार	Gift of Eggs from Austrialia	711
1003.	खुले बाजार में चीनी का मूल्य	Sugar Prices in open Market	711-12
1004.	अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन	All India Soil and land use survey Organisation	712
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	712--15
	अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा लाठी चलाई जाने के कारण पटना मैडिकल कालेज अस्पताल की एक महिला कर्मचारी की मृत्यु तथा उससे संबंधित घटनायें	Death of woman employee of Patna Medical College Hospital and incidents connected with strike by non-gazetted Govt. employees	712--15
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	**Papers laid on the Table .**	715--21
	बिहार राज्य के बारे में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा सम्बन्धी सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. **Proclamation** Under Article 356 in relation to Bihar	721--38
	श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	721--25
	श्री रा० की० अमीन	Shri R.K Amin	725-26
	श्री कमल नाथ तिवारी	Shri K N Tiwary	727
	श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	727-28
	श्री मृत्युंज्य प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	728-29
	श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shankar Sharma	729-30
	श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	730-31
	श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha .	731
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	731-32
	श्री एस० एम० जोशी	Shri S. MJoshi	732-33

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 25 जुलाई 1968/3 श्रावण, 1890 (शक)

Thursday, July, 25 1968/Sravana 3, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

SMALL NEWSPAPERS

*91. **Shri Onkar Singh :**
Shri Anantrao Patil :
Shri Sharda Nand :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Onkar Lal Bohra :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the newspapers, particularly the small newspapers weighing 50 grams or less, have received a serious set-back to the recent increase in postal rates ;

(b) whether Government propose to give special concession in postal rates to small newspepers; and

(c) if so, the details thereof ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) सरकार को इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं है ।

(ख) और अधिक छूट देने का कोई विचार नहीं है । पंजीकृत समाचारपत्रों की वर्तमान दरें पहले से ही रियायती हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Onkar Singh : Today only small newspapers inculcate democratic feelings among the village folk. Will the hon. Minister be pleased to state whether some special facilities will be given to them ?

Shri I. K. Gujral : Small newspapers are circulated in villages and small cities and these serve a good purpose. For that I congratulate them. But the difficulty of this department is that in sending registered newspapers by postal service it has to incur a heavy loss. We give a subsidy of 59 per cent even after the increase in the rates.

प्रेषण की लागत अभी वही है अर्थात् 14.6 पैसे। अब राजस्व 6·05 पैसे है। इसमें उपदान लगभग 59 प्रतिशत है। इसलिये दर बढ़ाने के बाद भी, इस प्रकार की सेवा से हमें कुल 195 लाख रुपये की हानि होगी। अतः यह विभाग चाहते हुए भी, छोटे समाचारपत्रों को सहायता और अधिक सुविधायें देने में कठिनाई अनुभव कर रहा है।

Shri Onkar Singh: To what extent the number of small newspapers has decreased since the postal rates were increased ?

Shri I. K. Gujral : It is not in my knowledge because this department is not concerned with it.

श्री अनन्तराराव पटिल: मैं मंत्री महोदय से यह सुन कर बड़ा दुखी हुआ हूं कि समाचारपत्रों को रियायतें दी जा चुकी हैं। इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछूं आप मुझे उस स्थिति को स्पष्ट करने की अनुमति दें जो डाक दरों में बढ़ोतरी के बाद उत्पन्न हुई है। दशमलव सिक्के के प्रचलन से पूर्व, डाक द्वारा एक रुपये में 64 प्रतियां भेजी जा सकती थीं, जबकि अब केवल 10 प्रतियां ही भेजी जा सकती हैं। इस वृद्धि के बाद समाचारपत्रों को बड़ी हानि हुई है, विशेषकर छोटे समाचारपत्रों को और मध्यम आकार के प्रान्तीय समाचारपत्रों को, क्योंकि वे अपने परिचालन के लिए डाक से समाचारपत्र मंगवाने वाले लोगों पर निर्भर रहते हैं। पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने रियायत दी और 60 ग्राम तक प्रति कापी दर 2 पैसे रखी। इस वचन को निभाया गया लेकिन यह रियायत केवल आठ महीने तक ही रही। इस वर्ष उन्होंने 50 ग्राम तक दर पर पांच पैसे बढ़ा दिये। इन परिस्थितियों में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्हें यह परिवर्तन कैसे सूझा और उन्होंने डाक दर को क्यों बढ़ाया जब कि स्वयं उन्होंने इसको पहले रियायत दी थी। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार यह चाहती है कि छोटे समाचारपत्र समाप्त हो जायें और बड़े समाचारपत्र अधिक समृद्ध हों क्योंकि जिन समाचारपत्रों का भार अधिक है .....

श्री ई० कु० गुजराल : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनका दूसरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार यह चाहती है कि छोटे समाचारपत्र समाप्त हो जायें। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, जब कि छोटे समाचारपत्रों के प्रति मैं अपनी सहानुभति दुहराता हूं, मैं इन समाचारपत्रों के कर्तव्य की भी सराहना करता हूं जिसे ये राष्ट्रीयजीवन में निभा रहे हैं और माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय यहां मलतः प्रशुल्क जांच समिति की सिफारिशों से प्रेरित थे। प्रशुल्क जांच समिति ने अनुदान सम्बन्धी मामले का अध्ययन किया है और यह अनुभव किया है कि यद्यपि कई अन्य सेवायें उनकी लागत को बर्दास्त कर सकती थीं, किन्तु समाचारपत्रों के मामले में हम अधिकतम 66 2/3 प्रतिशत अनुदान दे सकते थे। जो अनुदान इस समय हम दे रहे हैं, वे लगभग 59 प्रतिशत हैं। मैं कठिनाइयों को स्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य शायद इस बात की सराहन करेंगे कि 22 करोड़ 40 लाख समाचारपत्रों के पैकिटों को भेजने पर हम यहां तक कि इस वर्ष भी 195 लाख रुपये का अनुदान दे रहे हैं। यह अनुदान कम नहीं है, विशेषकर इसलिये कि इस सेवा से हमारी कुल आय अनुमानतः 135·2 लाख रुपये है और लागत 330.62 लाख रुपये है।

Shri Narain Swarup Sharma : Before the increase in the postal rates one small newspaper could be sent in 2 paise and now it costs 5 paise. It means that it has increased by two and a half times. It seems that he has decided that every department within the Postal Department should be self-reliant, otherwise if there is a loss on the small packet there must have been profit on the big packets and if there is loss on the full postal service then there must have been profit on another service. If there is no profit on any service then Postal Service is a Department of

utility The hon. Minister utters the slogan of socialism whether he is prepared to form a Committee of some Members of the Parliament, who many study this question from other points of views also ?

श्री इ० कु० गुजराल : हम केवल नारे नहीं लगाते, समाजवाद लाने का भी प्रयास करते हैं । मैं अपने मित्र श्री कंवरलाल गुप्त को, जिन्होंने न तो समाजवाद के लिये कोई योगदान दिया है और न ही समाजवाद को समझा है, यह कहूंगा कि वह हमारे उस योगदान को समझे जो हम समाजवाद के लिए करते हैं ।

इसलिये मूलभूत बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि समाजवाद का अर्थ यह नहीं है कि सेवायें घाटे में चलें । जब कहीं कोई सेवा की जाती है तो यह निर्णय करना संसद् का कार्य होता है कि वे खर्चे को किस प्रकार पूरा करेंगी । डाक-सेवाओं पर हमारा खर्च पिछले वर्ष 88·43 करोड़ रुपये था और राजस्व लगभग 72·46 करोड़ रुपये था । इसलिए पिछले वर्ष डाक सेवाओं में 16 करोड़ रुपये की हानि हुई, जिससे प्रशुल्क में वृद्धि हो गई । यह निर्णय करना इस संसद् का कार्य है कि क्या वे चाहेंगे कि हम जो सेवा चला रहे हैं उनसे धन इकट्ठा करें अथवा वे हमें अन्य वस्तुओं से धन देंगे । स्वाभाविक रूप से ऐसा करना ही है ।

जहां तक समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, मैं पुन: कहता हूं कि इस सेवा को सबसे अधिक अनुदान प्राप्त है । यह निर्णय करना इस संसद् के सदस्यों का कार्य है कि क्या किया जाना चाहिये । बजट यहां पारित किया गया था, हम तो केवल संसद् के निर्णय का पालन कर रहे हैं ।

Shri Narain Swarup Sharma : He has given no reply in respect of the Committee :

Shri Onkar Lal Bohra : Newspapers play an important role, in democracy and are, considered as Fourth State. When our Prime Minister was Information and Broadcasting Minister she had stated with courage that every incentive would be given to the small newspapers and the language newspapers. But it is a sad commentary that the Ministry has done nothing to prevent the harm done to the small newspapers and the language papers in the Budget. I am asking this question from the Central Government through the Communication Ministry. This question is related with the Information Ministry, Communication Ministry and Finance Ministry. The Big papers can afford the burden of increased postal rates but the small newspapers have suffered a lot due to this increase in postal rates. I want to know whether you cannot make 2 paise upto 50 gramms for these small newspapers as it was before ?

Shri I. K. Gujral : We are not in a position at this time to revise these rates. Budget was passed here and whenever the Parliament likes to revise it, it can do so. It is a supreme body and it can do it what it desires.

Shri Kanwar Lal Gupta : Yoy bring a proposal and we will pass it.

Shri Shinkre : There are so many such newspapers whose prices are only five or six paise and their circulation is done generally by post and those are sent outside. It costs five paise to send the newspapers . The price of the newspaper is five paise. The result is that these small papers run at loss. Therefore I want to know whether the Government will be pleased to give some concessions to the small newspapers so that these small papers may continue to exist and may increase their circulation and may be saved from the shock which they have suffered ? We have been seen in Gao that there are so many Daily newspares which are circulated by post. I want to know whether the Government are prepared to give some facilities to these small newspapers ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह सुझाव कार्यवाही के लिये है ।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि छोटे समाचारपत्रों की संख्या में कितनी कमी हुई है । दो पत्रों का प्रकाशक होने के कारण मैं उन्हें सूचित कर सकता हूं कि एक पत्र 50 प्रतिशत घट गया है और अब साप्ताहिक होने के बजाय यह पाक्षिक हो गया है । दूसरा पत्र जो मासिक था अब छः सप्ताह में निकलता है । जो बात मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि दर में इस वृद्धि के कारण सरकार के राजस्व में लाभ होने की बजाय हानि की सम्भावना अधिक है क्योंकि कोई भी समाचारपत्र इन दरों को बरदास्त नहीं कर सकता, क्योंकि पाठक निर्धन हैं और ये समाचारपत्र स्वदेशी भाषा में इन लोगों के लिए हैं । मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने, अर्थात् छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी समाचारपत्रों के लिए जिनका भार 50 ग्राम से कम हो, डाक दर एक पैसा होनी चाहिये ? सरकार ने उस सिफारिश की, तथा वित्त मंत्री द्वारा दी जाने वाली उस रियायत की उपेक्षा की है । उन्होंने इसकी उपेक्षा क्यों की है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार यह दावा कैसे करती है कि एक प्रति भेजने में 14.5 पैसे लागत आती है । क्या उन्होंने इसका सम्बन्ध समाचारपत्रों के भार से जोड़ा है अथवा केवल समाचारपत्रों की संख्या के कुल जोड़ से ? यह गणना किस आधार पर की जाती है ? अगर उनकी गणना इतनी ही अच्छी है, तो क्या वे उनको सभा पटल पर रखने को तैयार हैं ? मैं इसके लिये इसलिये पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं इसकी गणना से सहमत नहीं हूं ।

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य के प्रश्न के विवादास्पद भाग को पहले लेते हुए मैं कहूंगा कि प्रशुल्क समिति की रिपोर्ट में यह सब विश्लेषण दिया गया है और यदि माननीय सदस्य इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि विश्लेषण किया हुआ है । जहां तक लागत की गणना का सम्बन्ध है इसकी गणना प्रेषित पैकिटों की औसतन संख्या तथा उस पर जो हमारी कुल लागत आती है उसके आधार पर की जाती है । माननीय सदस्य इसकी सराहना करेंगे कि हम वर्ष में 2240 लाख पैकिटों का प्रेषण करते हैं और इसमें फेर बदल करना हमारे लिये कठिन है, क्योंकि ऐसा करने पर काफी लागत बैठेगी । जहां तक समाचारपत्रों के बन्द होने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा जानकारी दिये जाने का सम्बन्ध है, मैंने इसे दुःख के साथ नोट कर लिया है, लेकिन मैं उनको यह सुझाव भी दूंगा कि यदि वह अपने समाचार पत्र को स्वतन्त्रता पूर्वक बेचने अथवा बांटने लग जाएं तो उनको हानि उठानी पड़ेगी ।

श्री लोबो प्रभु: मैंने उनसे सहायता नहीं मांगी है । मेरे प्रश्न का उत्तर यह नहीं है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मंत्री महोदय ने हानि के बारे में कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है, मैं जानना चाहता हूं क्या उनके पास समाचारपत्रों के प्राप्त पैकिटों के कुल परिमाण के आंकड़े हैं और क्या यह सच है कि प्रशुल्क में वृद्धि के कारण समाचार पत्रों के पैकिटों के परिमाण में काफी कमी कर दी गई है और यह सरकार के राजस्व में हानि का कारण है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय मित्र इस बात को ध्यान में रखें कि डाक-सेवा ऐसी सेवा है, जिसमें हम जितने अधिक पैकटों का प्रेषण करते हैं, उतनी ही अधिक हमें हानि उठानी पड़ती है । यह प्रेषण कार्य जितना बढ़ता है उतनी ही हानि बढ़ती जाती है । ऐसा नहीं है कि जब पैकिटों का प्रेषण बढ़ता है तो उसके साथ ही लाभ भी बढ़ता है । क्योंकि इस कार्य में बहुत श्रम, काय करते हैं । अतः जितने अधिक पैकिटों का प्रेषण किया जाता है उतनी ही अधिक हानि की राशि भी बढ़ती जाती है ।

श्री क० अनिरुद्धन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि अधिकतर समाचार पत्रों को, विशेषकर भाषायी समाचार पत्रों और छोटे, इनसे भी छोटे तथा बीच के दर्जे के समाचार पत्रों ने प्रकाशन बन्द कर दिया है, क्योंकि इतनी ऊंची दरों के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? उदाहरणार्थ, यहां तक कि हमारे विधि मन्त्री श्री गोविन्द मेनन "दीन-बन्धु" समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे थे और राज्यों के कुछ मुख्य मन्त्रियों ने अपने प्रभाव का उपयोग किया है और अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है। मैं सोचता हूं कि कम से कम एक हजार समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया है। प्रकाशन होने के नाते मैं एक प्रकाशक की कठिनाईयों को भली भांति समझता हूं। मैं एक साधारण समाचार पत्र पर 2 पैसे के टिकट लगाता था जिसमें केवल चार पृष्ठ होते थे किन्तु अब मुझे उसी समाचार पत्र पर 6 पैसे का टिकट लगाना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटे समाचार पत्रों में केवल चार पृष्ठ होते हैं और उनका नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता है और कुछ महीने पहले हम उन पर केवल 2 पैसे के टिकट लगाते थे लेकिन अब 300 प्रतिशत अधिक का टिकट लगाना पड़ता है, क्या सरकार इन दरों को घटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? इस सम्बन्ध में, मैं सभा का ध्यान श्री ग्लैडस्टोन के उस कथन की ओर दिलाना चाहूंगा, जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया था अर्थात् "ज्ञान पर कर न लगाइये" (डू नॉट टैक्स नॉलिज)। उसी प्रकार मेरा भी अनुरोध है कि सरकार ज्ञान पर कर लगाने का प्रयत्न न करे और छोटे समाचार पत्रों को कुचलने का प्रयत्न न करे। अतः सरकार इस स्थिति पर पुनर्विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिरुद्धन ने केवल सुझाव दिया है। इसलिए उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार से अपील की है यह प्रश्न नहीं है।

श्री राणे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को विभिन्न राज्यों के छोटे समाचार पत्रों के संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो कितने ?

श्री इ० कु० गुजराल : कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government are treating small as well as big newspapers alike. I would like to know if it is not possible to reduce the pressure over the small newspapers in the budget, and will the hon. Minister find out some other way so that the small papers may get some relief and whether the Government will give an assurance to consider it seriously ?

Shri I. K. Gujral : I can give am assurance to consider it seriously ?

Shri Randhir Singh : I want to ask in the interest of the Members of the Parliament. Some of the Members of the Parliament publish some newspapers, Bulletins and do some correspondence work. They all do this keeping in view the interest of the public. In spite of less pay they incur double and tripple expenditure on the postal rates. Whether Government have any such proposal that the facility of reduced rates may be given to the newspapers, Bulletins and the correspondence which the Members of the Parliament undertake and which are in the interest of the public and in the interest of the country ?

Shri I. K. Gujral : Mr. Speaker, you have also formed a committee to look into the difficulties which the hon. Member has expressed and I think that this committee will place its reeommendations before you.

श्री सेजियान : मन्त्री महोदय के द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार 22 करोड़ 50 लाख बंडल और 195 लाख रुपये की हानि दिखायी गई है। कोई भी इतनी अधिक हानि नहीं चाहता है। जब व

दरों में भी वृद्धि करते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि इससे छोटे अखबार पर कुप्रभाव तो नहीं पड़ता है। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि 10 या 7 पैसे पर बिकने वाले अखबार पर 5 पैसे का टिकट लगाया जाय तो यह मूल्य का 50 प्रतिशत हो जाता है अगर अखबार 30 या 40 पैसे में बिकता है यह वृद्धि इतनी अधिक नहीं होगी, क्या मन्त्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे और देखेंगे कि टिकट के मूल्य और अखबार के विक्रय मूल्य में कुछ सम्बन्ध होता है।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम इस मामले पर विचार करेंगे।

Shri Prem Chand Varma : I totally disagree with the figures given by the honourable Minister, because I have experience of small and big newspapers and I am an office bearer of their association. I can only say about his comment that it is not the cost of newspapers but a loss on rackets and other pig things. I want to know whether he will set up a committee of Members of Parliament so that this issue may be reviewed.

Shri I. K. Gujral : The question is not that we are fixing the rate. I want to tell you that we charge 5 paise on newspapers of 100 gramms. and 35 P. on bookpacket. The confusion is not in the figures but in the understanding of honourable Member :

श्री रंगा : क्या अखबारों को बुक पैकेट का रूप दिया जायेगा ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह अधिक महंगा होगा।

श्री हेब बरुआ : क्या यह सच है कि छोटे अखबारों की संख्या ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमे अनुरोध किया गया है कि डाक टिकटों की दरों में परिवर्तन किया जाय, जिससे कि छोटे अखबार वाले कायम रह सकें, चूंकि बढ़ी हुई दरों के कारण आयागत प्राप्तियां अधिक नहीं आ रही हैं, तो सरकार इस ज्ञापन के उत्तर में क्या कहती है।

श्री रंगा : सब सदस्य ज्ञापन दे रहे हैं।

श्री इ० कु गुजराल : हमने उस समय इसकी जांच कर ली थी और जब यह वर्तमान रूप आपके सामने आया तो यह कठिनाई बताई गई थी। जैसे कि मैंने कहा है कि हमें सभा की भावना का पता चल गया था और हम इसकी जांच करेंगे।

Shri Sheo Narain : The honourable Minister knows that small newspapers are sent to villages. I want to know whether the Government has also asked the views of those who read newspapers. The rate of newspapers has increased. What was the rate of newspaper when it costs two paise and what is the rate now.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। मैं यह कहना चाहूंगा कि हर एक अनुपूरक प्रश्न पर एक छोटा वक्तव्य हो जाता है। कभी-कभी किसी बात को समझाने के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है। परन्तु प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न पर ऐसा नहीं होता है। हमने पहले ही इस प्रश्न पर 25 मिनट लगा दिये हैं।

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक

92. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के एक भूतपूर्व कर्मचारी को बैंक को धोखा देने के आरोप में 15 जून, 1968 को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कुछ अन्य गिरफ्तारियां भी की गई हैं और यदि हां, तो उनमें कितने अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) इस मामले की छानबीन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, एक।

(ग) गिरफ्तारियों और छानबीन के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त राशि का अधिकांश भाग वसूल कर लिया गया है।

Shri Mahant Digvijai Nath : Generally it has been seen that such misappropriation is going on in the Co-operative Banks. Whether the honourable Minister would state that the Government is considering to set up a committee so that such things may not take place in future.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे ऐसी बातें न हों और जब वे होती हैं तो हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे।

Shri Mahant Digvijai Nath : Generally it has been seen that these Co-operative banks do such business and suffer losses and the Director is also responsible for it. So it is necessary that the Government should formulate a plan to check such things. Will the Government consider over it ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इस मामले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। सहकारी बैंक को लाभ हुआ है। एक गबन का मामला पाया गया और इस सिलसिले में एक व्यक्ति पकड़ा गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I would like to know from the honourable Minister the number of such Co-operative Banks about which he has received information regarding misappropriation. How many persons have been arrested and prosecuted in that connection. He has said that some amount has been recovered. I want to know how much amount has been recovered.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी: गबन 1,09,200 रुपये का था। हमने अभी तक 1,07,311 रुपये वसूल किए हैं। अब थोड़ी ही धनराशि वसूल करनी बाकी है। एक व्यक्ति पकड़ा गया है। उस व्यक्ति का नाम श्री रमेश चन्द है जो गांधी नगर का रहने वाला है और वह सहकारी बैंक का भूतपूर्व कर्मचारी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked the member of Co-operative Banks about which the Government has received information regarding misappropriation and how many persons have been prosecuted.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री क० लकप्पा : कांग्रेस राज्य के अन्तर्गत सहकार आन्दोलन की चाहे वह दिल्ली में हो या किसी भी राज्य में, पूरी जांच की जानी चाहिए, इसमें छल, जालसाजी व धोखेबाजी में काफी वृद्धि हुई है। और इस छल के कारण इस देश में सहकारी आन्दोलन का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जांच करने की आवश्यकता को स्वीकार करेगी और चलते फिरते न्यायालय द्वारा इन सब की जांच करायेगी, ताकि इस कुव्यवस्था पर कारगर नियन्त्रण किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : यह दिल्ली के सहकारी बैंक में हुई हानि के बारे में है। आप कृपया बैठ जाइये। आपको दूसरा अवसर भी मिल सकता है और दूसरो को समय दीजिए।

श्री क० लक्कप्पा : यह दिल्ली में हो सकता है। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार दिल्ली में भी इस प्रकार के गबन को रोकने के लिए चलता फिरता न्यायालय स्थापित करेगी। मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप समझते हैं कि इस का उत्तर देने की आवश्यकता है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जी नहीं।

Shri Bal Raj Madhok : Shri Kachwai had just asked a question whether there is only one State Co-operative Bank or there are many others in Delhi. But the honourable Minister did not reply to it. That question maybe answered first. Secondly, whether it is a fact that there was an embezzlement in the Delhi Co-operative Bank, but instead of giving punishment to the person involved, the whole bank was declared to have gone in liquidation. The thousands of persons whose deposits were there in the bank, are cursing the Government and the co-operative Bank for that reason. I want to know whether the New Delhi Co-operative Bank has been brought under liquidation ? If so, how many deposits were there in it and how much was the loss ? Have they approached the Government its punish the defaulters ; and to state the reasons for its liquidation ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : दिल्ली राज्य सहकारी बैंक एक शिखर संस्था है जिसके अधीन तथा सीधे नियंत्रण और देख-रेख में अनेक बैंक कार्य कर रहे हैं। दूसरी संस्थाओं के बारे में गड़बड़ी की हमें कोई जानकारी नहीं है और जब तक कोई विशिष्ट मामले के बारे में हमें नहीं बताया जाता तब तक हम उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री बलराज मधोक : मैं इसका विरोध करता हूं; यह एक विशिष्ट प्रश्न है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जो व्यक्ति बर्खास्त किया गया है वह इस बैंक का एक कर्मचारी था। वह दो वर्ष पूर्व बर्खास्त किया गया था। उसने कुछ जाली दस्तावेज़ दिये थे जिसके आधार पर उसे पकड़ा गया था और धनराशि का अधिकतम भाग वसूल कर लिया गया है। यह बैंक दिल्ली प्रशासन के सीधे नियंत्रण में है और इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करते।

श्री बलराज मधोक : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि राज्य सहकारी बैंक के अन्तर्गत अनेक बैंक कार्य कर रहे हैं। एक नई दिल्ली सहकारी बैंक है और वहां किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तथा उसका परिसमापन कर दिया गया है। उसका परिसमापन क्यों किया गया ? जमाकर्त्ताओं को क्यों हानि पहुंचाई जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जहां तक बैंक का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य मुझे सूचना देंगे तो मैं दिल्ली प्रशासन से वस्तुस्थिति का पता करूंगा।

कृषि ऋण के लिये रिजर्व बैंक के नियम

*94. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव** :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1968 को मद्रास में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन

में मद्रास के विधि तथा सहकार मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कृषि-ऋण के मार्गदर्शन के लिये ऋण संस्थाओं को सक्रिय बनाने तथा उनमें सुधार करने के लिये भारत के रिजर्व बैंक ने जो नियम और विनियम बनाये हैं वे ऋण देने में वास्तव में बाधा डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के रिजर्व बैंक ने इस वक्तव्य के परिणामों पर विचार किया है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास के विधि तथा सहकारिता मंत्री को एक पत्र में रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर ने कहा है कि वसूली कार्य की प्रतिशतता के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा सुझाये गये वर्तमान मानक, जो प्राथमिक ऋण समिति को केन्द्रीय सहकारी बैंक से नये ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र बनायेंगे, सहकारी ऋण सम्बन्धी वी० एल० मेहता समिति द्वारा अनुशंसित और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप हैं । यह भी कहा गया है कि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (सहकारिता विभाग) द्वारा भारत के रिजर्व बैंक के परामर्श से परिचालित कार्यवाही कार्यक्रम में सुझाये गये वर्तमान मानकों में सदस्यों के बकायों की वसूली 50–75 प्रतिशत तक रखी गई है; इन प्रतिशतों के भीतर वास्तविक प्रतिशत निर्धारित करने का कार्य स्थानीय प्राधिकारियों की मर्जी पर छोड़ा गया है । यह भी कहा गया है कि मद्रास में कुछ केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने अभी तक फसल ऋण फार्मूले में ऋण प्रक्रिया को उदार बनाने के लिये दिये गये सुझावों जैसे मुजारों को ऋण देना और वैयक्तिक उधार लेने की उच्चतम सीमा को बढ़ाना, को पूरी तरह लागू नहीं किया है । रिजर्व बैंक की राय में केन्द्रीय बैंकों द्वारा स्वयं लगाये गये इन प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप राज्य में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये ऋण के प्रवाह में बाधा पड़ी है ।

(ग) मद्रास में हुए मुख्य मंत्रियों और सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की है कि ऋण देने के लिये अपनाई गई प्रणाली के अन्तर्गत समिति की अतिदेयों की स्थिति की ओर ध्यान दिये बगैर समितियों के चूक न करने वाले सदस्यों को ऋण मंजूर करने की अनुमति होनी चाहिये । इस सिफारिश के आशयों तथा उन ठोस उपायों, जो इसे कार्यरूप देने के लिये अपनाये जा सकते हैं, पर अब विचार किया जा रहा है ।

श्री घो० ना० देब : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ ऐसे नियम बनाये जायेंगे जिन से उन संस्थाओं के सदस्य, जो नये ऋण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, वे भी ऋण ले सकेंगे ? क्या रिजर्व बैंक ऐसे प्रबन्ध करेगा कि जो संस्थाएं ऋण लेने की अधिकारिणी नहीं हैं, उनके निर्दोष सदस्य ऋण प्राप्त कर सकें ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मद्रास में दिये गये अपने भाषण में एक विशिष्ट मामले पर बोलते हुए सहकार मंत्री ने कहा था कि कुछ दोषी संस्थाएं हैं, परन्तु उनके जो ईमानदार और नियमित रूप से धन लौटाने वाले सदस्य हैं उनको दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये । यह मसला उन्होंने उठाया था तथा सम्मेलन ने इस पर विचार करके निर्णय किया कि भविष्य में दोषी

संस्थाओं के भी नियमित रूप से धन लौटाने वाले सदस्यों को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये तथा भविष्य में उनको ऋण दिये जाने चाहिये । अतः इस सिफारिश के अनुसार, रिजर्व बैंक से सलाह करके हम अपना दृष्टिकोण बना रहे हैं और शीघ्र ही इस मामले पर राज्य सरकार के साथ बातचीत करने वाले हैं ।

श्री बी० ना० देब : क्या ऐसे मामले हैं कि ऋणी सदस्यों पर धन के भुगतान की प्रतिशतता 50 से 75 प्रतिशत करके जिला और राज्य सहकारी संस्था लोगों को परेशान कर रही हैं ?

श्री एम० एम० गुरुपदस्वामी : यह प्रतिशतता काफी विचार करने के पश्चात् वर्ष 1964 में निर्धारित की गई थी तथा जैसा कि मैंने अभी कहा है, सारे मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है तथा हम रिजर्व बैंक से सलाह करके राज्य सरकारों को सुझाव दे रहे हैं कि दोषी संस्थाओं के भुगतान करने वाले जो निर्दोष व्यक्ति हैं, उन्हें ऋण मिलने चाहिये तथा इस बारे में भविष्य में हम एक उदार नीति अपनाना चाहते हैं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख: क्या यह सच नहीं है कि कृषि ऋण सलाहकार समिति तथा रिजर्व बैंक में कृषकों का कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं रहा है और कृषकों से भिन्न लोग ही कृषि ऋणों के बारे में सलाह दे रहे हैं और यही मूल कारण है कि कृषि-ऋण कृषकों की बजाय गैर-कृषकों को दिये जा रहे हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री शिवाजी राव श० देशमुख : यह तो जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है कि क्या पहले ऐसा हुआ है तथा भविष्य में इस बारे में क्या किया जा रहा है । यह किसी कार्यवाही के लिये कोई सुझाव नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : कृषि ऋण संस्थाओं के बारे में रिजर्व बैंक बड़ा उदार रहा है। (व्यवधान)

श्री शिव नारायण : उदारता कहां है ?

श्री एम एस० गुरुपदस्वामी : कृषकों को सम्मिलित करने के बारे में मैंने कहा है कि यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है तथा हम निश्चय ही रिजर्व बैंक से इस मामले में बात करेंगे । यह हमें करना है ।

श्री शिवाजी राव श० देशमुख: यह कार्यवाही के लिये सुझाव कैसे है ? यह तो जानकारी प्राप्त करने का प्रयास था कि क्या कृषकों को कृषि ऋण सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया अथवा नहीं । जानकारी देने की बजाय मंत्री महोदय इससे बचना चाहते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं जानकारी एकत्रित करके सभा-पटल पर रख दूंगा ।

श्री रा० रा० सिंह देव : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि "मद्रास में हुए मुख्य मंत्रियों और सहकार मंत्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि ऋण देने की प्रक्रिया में संस्था के निर्दोष सदस्यों को भी ऋण प्रदान करने की अनुमति होनी चाहिये । चाहे उस संस्था के ऊपर समयोपरि ऋण भी बकाया क्यों न हो ।" क्या इसका यह अर्थ है कि संस्थाएं

दोषी हो सकती हैं, व्यक्तिगत रूप से सदस्य नहीं ? यदि कभी कोई सदस्य किन्हीं कारणों से पहले ऋणों की अदायगी करने में असमर्थ हो, तो क्या वह अपनी शेष ऋण-राशि का भुगतान करके वापस आ सकता है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : उसके लिये पहले ही से व्यवस्था है । यदि कोई व्यक्ति अकाल, कमी आदि के कारण अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सकता तो ऐसी व्यवस्था है कि वह अपने अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करा सकता है ।

ऐसे मामलों में जहां सदस्य नहीं, वरन् संस्थाएं दोषी हैं, उन मामलों में हमें विचार करना होता है और अभी हाल ही में यह सोचा गया है कि उनकी भी सहायता की जाये तथा यह ध्यान रखा जाये कि उन सदस्यों को केवल इसलिये दण्डित न किया जाये क्योंकि दूसरे सदस्यों ने संस्था को धन की अदायगी नहीं की है ।

Shri Bibhuti Mishra : Just now Shri Jagjivan Ram wanted to answer that there was no representation of farmers in the case of agricultural credit, and secondly, the rules of Co-operatives are different from State to State, I want to know whether the Government. proposal to bring forward a legislation to provide for an adequate representation of agriculturists and farmers in the agriculturists credit and the rules in this behalf are uniform throughout the country, so that there is no difficulty at all?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): किसी को यह नहीं भूलना चाहिये कि सहकारिता मूलतः राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारों के सहकारिता संबंधी अधिनियम हैं । हम तो यह कर रहे हैं कि इन में एक प्रकार की समानता हो तथा कृषि-कार्यक्रमों के लिये ऋण-प्राप्ति में सुविधा हो । जहां हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कारण हैं जिन से विशेष रूप से उत्पादन के कार्यक्रमों के लिये, कृषकों के लिये ऋण देने में बाधा उत्पन्न होती है, तो हम उन कारणों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तथा हम कृषकों के लिये अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं । जहां तक ऋण-परिषद् में कृषकों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, सहकारी क्षेत्र का वहां पहले से प्रतिनिधित्व है और सहकारी क्षेत्र न्यूनाधिक कृषकों का ही प्रतिनिधि है ।

Dr. Govind Dass : It had been a convention here that the Hindi speaking Ministers used to reply in Hindi language. I went to know since when this new system has been started.

अध्यक्ष महोदय : शांति, श्री समर गुह ।

श्री समर गुह : यद्यपि "कृषि-ऋण" शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु जिनको हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों का कुछ भी ज्ञान है, उन सब को यह मालूम है कि ये ऋण सुविधायें सब श्रेणी केकृषकों को नहीं मिलती हैं, बल्कि केवल बड़े बड़े जोतेदारों तथा उस प्रकार के कृषकों को मिलती हैं, जिनके पास बहुत सी भूमि है ; तथा इस सम्बन्ध में बहुत ही कठोर तरीके तथा नियम एवम् विनियम होने के परिणामस्वरूप थोड़ी-थोड़ी भूमि वाले किसानों को बैंक से इस ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं होती । क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सरकार यह देखेगी कि किसानों और छोटे छोटे कृषकों को भी रिजर्व बैंक से इस ऋण का लाभ मिल सके । और दूसरे, सारे देश में बाढ़ से उत्पन्न गम्भीर स्थिति को देखते हुए, क्या सरकार ऐसी रियायत देगी कि जिन क्षेत्रों के

कृषक ऋण पाने की की शर्तों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, उनको शीघ्रता से ऋण प्रदान किया जा सके ?

श्री जगजीवन राम : यह सच है। परन्तु हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिये कि किसी भी सहकारी संस्था के गठन मात्र से ही, जहां कुछ तत्व बहुसंख्या में होते हैं, स्वभावतः ही वहां ऋण के वितरण के बारे में अधिक लाभ उन्हीं को पहुंचता है, जो तत्व उस सहकारी संस्था का नियंत्रण करते हैं। इसका परिणाम अधिकतर यही हुआ है कि छोटे किसानों को सहकारिता ऋण का लाभ उतना नहीं हुआ, जितना उनको होना चाहिये था। विशेषकर जहां सहकारिता का विकास नहीं हुआ है वहां यह कठिनाई अधिक है। इसीलिये हम कृषि-ऋण सहकारिताओं की स्थापना का विचार कर रहे हैं और इस संबंध में एक विधेयक पेश कर दिया गया है। आयोजना आयोग द्वारा उठाया गया दूसरा क़दम यह है कि व्यापारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, कृषि वित्त निगम तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराया जाये ताकि बड़े किसानों का सहकारिताओं के ऊपर से भार कम हो तथा सहकारिताओं से उपलब्ध ऋण का अधिकाधिक लाभ छोटे किसानों को हो। परन्तु उस में कुछ समय लगेगा।

Dr. Govind Dass : I had only invited your attention to the fact that it had been the convention here that the question in Hindi were replied to in Hindi by the Hindi speaking Ministers. But now this convention is being violated.

Shri Jagjivan Ram : It is not being violated. I am also as much a lover of Hindi as you claim to be.

Shri D. N. Tiwary : There are small artisans in the villages who make utencils for the farmers use and they don't have any land. Therefore, what are the arrangements to provide them with loans under Co-operatives ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इस प्रश्न का मेरे मंत्रालय से अधिक संबंध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उत्तर अंग्रेजी में क्यों दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : सभा में प्रत्येक सदस्य हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बोल सकता है।

श्री शिव नारायण : यदि अंग्रेजी बोलते हैं तो सही बोलनी चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं यह कह रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्पकारों, व्यापारियों तथा विभिन्न व्यवसायों के लिये अनेक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

कांडला उर्वरक कारखाना

*95. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला उर्वरक कारखाने के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या विदेशी सहयोग कर्ताओं के साथ कोई समझौता हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक तथा विकास सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) कारखाने के लिये स्थान चुन लिया गया है और सर्वेक्षण चल रहा है । निश्चायक इंजीनियरी अध्ययन भी शुरू हो गया है ।

(ख) और (ग). समझौते के बारे में अभी बात चीत चल रही है ।

श्री र० बरुआ : यह प्रश्न इस मंत्रालय से कैसे सम्बद्ध है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह एक सहकारी उर्वरक कारखाना है ।

Shri Vishwanath Pandey : May I know the names of the foreign collaborators, who offered collaboration ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : अमरीका की कोपरेटिव फर्टीलाइज़र इन्टरनेशनल नामक फर्म द्वारा सहयोग दिया जा रहा है ।

Shri Vishwanath Pandey : Is there any country other than America, which offered collaboration; if so, is such an offer being considered ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने अमरीका की सहकारी समितियों से बातचीत की थी और वे सहयोग देने तैयार हो गये हैं ।

श्री तु० मू० सेट : निर्माण-कार्य वस्तुत: कब शुरू होगा ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : समझौता हो जाने के बाद तीन वर्ष पश्चात् संयंत्र चालू होगा ।

Shri O P Tyagi : May I know whether there are no scientists or technicians here in India; if so, the reasons for negotiating for technical collaboration with U.S.A. ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : अपने देश में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं का हम पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी कम है उन में हम अमरीकियों का सहयोग ले रहे हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू: इस उर्वरक कारखाने के लिये सहकारी समितियों ने कुल कितना धन दिया है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी: अंशगत पूंजी 27 करोड़ रुपये है । इस में से देश की सहकारी समितियों और भारत सरकार द्वारा 1:2 के आधार पर अंश खरीदे जायेंगे । सहकारी समितियों का अंशदान लगभग 9 करोड़ रुपये होगा ।

श्री मनुभाई पटेल : इस में उर्वरकों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा और उससे किन किन राज्यों की आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इस में प्रतिवर्ष 318,500 टन अमोनिया, 283,200 टन यूरिया तथा 637,000 टन मिश्रित उर्वरक तैयार होगा और उसका वितरण, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और आन्ध्र तथा मैसूर के कुछ भागों में किया जायेगा ।

श्री बी० सूर्यनारायण : इस सहकारी उर्वरक संयंत्र के प्रबन्ध के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशकों के नाम क्या हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : 13 निदेशक और एक प्रबन्धक निदेशक पहले ही नियुक्त किये जा चुके हैं। उन के नाम ये हैं : भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ, नई दिल्ली के श्री उदयभान सिंह जी—वह अध्यक्ष हैं— श्री बी० एन० पुरी, श्री राव दलीप सिंह, श्री कन्हाई सिंह, श्री एम० एल० चौधरी, श्री एस० जी० ए० नायड़, श्री बी० आर० पवार, श्री आर० पी० गोयन्का, श्री वी० एन० कस्तूरीरंगन, श्री वैद्यनाथन्, श्री रामस्वामी अय्यर और पॉल पोथन ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the date by which this plant will be commissioned, the production capacity thereof and the rates at which the products will be disposed of ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

श्री नारायण रेड्डी : अमरीकी अधिकारियों ने देश के अनेक स्थान देखे और इस कारखाने की स्थापना के लिये कांडला को चुना । कांडला का चयन करते समय किन किन बातों का विचार किया गया था ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : अमरीकी विशेषज्ञों के दल ने 1966 में सम्पूर्ण देश का दौरा किया था और इसके लिये कांडला को चुना था।

श्री नारायण रेड्डी : इस स्थान को किन कारणों से चुना गया है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Delhi Milk Scheme

*96. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of milk produced by the Delhi Milk Scheme per day and the quantity of milk collected by the Scheme from outside ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : Delhi Milk Scheme does not produce any Milk on its own but purchases all its requirements from rural areas in Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan. A statement indicating average quantity of Milk per day procured by the Scheme from month to month during the last 12 months is laid on the Table.

Statement

Month	Average Quantity produced per day in litres
July, 1967	1,35,340
August, 1967	1,49,846
September, 1967	1,59,640
October, 1967	1,31,623
November, 1967	1,65,238
December, 1967	1,90,385
January, 1968	1,77,156
February, 1968	1,89,925
March, 1968	1,93,105
April, 1968	1,42,607
May, 1968	1,21,007
June, 1968	1,34,959

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know the number of employees working in Delhi Milk Scheme and the annual amount being spent on their salaries etc. and whether it is a fact that DMC is not in a position to cater to the needs of the citizens in respect of milk and the applications of thousands of new customers are being rejected on the ground that there is shortage of milk ? Is it also a fact that DMC is running at a loss ; if so, the reasons therefor ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने अनेक बातें पूछी हैं तथा उन में से कुछ के लिये सूचना अपेक्षित है। परन्तु यह सच है कि दूध की मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक है। हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों से इस समय लगभग 2,26,000 लिटर दूध एकत्र करते है, जो दिल्ली में प्रतिदिन वितरित किया जाता है। दूध की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और हम यह प्रयास कर रहे है कि उपरोक्त क्षेत्रों में पशु विकास सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ किया जाये।

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know whether Delhi Milk Scheme will make arrangements for its own cattle farm ; whether the Milk supplied by D.M.C. is pure or adultrated and whether its officers misappropriate funds on the plea that thousands of bottles are broken every month ; and the reasons why D.M.C. continued extracting cream out of the milk even during the ban period ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो दूध दिल्ली में बांटा जाता है वह शुद्ध और मानकीकृत होता है। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती।

Shri Manubhai J. Patel : May I know the kinds of cattle which are there in the dairy farm of DMC and whether it supplies cow-milk also ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिल्ली दुग्ध योजना दूध एकत्र करती है, उसके पास दूध देने वाले कोई अपने पशु नहीं हैं। अधिकतर भैंस का दूध एकत्र किया जाता है। राजस्थान से गाय का दूध प्राप्त होता है जो अलग से बांटा जाता है। गाय के दूध में पांच प्रतिशत चिकनाई छोड़ दी जाती है, उसे पास्चुरीकृत तथा मानकीकृत करके वितरीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त टोंड और डबल टोंड दूध भी बांटा जाता है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the reasons why Delhi Mailk Scheme is not having its own cattle-farm on the pattern of Array Milk Colony, Bombay ; and why the ban on making Khoya out of milk was imposed in the above mentioned milk procurement areas in contravention of the fundamental rights of the milk producers, who have full rights for selling their milk in milk form or Khoya form ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : I think the hon. Minister is perhaps not aware of the fact that the ban has been lifted from the 15th July 1968. We always put a limit on a number of fundamental rights of the people. While sitting in the Home. Such a ban is necessitated in summer season to avoid the shortage of milk and to make the minimum milk supply available even during summer season.

As far as the breeding of cows and buffalows is concerned, we have no intention to have a cattel farm for Delhi Milk Scheme. We are gathering experience from the Array Milk Scheme, Bombay. It has its own cattle farm. Even then it has to procure milk from the adjacent areas to cater to the milk needs of Bombay. In Delhi we are trying to have cattles of better qualities in the said milk area instead of having cattles in dairy itself. Such an arrangement will serve our purpose.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास

*97. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 के श्रीमावो-शास्त्री समझौते के अन्तर्गत श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारत मूलक लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार ने चाय और रबड़ बागान की बहुत सी योजनायें मंजूर की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना की कुल लागत (रु० लाखों में)	रोजगार संभाव्य (व्यक्ति)
1	सुल्लिया के निकट दक्षिण कनाड़ा जिला (मैसूर) में 8,000 एकड़ भूमि पर रबड़ बागान का बिकास	275.137	2668
2	नीलगिरी जिला (मद्रास) में 750 एकड़ भूमि पर चाय बागान का विकास	92.711	800
3	कच्चल द्वीप (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह) में 6,000 एकड़ भूमि पर रबड़ बागान का विकास	450.000	2400

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

98 **श्री श्रीधरण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उर्वरकों के मूल्य बढ़ गय ह ;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को केरल सरकार से उर्वरकों के मूल्य कम करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां, अमोनिया सलफेट, यूरिया और यूरिएट आफ पोटाश की 'पूल' कीमतों में 1-4-68 से वृद्धि की गई है।

(ख) उक्त तीनों उर्वरकों के मूल्य 1-4-68 से पहले और इसके पश्चात् इस प्रकार थे :—

उर्वरक का नाम	1-4-68 से पहले राज्य के लिये प्रति मीट्रिक टन 'पूल' मूल्य	1-4-68 से प्रति मीट्रिक टन पूल मूल्य	वृद्धि	वृद्धि की प्रतिशतता
	रुपये	रुपये	रुपये	
1. यूरिया	760	780	20	2.63
2. (i) अमोनिया सलफेट 100 किलोग्राम पैकिंग	437	447	10	2.29
(ii) अमोनिया सलफेट 50 किलोग्राम पैकिंग	448	458	10	2.23
3. यूरियेट आफ पोटाश	405	445	40	9.88

मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं :—

(एक) 'पूल' के घाटे में कमी करने के लिये प्रयत्न; और

(दो) यूरियेट आफ पोटाश पर से राज सहायता हटाना।

(ग) देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने के कई उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

'SURRA' Disease

*99. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that camel is the basic means of transport in rural areas in Rajasthan;

(b) whether it is also a fact that the medicine for the treatment of 'Surra' disease mainly breaking among camels is scarce in India and Government have not permitted the Rajasthan Government to import this medicine ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, in the desert areas.

(b) it is a fact that the medicine for treatment of 'Surra' is some times not easily available. Foreign Exchange to the tune of Rs. 24,000 has been released to the Government of Rajasthan for importing drugs against 'Surra'.

(c) Does not airse.

समान व्यवहार संहिता

100. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री बलराज मधोक :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या हाल में राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा किये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी भारतीयों के लिये व्यवहार संहिता बनाने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने इस मामले पर विचार नहीं किया ।

पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात

*101. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री रवि राय : **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह अनुरोध किया है कि अगले तीन वर्षों में रियायती शर्तों, जैसे कि पी० एल० 480 आदि, के अन्तर्गत खाद्यान्न का सभी प्रकार का आयात समाप्त कर दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) योजना आयोग का यह विचार है कि आगामी तीन वर्षों में पी० एल० 480 आदि जैसी रियायती शर्तों के अधीन खाद्यान्न का सभी प्रकार का आयात बन्द कर दिया जाए ।

(ख) सरकार योजना आयोग के इस विचार का स्वागत करती है और 1970–71 के बाद खाद्यान्नों का रियायती आयात करने की उम्मीद नहीं है।

योजना आयोग के दल द्वारा आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

102. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का एक स्थायी दल आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों के सूख ग्रस्त क्षेत्रों में इस बात का अनुमान लगाने के लिये गया था कि उन क्षेत्रों के लिये कितनी सहायता की आवश्यकता है ;

(ख) क्या आयोग ने कोई प्रतिवेदन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अधिकारियों का एक दल इस वर्ष सूखे की स्थिति तथा सहायता कार्यों के लिये अपेक्षित धन का अनुमान लगाने के लिये आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मैसूर राज्यों में रखा गया था ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा जाने वाले दलों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । मैसूर के बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तथा अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

(ग) चालू वर्ष में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों पर व्यय के लिये इन तीन राज्यों के लिये निम्नलिखित राशि मंजूर की गई है :—

	(करोड़ रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	3.00
मैसूर	1.00
उड़ीसा	1.50

और अधिक सहायता देने के लिये किये गये वास्तविक व्यय तथा केन्द्रीय दलों की सिफ़ारिशों के आधार पर इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

उद्योगों में इंजीनियरों की नियुक्ति

*103. श्री य० म० प्रसाद :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री वीरेन्द्र नाथ देव :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत बिजली का प्रयोग करने वाले उद्योगों के लिए अर्हता-प्राप्त इंजीनियरों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस योजना के फलस्वरूप कितने इंजीनियरों के नियुक्त किये जाने की आशा है ; और

(घ) इस योजना के कब तक लागू हो जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) से (घ), इंजीनियरों को बढ़े हुए रोजगार अवसर प्रदान करने के, मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित उपायों में से एक, ऐसे कारखानों के लिए जो बिजली द्वारा चालित हों और विशेष संख्या से अधिक कामगर काम कर रहे हों, अनिवार्य बनाना है कि अर्हता प्राप्त इंजीनियर को नियुक्त किया जाये । ताकि व्यवस्था सम्बन्धी कुशलता और तकनीकी स्तर को ऊंचा बनाये रखा जा सके । सम्बन्धित मंत्रालयों से इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

भविष्य निधि की बकाया राशि

104. श्री अनिरुद्दन :
श्री राममूर्ति :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बटूर में पंकज मिल्स और टैक्सटाइल कम्पनी लिमिटेड की ओर फरवरी, 1966 से लेकर आज तक भविष्य निधि की क्रमश: 5.18 लाख रुपये और 22.81 लाख रुपये की राशियां बाकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) 30 अप्रैल, 1968 को पंकज मिल्स की ओर 5.72 लाख रु० और टैक्सटाइल कम्पनी लिमिटेड की ओर 18.21 लाख रु० की राशि बकाया थी ।

(ख) इस बकाया राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी गई है । अभियोजन के प्रस्तावों पर राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केरल को आवंटित किया गया गेहूं

*105. श्री नायनार :
[श्री प० गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 1968 के दूसरे सप्ताह के बाद केरल को दिये जाने वाले गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केरल सरकार को राज्य सहायता देने पर विचार कर रही है ताकि वह गेहूं के बढ़े मूल्य से होने वाली हानि पूरी कर सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भंडार से केरल सहित सभी राज्य सरकारों को सप्लाई के किये गये गेहूं के निर्गम मूल्य संशोधित किये गये हैं। क्योंकि ये संशोधित मूल्य एकीकृत आधार पर निर्धारित किए गए हैं अर्थात् देसी और आयातित गेहूं की समान किस्मों के लिए एक ही निर्गम मूल्य निर्धारित किए गए हैं, इस से आयातित गेहूं के किस्मों के निर्गम मूल्य में वृद्धि हो गई है ।

(ख) क्योंकि संशोधित निर्गम मूल्य केरल सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, इसलिए कोई हानि नहीं हो सकती है और इससे राज सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति

*106. श्री वि० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :
श्री अब्राहम :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में गम्भीर खाद्य स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल में खाद्य-स्थिति गम्भीर नहीं है अपितु वह भली भांति नियंत्रण में है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

कृषि विकास के लिये ऋण

*107. श्री मंगलायुमाडोम : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया बैंकर एसोसिएशन की हाल की एक बैठक में भविष्य में कृषि के अग्रेतर विकास के लिए देश में छोटे बैंकों तथा सहकारी समितियों को अधिक कृषि ऋण देने के बारे में निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरियाणा में कृषि फार्म

†108. श्री अब्दुल गनी डार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा की उस भूमि पर, जो मिले जुले पंजाब के सच्चर मंत्रिमंडल द्वारा राजनैतिक पीड़ितों को दी गई थी, कृषि फार्म बनाने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन व्यक्तियों ने इस नीति का विरोध किया है और यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इन राजनीतिक पीड़ितों को इस हानि के लिये मुआवजा दिया जा रहा है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे): (क) केन्द्रीय राजकीय फार्म की स्थापना के लिये हिसार में राज्य सरकार के पशुधन फार्म के क्षेत्र में से लगभग 15,000 एकड़ क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार को सौंपने के लिए हरियाणा सरकार के साथ हाल ही में पत्र-व्यवहार पूरा हो चुका है । यह भूमि हरियाणा सरकार की है और केन्द्रीय राजकीय फार्म के लिए प्रस्तावित भूमि का कोई भाग राजनैतिक पीड़ितों के कब्जे में नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नेवेली लिग्नाइट परियोजना में छंटनी

*109. श्री रमानी :
श्री उमानाथ

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी , 1966 से 31 दिसम्बर, 1967 के दौरान नेवेली लिग्नाइट परियोजना में 1405 मजदूरों की छंटनी कर दी गई है ।

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अन्य सरकारी उपक्रमों में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध किया गया है ;

(ग) कुल मजदूरों की संख्या कितनी है और उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन में रोजगार उपलब्ध किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनको वैकल्पिक रोजगार दिलाने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1405 कामगारों में से, 85 सिविल इंजीनियर, 42 कुशल कामगार और शेष 1278 अकुशल कामगार थे। 85 इंजीनियरों और 42 कुशल कामगारों में से 49 इंजीनियरों और 4 कुशल कामगारों को निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में वैकल्पिक रोजगार दिलाया गया है :—

1. सीमा सड़क संगठन	32
2. ट्राम्बे हाउसिंग परियोजना	8
3. औद्योगिक विभाग, मद्रास	3
4. नैवेली लिग्नाइट परियोजना	15

(घ) अकुशल कामगार जो अधिक संख्या में छंटनी में आये थे प्रायः अपने गांवों में लौट गये हैं और खेती-बाड़ी में लग गये हैं। इसी प्रकार कुछ इंजीनियर और कुशल कामगर भी बिना नियुक्ति सहायता मांगे परियोजना स्थान छोड़ कर चले गए हैं।

बेरोजगारी

*110. **श्री वी० चं० शर्मा :** **श्री स० कुण्डू :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री हेमराज :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 को देश में पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बढ़ती बेरोजगारी की संभावनाएं कम नहीं हुई हैं यद्यपि गत वर्षों में अनेक रोजगार-धन्धे बनाये गये हैं। और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। नियोजन कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी, 1968 को नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 10,87,371 पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे।

(ख) जी हाँ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों को इस ढंग से बनाया गया है कि बेरोजगार व्यक्तियों, जिन में पढ़े-लिखे लोग भी हैं, को बढ़े हुए रोजगार अवसर प्राप्त हो सकें।

औद्योगिक कर्मचारियों को परिवार पेंशन

*111. श्री नम्बियार : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 4 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1073 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक कर्मचारियों को परिवार पेंशन सम्बन्धी कार्यकारी दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० बु० अमीर) : (क) कार्यकारी दल की रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Dandakaranya Project

*112 **Shri Rameshwar Singh :** Will Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to utilise the machinery worth Rs. 42.72 lakhs lying idle in Dandakaranya at present at some other place ; and

(b) if so, where and when ?

The Dupty Minister in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) The Audit had reported that machinery and equipment worth Rs. 42.70 lakhs, out of total value of Rs. 6.32 crores, purchased by the Dandakaranya Development Authority during the period 1959—64 had remained unutilised for periods ranging from 2 to 5 years. Machinery remains idle due to various reasons *inter alia* such as breakdown, want of spare parts etc. The position remains changing from time to time. Machinery worth Rs. 42.70 lakhs is not lying idle at present in Dandakaranya. A review in December 1967 made by the Project Administration disclosed that machinery only worth Rs. 5.25 lakhs was surplus to the requirements of the Project at that time. Instructuions have been issued to the Project Administration to take steps for the disposal of surplus items. 38 items of machinery considered surplus have already been declared to Directorate General of Supplies & Disposal for disposal. Action is under way in respect of the remaining surplus items.

पश्चिम बंगाल में मध्यावधि निर्वाचन

*113. श्री नि० रं० लास्कर : श्री जुगल मण्डल :
श्री चपला कांत भट्टाचार्य : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवराव पाटिल : श्री समर गुह :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राजनैतिक दलों ने मांग की है कि पश्चिमी बंगाल में होने वाले मध्यावधि निर्वाचनों की तारीख नवम्बर से किसी अन्य तारीख के लिये बदल दी जाय;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तारीख बदलने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ग) अब मध्यावधि निर्वाचन कब कराये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) मध्यावधि निर्वाचन नवम्बर 1968 में कराये जाने के लिए सहमत होने वाले 24 राजनैतिक दलों में से केवल दो दल ऐसे हैं जिन से निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन मिले हैं जिन में यह मांग की गई है कि मध्यावधि निर्वाचनों की तारीख नवम्बर से किन्हीं और तारीखों के लिये बदल दी जाएं। यह दो दल हैं, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्र पार्टी, पश्चिम बंगाल ;

(ख) और (ग) : पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल और 24 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के पश्चात् हुई सहमति के अनुसार निर्वाचन आयोग ने अस्थायी रूप से विनिश्चय किया है कि मध्यावधि निर्वाचन नवम्बर 1968 में कराये जाएं।

चूंकि निर्वाचनों की तारीखें नियत करना निर्वाचनों के संचालन का अभिन्न और आवश्यक अंग है और तारीखें नियत करने की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है अतः निर्वाचन आयोग के कार्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

कम मूल्य की टिकटों का न मिलना

†114. **श्री हेम राज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न स्थानों पर यह शिकायत की गई है कि सामान्यतया कम मूल्य की टिकट नहीं मिलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) डाक-टिकटों का काफी स्टाक छाप कर देश भर में खजानों को भेज दिया गया है। अब आमतौर पर हालत संतोषजनक है।

खाद्यान्न की वसूली तथा संग्रह व्यवस्था

*115 **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा की गेहूं की अच्छी फसल को इकट्ठा करने और उसका भण्डार बनाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अनाज को रखने के लिये गोदाम न होने के कारण मई-जून 1968 में पश्चिम रेलवे के कांडीवली और सूरत के रेलवे यार्डों में खाद्यान्न से भरे सैकड़ों माल डिब्बे खड़े थे ;

(ग) क्या सरकार गेहूं के लादे जाने पर से सभी प्रतिबन्ध हटायेगी क्योंकि निकट भविष्य में स्वीकृत किस्म के गोदामों का निर्माण करना सम्भव नहीं है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पंजाब में गेहूं की अधिप्राप्ति राज्य सरकार, पंजाब विपणन बोर्ड तथा भारतीय खाद्य निगम कर रहा है और हरियाणा में राज्य सरकार कर रही है। इन राज्यों में अधिप्राप्त अन्न को बाहर भेजने का कार्य भारतीय खाद्य निगम कर रहा है। केवल पंजाब में ही 17 जुलाई तक कुल अधिप्राप्ति 127 लाख मीटरी टन की थी जब कि मंडियों में कुल आमद 13.9

लाख मीटरी टन था। हरियाणा में कुल 2.03 लाख मीटरी टन खाद्यान्न अधिप्राप्त किया गया था। दोनों राज्यों में अधिप्राप्त कुल खाद्यान्नों में से 6 लाख मीटरी टन से अधिक खाद्यान्न इन राज्यों के गोदामों में रख दिया गया है और शेष देश के अन्य भागों को सीधे खपत के लिए अथवा अन्य राज्यों के गोदामों में रिजर्व के रूप में रखने हेतु भेज दिया गया है।

(ख) यह सही नहीं है कि गोदाम न होने के कारण कांडीवाली रेलवे यार्ड में माल के डिब्बे खड़े थे। कांडीवाली में माल डिब्बों का यह जमाव, डिब्बों के अचानक इकट्ठे हो जाने तथा मजदूरों की कमी होने के कारण अस्थायी तौर पर था। सूरत में यह जमाव महाराष्ट्र के अन्य स्थानों को जाने वाले माल डिब्बों के खड़े होने के कारण था।

(ग) और (घ): उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते। फिलहाल सरकार और पब्लिक सैक्टर में पर्याप्त गोदाम हैं और कुछ राज्यों की स्थानीय कमी को स्वीकृत टाइप के और गोदामों का निर्माण कर पूरा किया जा रहा है।

गौरक्षा सम्बन्धी समिति

116. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री वीरेश्वर कलिता :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरक्षा समिति में समिति के सरकारी सदस्यों और गौरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधि सदस्यों में मतभेद होने के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) समिति द्वारा सरकार को कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) सरकार को किसी ऐसे गतिरोध का पता नहीं है। समिति की आगामी बैठक 5 अगस्त, 1966 को हो रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) आशा है समिति 28 दिसम्बर, 1968 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

अनाज के लाने और ले जाने पर से पाबंदी का हटाया जाना

*117. **श्री एस० पी० राममूर्ति :**
श्री बीचन्द गोयल :
श्री स्वतन्त्र सिंह कौठारी :
श्री कु० मा० कौशिक :
श्री जी० एस० रेड्डी :
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में अनाज के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार चालू वर्ष में अत्यधिक फसल होने के कारण अनाज के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध और नियंत्रण हटाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और यदि हां, तो इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) वर्ष 1967-68 में विभिन्न अनाजों के उत्पादन का अखिल भारतीय अनुमान निम्नलिखित है :—

	(लाख टनों में आंकड़े)
चावल	37.9
गेहूं	16.6
अन्य अनाज	28.9
दालें	12.2
कुल	95.6

(ख) और (ग) सितम्बर 1967 में हुई मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार अधिक से अधिक अनाज की वसूली और रक्षित भंडार बनाने के लिए खाद्यान्न पर नियंत्रण जारी रखना आवश्यक है । इस प्रकार के नियंत्रण की नीति समय-समय पर हुई मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उन के साथ परामर्श द्वारा बनाई जाती है । इस प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों के अगले सम्मेलन में, जो कि आने वाली खरीफ की फसल से पहले होगी, फिर से पुनः विचार किया जायेगा । इस अवधि के बीच में क्षेत्रीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाना वांछनीय नहीं होगा।

निर्वाचन सम्बन्धी नियम

*118. **श्री यशवन्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधि द्वारा यह विहित करने का है कि राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने के बाद यथासम्भव तीन महीनों के अन्दर मध्यावधि निर्वाचन किये जाने चाहिएं ;

(ख) क्या मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भी प्रतिवर्ष करने का विचार है ताकि वर्ष में किसी भी समय निर्वाचन कराने का आदेश दिया जा सके ;

(ग) क्या ये प्रस्ताव राज्य सरकारों तथा निर्वाचन आयोग को उन के विचार जानने के लिये भेजे गये हैं ; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख): ऐसी कोई प्रस्थापनाएं सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में खाद्य आन्दोलन

*119. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण खाद्य क्षेत्र को पुनः स्थापित किये जाने के लिये केरल में आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस क्षेत्र को पुनः स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) गेहूं के लिये चारों दक्षिणी राज्यों का एक क्षेत्र है । चावल के लिये प्रत्येक राज्य का अलग पृथक क्षेत्र है । सितम्बर, 1967 में हुये सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों ने यह महसूस किया कि अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति करने के लिये वर्तमान प्रणाली को चलते रहने दिया जाए। आगामी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में खाद्य क्षेत्रों के प्रश्न की समीक्षा की जाएगी। यह सम्मेलन अगली खरीफ की फसल कटने से पहले होगा । मौसम के मध्य में क्षेत्रीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना वांछनीय नहीं होगा ।

Price of Wheat in Bihar

*120 **Sri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of imported wheat being sold at ration shops in Bihar have been increased ;

(b) whether it is also a fact that the price of red wheat has been increased from 76 paise to 80 paise per kilo and that of white wheat from 76 paise to 1·11 paise per kilo;

(c) if so, the reasons for keeping so much difference in the prices of both types of wheat;

(d) whether the former Government of Bihar had opposed this increase in prices; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. There has been an increase in the retail issue prices of imported wheat in Bihar as also in other states by Rs. 3.00 per quintal in case of imported red wheat and by Rs. 23.00 per quintal in case of imported white wheat *w.e.f.* 1-6-1968 consequent upon the corresponding increase in the Central Government issue prices of these varieties of wheat.

(c) As the Central Government revised issue prices of wheat supplied to various States effective from 17-6-1968 have been fixed on a pooled basis *i. e.* the same issue prices have been fixed for the comparable varieties of indigenous and imported wheat, there thus happened to be a wide difference between the issue prices of red and white varieties of wheat on aecount of

consumer's preference for the white vari ty of wheat and low marketability of red variety of wheat.

(d) and (e) The State Government only pointed out the inability of the Bihar consumers to purchase white wheat at higher prices and requested the supply of low priced red wheat only. This request of the State Government will be kept in mind while making allocations.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

मेहतरों की सेवा शर्तें

757. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन के मंत्रालय ने हाल ही में इस बात का पता लगाने के लिए एक समिति बनाई थी कि मेहतरों की काम की शर्तों सम्बन्धी मलकानी समिति की सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सफ़ाई कर्मचारियों और मेहतरों के कार्य और सेवा शर्तों का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई है । यह समिति अन्य बातों के साथ केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड की मलकानी समिति द्वारा एकत्र की गयी सामग्री का भी अध्ययन करेगी तथा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के काम का भी पुनरीक्षण करेगी ।

(ख) समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

जाली मनीआर्डर

758. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ डाक कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से छोटे-छोटे दुकानदारों को जाली मनीआर्डरों का भुगतान कराया गया ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने मामले हैं जिस में निर्दोष प्राप्तकर्ताओं को मनीआर्डर का भुगतान किया गया और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं ;

(ग) अब तक, राज्य-वार, कितने डाक कर्मचारियों पर विभाग द्वारा आरोप (चार्ज शीट) लगाये गये हैं ।

(घ) विभाग को जाली मनिआर्डरों के कारण पिछले वर्ष कुल कितने रुपयों की हानि हुई ; और

(ङ) इस धोखाधड़ी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख)

भुगतान करने वाले राज्य का नाम	जाली मनीआर्डरों का संख्या	बाहरी व्यक्तियों की संख्या	विभागीय कर्मचारियों की गिरफ्तारियां
आसाम	6	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दिल्ली	15	4	कुछ नहीं
हरियाणा	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं
मद्रास	8	2	1 अतिरिक्त विभागीय
मध्य प्रदेश	26	कुछ नहीं	कुछ नहीं
महाराष्ट्र	1	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पंजाब	4	कुछ नहीं	1
राजस्थान	19	कुछ नहीं	1
उत्तर प्रदेश	23	कुछ नहीं	1
पश्चिमी बंगाल	25	1	2

गुजरात, आंध्र, जम्मू व काश्मीर, बिहार, केरल, मैसूर, नागालैंड और उड़ीसा राज्यों में ऐसे मामले नहीं हुए हैं।

(ग) आसाम 8
मद्रास 29
राजस्थान 1
पश्चिमी बंगाल 1

(घ) 24,595.29 रुपये।

(ङ) भुगतान के लिए प्राप्त मनीआर्डरों की सख्त निगरानी रखने, उचित सतर्कता बरतने और उनकी बारीकी से जांच करने के संबंध में हिदायतें जारी कर दी गई हैं। संदिग्ध मामलों में मनिआर्डर जारी करने वाले कार्यालय से तार द्वारा उसकी असलियत की पड़ताल करने के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिये।

गन्ने की काश्त के अन्तर्गत भूमि

759. **श्री राणे**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सारे भारत में कुल कितनी भूमि में गन्ने की काश्त की गई और वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के आंकड़ों की तुलना में यह कम है अथवा अधिक ; और

(ख) चालू वर्ष के लिये चीनी के उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के मौसम में कितनी भूमि में गन्ने की फसल होगी, इसका

अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता । पिछले तीन वर्षों में गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र इस प्रकार थे :—

वर्ष	अनुमानित क्षेत्र (हजार हेक्टर)
1967–68 . . .	2,050
1966–67	2,328.8
1965–66	2.779.7

(ख) चालू वर्ष (1967-68) में चीनी के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । अनुमान है कि इस वर्ष कुल उत्पादन 22 5 लाख मीटरी टन होगा ।

खाद्यान्नों की वसूली

760. **श्री राणे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसानों से इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनको भारत के खाद्य निगम के अधिकारियों तथा उनके एजेन्टों द्वारा खाद्यान्नों के पूरे मूल्य नहीं दिए जाते है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों से; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी और उनके एजेन्ट किसानों को उनके खाद्यान्नों के पूरे मूल्य नहीं देते हैं ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को अधिप्राप्ति मूल्य मिले और विशेष कर, शिकायत के विशिष्ट मामलों पर ध्यान दें ।

कृषि मूल्य आयोग

761. **श्री गा० सं० मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में सरकार किन सिद्धान्तों का अनुसरण करती है; और

(ख) इस आयोग में कृषकों के हितों को प्रतिनिधित्व न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) कृषि मूल्य आयोग एक विशेषज्ञ निकाय है और आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के समय इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि आयोग के विचारार्थ विषयों के बारे में उनकी कितनी योग्यता है ।

(ख) आयोग को सलाह देने के लिए देश के विभिन्न फसल प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसानों के पैनल द्वारा किसानों के हितों को पहले ही ध्यान में रक्खा जा रहा है। किसानों का पहला पैनल सितम्बर, 1965 में बनाया गया था। यह एक वर्ष की अवधि के लिए जुलाई, 1966 में पुनः बनाया गया जिसमें विभिन्न फसल प्रदेशों से लिए हुए 12 किसान सदस्य बनाए गए। यह पैनल अब फिर बनाया जा रहा है।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा मूल्यों का निर्धारण

762. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के मूल्य किस आधार पर निर्धारित किये गये हैं और इस प्रयोजन के लिये क्या सूत्र निकाला गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों, जहां काफी अच्छी फसल हुई है, वहां मूल्य इस आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों से काफी नीचे गिरे हैं, जिस कारण किसानों को भारी हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन में मूल्य इस आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों से नीचे गिरे हैं तथा मूल्यों की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मूल्य अभिस्तावित करने समय, कृषि मूल्य आयोग उत्पादन लागत के अन्तर, फसल की सम्भावनाओं, मौसमी हालात और कृषकों को प्रोत्साहन देने की बात को ध्यान में रखता है। अधिशेष राज्य है अथवा कमी वाला और संभावी खुले बाजार के मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी तेल कम्पनियों में कर्मचारियों की छंटनी

763. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विदेशी तेल कम्पनियां अपने कर्मचारियों की निश्चित समय से पहले और कभी कभी आपस में हुए समझौतों की शर्तों के विरुद्ध छंटनी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है और इस सम्बन्ध में इन कम्पनियों के प्रबन्धकों के साथ बातचीत की है;

(ग) उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इन कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये सरकार ने और क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को कुछ व्यक्तियों से गैर-सरकारी तेल कम्पनियों में जबरदस्ती और समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें एक व्यक्ति जांच-आयोग को भेजी गई और आयोग इस समय इन मामलों की छान-बीन कर रहा है।

(ख) से (घ). इन कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिएं, इस बारे में सरकार जांच आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर विचार करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन

764. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के किन विभिन्न आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाता है ;

(ख) ये बातें किसी ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन की आर्थिक व्यवहारिकता पर कैसे प्रभाव डालती हैं;

(ग) सरकार सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की मंजूरी देने से पहले किन पूर्वापेक्षताओं की अपेक्षा करती है;

(घ) देश में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं और उनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सब से कम सार्वजनिक टेलीफोन हैं और यह सुविधा उन स्थानों पर भी, जो प्राकृतिक संसाधनों में सम्पन्न हैं और जहां कृषि की पूरी क्षमताएं हैं, नहीं दी गई हैं; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वहां संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). आमतौर पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर का खोलना लाभ कारी योजना पर निर्भर करता है यदि प्रस्ताव में हानि की संभावना होती है तो हानि की पूर्ति के लिए किसी इच्छुक पार्टी की गारंटी की आवश्यकता होती है ।

फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरोत्तर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग ने, प्रशासनिक महत्व/जनसंख्या आदि का ध्यान रखते हुए कुछ श्रेणियों के स्टेशनों पर सीमित हानि के आधार पर भी सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति बनाई है ।

(घ) सभा-पटल पर विवरण-पत्र रखा जाता है ।

विवरण

(घ) 1-4-68 को लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या ।

राज्य का नाम	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
1. आन्ध्र	177
2. असम (मेघालय, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा सहित)	144
3. बिहार	300
4. गुजरात	145
5. जम्मू और कश्मीर	29
6. केरल	118

राज्य का नाम	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
7. मध्य प्रदेश	103
8. मद्रास . . .	187
9. महाराष्ट्र . . .	210
10. मैसूर . . .	379
11. उड़ीसा	161
12. पंजाब (हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित)	150
13. राजस्थान	240
14. उत्तर प्रदेश	335
15. पश्चिमी बंगाल . .	138
कुल योग	2526

(ङ) और (च)—मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या सबसे कम नहीं है। यथा संभव ऐसे सभी स्थानों पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है, जो प्राकृतिक साधनों में सम्पन्न है। कृषि की पूरी क्षमता वाले स्थानों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान करना कार्यवत (क), (ख) और (ग) में वर्णित विभागीय नियमों के अधीन मामले के औचित्य पर निर्भर करता है।

बेकार भूमि का वितरण

765. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में समाज के भूमिहीन तथा निर्धन वर्ग के लोगों को कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि के वितरण करने के मामले में, राज्यवार कितनी प्रगति हुई है।

(ख) इस वितरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाइयां या बाधाएं पेश आयी हैं; और

(ग) इस नीति को क्रियान्वित करने में आने वाली कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने के लिये विभिन्न राज्यों ने कौन-कौन सी विधायी तथा प्रशासनिक कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग).

विवरण

(क) बंजर भूमि का भूमिहीन लोगों को राज्यवार वितरण इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	खेती योग्य बंजर भूमि का वितरण (लाख एकड़ों में)	भूदान में प्राप्त हुई भूमि का वितरण (एकड़ों में)
1. आसाम	3.020	509
2. आंध्र प्रदेश	13.090	103,309

राज्य का नाम	खेती योग्य बंजर भूमि का वितरण (लाख एकड़ों में)	भूदान में प्राप्त हुई भूमि का वितरण (एकड़ों में)
3. उड़ीसा	1.663	113,345
4. उत्तर प्रदेश	9.442	201,642
5. केरल	0.484	5,774
6. मद्रास	3.111	21,519
7. दिल्ली	—	180
8. पंजाब	1.679	3,601
9. गुजरात	3.332	50,984
10. महाराष्ट्र	6.407	107,111
11. मध्य प्रदेश	23.457	156,506
12. मैसूर	7.226	3,181
13. पश्चिम बंगाल	1.220	3,898
14. बिहार	5.064	331,842
15. राजस्थान	28.350	84,781
16. हिमाचल प्रदेश	—	2,531
17. जम्मू तथा काश्मीर	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	

(ख) और (ग). ऐसी कोई रुकावटें नहीं हैं; जिनके कारण राज्य सरकार द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित हो। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकारों को इस भूमि के आवंटन में कठिनाई आ रही है जिसे आवंटित करने से पहले इसे खेती योग्य बनाना होगा। केन्द्रीय प्रायोजित एवं जनाओं के अन्तर्गत राज्यों को इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसी भूमि के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम से सहायता मिलती है।

राज्यों के लिए उर्वरकों का नियतन

766. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में तथा वर्ष 1968 में अब तक विभिन्न राज्यों को कितना-कितना उर्वरक नियत किया गया है; और

(ख) देशी तथा विदेशी उर्वरकों का यह स्टाक क्रियान्वित की जा रही है नई कृषि योजनाओं के लिए राज्यों की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे): (क) केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा वितरित किये जाने वाले उर्वरकों का नियतन तिमाही आधार पर किया जाता है। 1968-69 की प्रथम दो तिमाहियों अप्रैल-जून और जुलाई-सितम्बर, 1968 के लिये अभी तक नियतन किया जा चुका है। वर्ष 1967-68 में और 1968-69 की प्रथम दो

तिमाहियों में राज्यों को नाइट्रोजन उर्वरकों का जो नियतन किया गया है उनका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1431/68]

(ख) जी हां।

फार्मों के यंत्रीकरण पर व्यय

767. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में फार्मों के यंत्रीकरण पर प्रति एकड़ होने वाले व्यय का औसत क्या है तथा यह पूंजीगत व्यय किन-किन उपकरणों पर किया गया है;

(ख) सरकार का विचार इस व्यय को किस प्रकार कम करने का है;

(ग) भविष्य में फर्मों के यंत्रीकरण के लिए धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार किन नये साधनों पर विचार कर रही है और उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि यदि किसान अनाज के रूप में अपने लगान आदि का भुगतान करें, तो उनके यंत्रीकरण में पूंजी लगाने में अत्यधिक सहायता मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) द्वितीय योजनावधि में चुने हुए जिलों में किये गये प्रक्षेत्र प्रबन्ध अध्ययनों से पता चला है कि विभिन्न राज्यों में उपकरणों और मशीनों पर .7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक पूंजी व्यय की जाती है। यंत्रीकरण तथा प्रक्षेत्र की मशीनों में लगाई गई पूंजी संबंधी नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है। नीचे दिये गये उपकरणों को देखने से पता चलता है कि किसानों द्वारा मशीनी उपकरणों के प्रयोग में निरन्तर प्रगति हुई है :—

उपकरण	1961	1966	टिप्पणियां
1. ट्रैक्टर	31,016	55,222*	*दिसम्बर 1967 में प्राप्त किये गये आंकड़े
2. तेल से चलने वाले इंजन .	2,29,972	4,65,224*	*(1965-66)
3. बिजली से चलने वाले पम्पिंग सेट	1,60,168	5,14,231	तदेव

(ख) सहकारी समितियों और पंचायत समितियों को कृषि की मशीनें प्राप्त कराने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि छोटे किसान उनका प्रयोग कर सकें। विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये कृषि-उद्योग निगमों को ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जहां से किराये पर मशीनें दी जा सकें।

(ग) भूमि बंधक बैंकों तथा सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को खेती की मशीनें खरीदने के लिये ऋण दिये जा रहे हैं। भारत सरकार ने 11 राज्यों में कृषि-उद्योग निगम स्थापित किये हैं जो किराया-खरीद आधार पर कृषि की मशीनें देंगे। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों को भी, कृषकों को कीमती मशीनें खरीदने हेतु ऋण देने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ). बकाया राशि वस्तुओं के रूप में वसूल करना व्यवहार्य नहीं समझा जाता और उसके लिये प्रशासनिक ढांचा भी काफी बड़ा होना चाहिये। तथापि भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा

निर्धारित मूल्यों पर गेहूं वसूल कर रही है और सबसे मशीनों पर पूंजी विनियोजन बढ़ने की आशा है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि

768. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों द्वारा नई प्रणाली अपनाई जाने से पहले के वर्षों की तुलना में नई कृषि प्रणाली अपनाई जाने के बाद कृषि उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) इस प्रणाली को राज्यवार कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ णासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम का सूत्रपात क्रियात्मक क्षेत्र में 1966-67 में किया गयाजो कि नई कृषि प्रणाली का मुख्य आधार है, किन्तु इसका प्रभाव 1967-68 में प्रत्यक्ष हुआ। 1967-68 में 150 लाख एकड़ का क्षेत्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। उत्पादन क्षमता के परिकलन के लिये जिस मापक का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है कि आधार पर यह अपेक्षा की जाती है कि इसमें 90 लाख टन के उत्पान की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न कर दी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रों के राज्यवार आंकड़ों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है? [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1432/68]

जब तक नई प्रणाली के आधार पर कुछ और अधिक समय तक कार्य नहीं कर लिया जाता तब तक नई प्रणाली द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत नहीं आंक जा सकती। फिर भी, 1963-64 से 1967-68 तक के गत पांच वर्षों में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन निम्न प्रकार से है जिसमें 1967-68 के उत्पादन में नई प्रणाली के प्रभाव की कुछ झलक प्रकट होती है:—

वर्ष	दस लाख टनों में
1963-64	80.6
1964-65	89.0
1965-66	72.0
1966-67	74.2
1967-68	95.6

अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रमों के अतिरिक्त बहुउद्देशीय फसलोत्पादन, सघन खेती के लिये लघु सिंचाई, उर्वरकों, कीटनाशकों, ऋण की समयानुकूल और उदार सुविधायें आदि आवेदनों की संगठित व्यवस्था जिसमें संस्थागत वित्तीय सहायता कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान में तीव्रता लाना आदि भी सम्मिलित है जिसके आधार पर कार्य भी हो रहा है।

उर्वरक की खपत

769. **श्री कं० हाल्दर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रतिहेक्टर उर्वरक की खपत विश्व में सब (देशों) से कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चौथी योजना के दौरान उर्वरक की खपत के लिये कोई लक्ष्य नियत किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या लक्ष्य नियत किये गये हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में उर्वरक की खपत बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) हां, लेकिन देश में उर्वरक की खपत में लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति रही है, उर्वरकों की खपत 1950-51 में 0.42 किलोग्राम से 1967-68 में 9.70 किलोग्राम तक प्रति कृष्य हेक्टेयर भूमि ऊपर चली गई है ।

(ख) उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर न्यून खपत के कारण सप्लाइयों एवं क्रैडिट सुविधाओं की अपर्याप्त, किसानों द्वारा खेती के टैकनिकों का मन्द गति से अपनाना और कीमत सहायता आने से पहले उर्वरकों की कीमत एवं उत्पादों की कीमतों के मध्य बुरा अनुपात और खाद्यान्नों के बीजों की उच्चोत्पादीय किस्म का लाग करना है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाई हुई कृषि की सामरिक नीति और बीजों जो उर्वरकों की उच्चतर मांग को ले सकती हैं की उच्चोत्पादीय किस्मों को लागू करने के परिणामस्वरूप प्रदर्शन एवं विस्तार के सघन कार्यक्रम, अधिक निर्यात और उच्चतर देशीय उत्पादन, देश में उर्वरकों की खपत लगातार बढ़ रही है। उर्वरकों की खपत 1963-64 में 4,10,000 टन नाइट्रोजन से 1967-68 में 10,70,000 टन नाइट्रोजन तक बढ़ गई है । जो वृद्धि के 261 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है ।

(ग) और (घ). खपत के अधोलिखित अस्थायी लक्ष्यों का चतुर्थ योजना के लिये प्रस्ताव है :—

वर्ष	नाइट्रोजन	पी 205	के० 20
	(मिलियन टनों में)		
1969-70	2.0	0.80	0.55
1970-71	2.4	1.00	0.70
1971-72	2.78	1.20	0.82
1972-73	3.22	1.44	0.95
1973-74	3.73	1.74	1.11

(ङ) देश में उर्वरक की खपत बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं :—

(1) वर्धित देशी उत्पादन एवं आयातों के द्वारा उर्वरकों की समुचित सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है ।

(2) उच्चोत्पादनीय किस्म कार्य-क्रम के अन्तर्गत क्षेत्र का क्रमबद्ध विस्तार, गुणन-फसल और अन्य विशेष सघन कृषीय उत्पादन कार्यक्रम, उच्चतर उर्वरक प्रयोगीकरण की ओर अग्रसर होंगे ।

(3) वितरण एजेंसियों और किसानों को समुचित सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ।

(4) उर्वरक क्रेडिट के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये संस्थानीय धन को भी उत्साहित किया जा रहा है ।

(5) भीतरी हिस्से में सेल प्वाइन्टों की एक बड़ी संख्या खोलकर राज्यों में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

(6) प्रदर्शन एवं विस्तार के कार्यक्रमों को तीव्र किया जा रहा है जिससे कि किसानों को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग का लाभ बतलाकर उन्हें सन्तुष्ट किया जाये ।

(7) किसानों को भूमि परीक्षण सुविधायें दी जा रही हैं जिससे कि उन्हें भूमि द्वारा अपेक्षित उर्वरकों की समुचित डोज़ों को प्रयोग करने के लिये योग्य बनाया जा सके ।

उड़ीसा और राजस्थान में कृषि उत्पादन

770. श्री चुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये 1967-68 में कितनी राशि व्यय की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : सन 1967-68 के दौरान राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	खर्च की हुई राशि (रुपये लाखों में)	दी हुई केन्द्रीय सहायता (रुपये लाखों में)	
		ऋण	अनुदान
उड़ीसा	758.88	281.44	177.30
राजस्थान	570.64	248.99	127.70

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन कार्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक वस्तुओं के हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा अल्पकालीन ऋण सहायता के लिए भी उड़ीसा और राजस्थान की सरकारों को धन दिया गया जो निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	अल्पकालीन ऋण सहायता	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए दी गई सहायता	
		ऋण	अनुदान
उड़ीसा	273.46	27.9	54.06
राजस्थान .	652.50	4.70	44.50

कामरूप जिले में अनाज की कमी

771. श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या खाद्य तथा कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मई, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कामरूप जिले के 75,000 व्यक्ति अन्न के अत्यधिक अभाव का सामना कर रहे हैं और उन्हें प्रति दिन दो बार भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कमी से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य को चलाने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है । इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के नोटिस में लाया जा चुका है और वे इस स्थिति के प्रति जागरूक हैं । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को गेहूं का आवंटन मार्च, 1968 के 12,400 मीटरी टन के उत्तरोत्तर बढ़ा कर जुलाई, 1968 में 41,600 मीटरी टन कर दिया है ।

पी० एल० 480 निधियां

772. श्री य० अ० प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस योजना को अन्तिम रूप दिया गया है जिसमें भारत में कृषि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पी० एल० 480 के अन्तर्गत जमा अमरीकी रुपया का प्रयोग किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसे कब लागू किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय समाचारपत्र कर्मचारी फेडरेशन द्वारा हड़ताल का नोटिस

773. श्री अनिरुद्धन :
श्री नायनार :
श्री पी० रामूर्ति :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय समाचारपत्र कर्मचारी फेडरेशन के 23 जुलाई, 1968 से अनिश्चित हड़ताल करने के निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस विवाद का निपटारा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी मांग गैर-पत्रकारों से सम्बन्धित केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में है ।

(ग) सम्बन्धित पक्षों को साथ बिठाया गया ताकि द्विपक्षीय विचार-विमर्श द्वारा इस मामले में आपसी समझौता हो सके, लेकिन विचार-विमर्श से अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका । समाचार-पत्रों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं । यह हड़ताल वर्ग I, II, और III में आने वाले समाचारपत्रों तक ही सीमित रहेगी ।

बर्मा और और थाईलैंड से चावल की खरीद

774. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री एस्थोस :**
श्री नायनार : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा और थाईलैंड से चावल की खरीद की सम्भावना का पता लगाने के लिये सरकार ने हाल में उन देशों को एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सौदा किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्य सचिव थाईलैण्ड से चावल खरीदने की सम्भावना का पता लगाने के लिये जून, 1968 के दूसरे सप्ताह में वहां गये थे । इस दौरे के फलस्वरूप 18 जून, 1968 को थाईलैण्ड की सरकार के साथ 80,000 मीटरी टन चावल खरीदने हेतु एक ठेका किया गया था ।

खाद्यान्नों से लदे माल डिब्बों का रोकना

775. **श्री अनिरुद्धन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों से लदे माल डिब्बों को उनके गन्तव्य स्थान पर बहुत अधिक समय तक रोके रखने के कारण वहां पर बहुत से माल डिब्बे तथा सामान आदि जमा हो जाता है और देश में खरीदे गये खाद्यान्नों की ढुलाई में देरी होती है ; और

(ख) माल को उतारने में जल्दी करने और माल डिब्बों को जल्दी खाली करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कतिपय स्थानों पर एकत्रित आमद, मजदूरों की कमी, बंदा बांदो जिससे विशेषकर खुले माल के डिब्बों को खाली करने में बाधा पड़ी तथा रेलवे लाइन के कुछ स्थानों पर बाधा आदि पड़ने के कारण खाद्यान्नों से लदे कुछ माल के डिब्बों को रुकना पड़ा था । तथापि, अधिप्राप्ति वाले क्षेत्रों से खाद्यान्नों को भेजने में ढीलापन नहीं किया गया था । जब जमाव वाले गन्तव्य स्थानों

के लिए बुकिंग नियन्त्रित अथवा विनियमित थी तब उस समय आन्तरिक अधिप्राप्त खाद्यान्नों को अन्य स्थानों को बिना किसी बाधा के भेजना जारी रही।

(ख) माल के डिब्बों को शीघ्र खाली करने हेतु उठाये गये कुछ कदमों में मजदूरों की संख्या बढ़ाना, माल के डिब्बों को अन्य स्थानों की ओर मोड़ना, कुछ बड़े डिब्बों में नियमित रूप से कार्य चलाना तथा उतारे गये मालों को सड़क के रास्ते शीघ्र भेजना शामिल था। इस अस्थाई कठिनाई पर यथासम्भव कम से कम समय में काबू पा लिया गया था।

अनाज के मूल्यों में कमी

776. **श्री अनिरुद्धन :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री भगवान दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री गणेश घोष :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रा० कृ० सिन्हा :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ से भागों में किसान सरकार द्वारा निर्धारित रबी, गेहूं और मक्का की फसलों के न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने में असफल रहे; और उन्हें अपने उत्पादों को कम मूल्यों पर बेचना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अप्पासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये खादी की वर्दी

777. **श्री नायनार:**
श्री प० गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डाक तथा तार विभाग के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को खादी की जो वर्दियां दी जाती हैं वे सामान्यत: माप में कड़ी अथवा छोटी होती हैं और कपड़ा बहुत ही घटिया किस्म का होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण डाक तथा तार विभाग के निम्न श्रेणी के कर्मचारी असन्तुष्ट हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अच्छी वर्दी देने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जहां तक वर्दियों के आकार का सम्बन्ध है, मामले की जांच की जा रही है ।

जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है, डाक-तार कर्मचारियों की वर्दियों के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्य सर्वोत्तम किस्म की दोहरी खादी का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) जी हां । डाक-तार कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी खादी की वर्दियों को पसन्द नहीं करते ।

(ग) वर्दियों के आकार सम्बन्धी मामला एक समिति को विचारार्थ सौंप दिया गया है, जिसमें डाक-तार कर्मचारियों के नेशनल फैडरेशन के प्रतिनिधि को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है । इस समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं गई है ।

वर्दियों के लिये सर्वोत्तम किस्म की प्राप्य खादी का प्रयोग पहले से ही किया जा रहा है, परन्तु फिर भी खादी की किस्म को और अच्छी बनाने के लिये खादी आयोग से सम्पर्क स्थापित किया गया है ।

पालघाट का विभागीय तार कार्यालय

778. **श्री नायनार :**
श्री चक्रपाणि :
श्री एस्थोस:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पालघाट का विभागीय डाक-तार कार्यालय डाक-कार्यालय के एक छोटे कोने में कार्य कर रहा है यहां तक कि वहां पर रोशनदान आदि भी नहीं है और उसको दी गई जगह वर्तमान कार्य के लिये बिल्कुल अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभागीय डाक-तार कार्यालय को उचित स्थान दिलाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का है ।

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) पालघाट में विभागीय तारघर के लिये स्थान अपर्याप्त है ।

(ख) जी हां । पोस्टमास्टर जनरल, केरल विभागीय तारघर के निर्माण के लिये शहर के केन्द्रीय स्थान में भूखंड की तलाश में हैं ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा सहकारी आन्दोलन के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

779. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० र० लास्कर : **श्री को० सूर्य नारायण :**
श्री दमानी : **श्री देवराव पाटिल :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री जी० एस० रेड्डी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में हाल ही में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सामुदायिक विकास के भावी कार्यक्रम तथा सहकारिता अभियान की प्रगति पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सम्मेलन में किये गये निर्णयों की मोटी-मोटी बातें क्या हैं; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) मुख्य मंत्रियों और सामुदायिक विकास, पंचायतीराज तथा सहकारिता के राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन 11 व 12 जून, 1968 को मद्रास में हुआ था। सम्मेलन में पहले दिन सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के भावी निदेशों तथा स्वरूप पर और दूसरे दिन सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया था। उत्पन्न हो रह प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए भावी कार्यवाही के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये गये थे।

(ख) और (ग). सम्मेलन के निर्णय। सिफारिशें सभा-पटल पर रखे गये विवरणों में दी गई हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1433/68] ये राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिये सूचित कर दिये गये हैं; जहां आवश्यक है, मंत्रालय ने भी कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

सहकारी समितियां

780. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत सी सहकारी समितियों पर निहित स्वार्थो का एकाधिकार है; और

(ख) यदि हां, तो सहकारी संस्थाओं से निहित स्वार्थों को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). देश के सहकारी आन्दोलन में निहित स्वार्थों के विकास को रोकने के लिये राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है :—

(1) यदि आवश्यक हो तो कानून द्वारा सहकारी समितियों की सदस्यता से महाजनों तथा व्यापारियों और बिचौलियों का बहिष्करण।

(2) प्राथमिक सहकारी समितियों की खुली सदस्यता।

(3) प्रबन्ध मण्डल में छोटे किसानों और कमजोर वर्गों के लिये स्थानों का आरक्षण।

(4) एक ही संस्था में दो से अधिक कार्यकालों के लिये और एक साथ दो से अधिक संस्थाओं में पद ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध।

(5) समितियों के पदधारियों को दिये जाने वाले ऋणों का व्यवस्थापन।

(6) स्वतन्त्र प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में नियमित निर्वाचन।

(7) समितियों के लेखों की समय से लेखापरीक्षा कराने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध।

(8) कर्मचारियों की भर्ती के लिये नियम बनाना तथा उनका पालन ।

(9) समितियों के महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के लिये प्रशिक्षित प्रबन्ध कर्मचारियों के संवर्गों का सृजन ।

सहकारिता राज्य विषय है और इन उपायों की कार्यान्विति राज्य सरकारों पर निर्भर करती है ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये न्यूनतम मंजरी सलाहकार समिति

781. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री एस्थोस :
श्री गणेश घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 25 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1460 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीप सम्बन्धी न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर कब तक विचार कर लिया जायेगा और देरी के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). यह रिपोर्ट अभी अन्दमान और निकोबार द्वीप के प्रशासन के विचाराधीन है । समिति ने श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन-विन्यास में जो संशोधन करने की सिफारिश की है उसके साथ कई एक मामलों पर विचार करना शामिल है । इसमें समय लगा है, परन्तु अब रिपोर्ट पर विचार शीघ्र पूरा हो जायेगा ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये मूजरी ढांचा

782. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री नम्बियार : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री रेलवे कर्मचारियों के मजूरी ढांचे के बारे में 18 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1288 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे में मजूरी ढांचे के सम्बन्ध में रा ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल का प्रतिवेदन इस बीच मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). अध्ययन दल की रिपोर्ट आयोग को, न कि सरकार को, प्रस्तुत की गई है । सरकार इस मामले पर आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही विचार करेगी ।

केरल में केन्द्रीय दुग्ध शाला

783. **श्री मंगलायुमाडोम:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माधवरम मिल्क सेन्टर मद्रास, के आधार पर केरल में एक केन्द्रीय दुग्धशाला स्थापित करने का है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के बारे में कुछ उपायों का सुझाव दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मांगी गई सामग्री केरल की राज्य सरकार से प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

केरल राज्य में रोजगार कार्यालय

784. **श्री मंगलायुमाडोम** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में इस समय कितने रोजगार कार्यालय हैं ।

(ख) इन रोजगार कार्यालयों में जिन उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, उन्हें रोजगार के कितने अवसर दिये गये हैं; और

(ग) उनमें कितने इंजीनियरिंग स्नातकों के नाम दर्ज हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) 30 जून, 1968 को 10 ।

(ख) जनवरी से जून, 1968 के दौरान 6,581 लोगों को नौकरी दिलायी गई ।

(ग) 30 जून, 1968 को नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर 575 इंजीनियरिंग स्नातकों के नाम दर्ज थे ।

केरल में नये डाकघर

785. **श्री मंगलायुमाडोम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में डाक तथा तार सम्बन्धी सुविधाओं की जो इस समय व्यवस्था है वह पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) चालू वर्ष में केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाक तथा तारघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं । केरल राज्य में डाक-तार की सुविधायें पर्याप्त समझी जाती हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1968-69 के वर्ष के दौरान 113 डाकघर और 40 तारघर खोलने का प्रस्ताव है ।

भविष्य निधि की बकाया राशि

786. श्री रमानी : श्री पी० राममूर्ति :
श्री नम्बियार : श्री उमानाथ :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेश्वर मिल्स लिमिटेड और सोमसुन्दरम मिल्स की ओर सितम्बर, 1965 से लेकर आज तक भविष्य निधि की क्रमशः 7.18 लाख रुपये और 7.73 लाख रुपये की राशियां बाकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 30 अप्रैल, 1968 को कालेश्वर मिल्स लिमिटेड और सोमसुन्दरम मिल्स ने भविष्य निधि की बकाया राशि के रूप में क्रमशः 7.18 लाख और 9.95 लाख रुपये अदा करने थे ।

(ख) इस बकाया राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी गई है । अभियोजन के प्रस्तावों पर राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कृषि विकास निगम

787. श्री रमानी : श्री अब्राहम :
श्री राममूर्ति : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीकी रुपये की निधि द्वारा एक स्वायत्तशासी कृषि विकास निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो निगम का कुल पूंजीगत परिव्यय कितना है ;

(ग) निगम में कुल कितना अमरीकी रुपये निधि के लगाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) निगम के स्थापित किये जाने का क्या प्रयोजन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) स्वायत्त कृषि विकास निगम बनाने के लिये प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है, यू० एस० रुपये की राशि के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) इस प्रकार की कृषि विकास निगम शुरू में 2 करोड़ रुपये की लागत पूंजी के साथ कार्य आरंभ करे जिसकी बाद में 10 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की जा सके;

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) निगम इस लक्ष्य के साथ बनाई जायेगी कि उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो चुकी हैं या जहां भूमिगत पानी साधनों के पूर्ण प्रयोग की गुंजाइश है, वहां पैकेज कार्यक्रमों के लिये

दीर्घकालीन साधन आधार काफी मात्रा में उपलब्ध किये जायें। इससे शीघ्र कृषि विकास के लिये कृषि चीजें और सेवायें जिनकी कमी है की क्षति को पूरा किया जा सके।

इसके विशेषकर कार्यक्रम इस प्रकार हो सकते हैं :—

(1) लघु सिंचाई के विकास के लिये योजनायें बनाना और उन्हें लागू करना;

(2) कृषि मशीनों के क्रय विक्रय का प्रबन्ध;

(3) ठेकेदारों की एजेंसियों द्वारा ट्रैक्टरों का कस्टम सेवायें, भूमि हम्वार कार्यक्रम, सिंचाई नालिया और कीटनाशक छिड़कना;

(4) परिवहन और प्रयोगीकरण और विपणन का विकास;

(5) गोदाम जिसमें वातानुकूल गोदाम भी सम्मिलित हैं की सुविधाओं के लिये योजना बनाना और विकास करना; और

(6) ऋणों के प्रयोग और उनके एकत्र करने का प्रबन्ध करना ताकि उनकी देखभाल सुनिश्चित की जाये।

भविष्य निधि की बकाया राशि

788. **श्री रमानी :** **श्री रवि राय :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री अब्राहम :**
श्री ऊमानाथ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1968 में कर्मचारियों की और भविष्य निधि की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि की वसूली न होने पर भविष्य निधि अधिकारियों को मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य निधि अधिनियम में कब तक संशोधन किये जाने की सम्भावना है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 31-3-1968 को लगभग 8.17 करोड़ रुपये छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों की और बकाया थे।

(ख) विलम्बित अदायगी के लिए तकाजे किये जाते हैं। अधिकांश दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मुकदमे अथवा वसूली कार्यवाही के जरिये कानूनी कार्रवाई भी की जा चुकी है। जिन प्रतिष्ठानों का समापन हो गया है; उनसे सम्बन्धित दावे समापकों के सामने अनिर्णीत पड़े हैं। कुछ प्रतिष्ठानों ने पिछली बकाया राशि और वर्तमान देय राशि का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से तय की गई अदायगी की योजनाओं के अनुसार भुगतान करने के समझौते किये हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया विलम्ब शुल्क

789. श्री बी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर माल डिब्बे उतारने कों पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम ने भारी विलम्ब शुल्क दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष अब तक कितना विलम्ब शुल्क दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में विभिन्न स्टेशनों पर उत्तरी रेलवे को इस वर्ष जनवरी से जून तक कुल अनुमानत: 1,43,412.48 रुपये विलम्ब शुल्क के रूप में दिये । यह राशि अधिकांशत: भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर नियुक्त ठेकेदारों के गलत ढंग से सम्भालने के कारण देनी पड़ी है ।

चीनी की बिक्री पर नियंत्रण

790. श्री लीलाधर कटकी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए चीनी की बिक्री पर से नियन्त्रण पूरी तरह हटाने के प्रश्न पर सरकार ने हाल ही में विचार किया है;

(ख) क्या इस मामले पर चीनी निर्माताओं से हाल ही में परामर्श किया गया था और यदि हां, तो उनके विचार क्या हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्नों की क्षति

791. श्री बी० चं० शर्मा :
श्री आर्ज फरनेन्डीज :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरियाना और अन्य राज्यों में कुछ मण्डियों में वर्षा के कारण तथा भण्डार सुविधाओं के अभाव के कारण लाखों रुपयों के मूल्य का गेहूं खराब हो गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितनी क्षति हुई है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं। पंजाब की मण्डियों में केवल लगभग 80 मीटरी टन गेहूं पर वर्षा का वाह्यो प्रभाव पड़ा था।

(ग) अधिप्राप्त स्टाक को यथाशीघ्र गोदामों में या अन्य ढके हुए स्थानों पर भेजने हेतु राज्य सरकारों तथा अधिप्राप्ति से सम्बन्धित अन्य एजेंसियों ने कदम उठाए थे और विवशतापूर्ण परिस्थितियों में थोड़ी मात्रा में अनाज खुले में पड़ा रहा जिसे अच्छी तरह से तिरपालों से ढक दिया गया था।

मैसूर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कपास की नई किस्म का विकास

792. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर कृषि विश्वविद्यालय ने लम्बी रेशे वाली "विजय" नामक कपास की एक नई किस्म तैयार की है तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से उपज देने वाले पौधे पुरानी किस्म की तुलना में 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक अधिक उपज दे सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में बड़े पैमाने पर इसे बोने के लिये कोई योजना बनाई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। मैसूर राज्य में ए० एस०-23 (विजया नाम की) कपास की एक नई किस्म पिछली केन्द्रीय कपास समिति द्वारा स्वीकृत आयोजना "मैसूर राज्य की घटाप्रभा परियोजना के सिंचाई वाले क्षेत्रों में बोने के लिये अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली कपास का विकास" के अन्तर्गत किये गये अनुसन्धान के आधार पर हाल में निर्मुक्त की गयी है। इस किस्म का विकास मैसूर राज्य के बेलगाम जिले के अराभवी अनुसन्धान केन्द्र पर मद्रास राज्य द्वारा सप्लाई किये गए मूल इ० एल० 192 किस्म के पुनः निर्वाचन से किया गया है।

(ख) कन्ट्रोल किस्म 170-सी० ओ०-2 जिसकी अभी तक घटाप्रभा परियोजना क्षेत्र में बोने की सिफारिश की जाती रही है की तुलना में नई किस्म ए० एस० 23 का उत्पादन निम्न प्रकार से है :—

	विजया	170-सी० ओ० 2 (कण्ट्रोल)
(क) अराभवी अनुसंधान केन्द्र पर फार्म परीक्षण		
(1962–67 के पांच वर्षों की औसत) कपास का उत्पादन किलोग्राम/हैक्टर	1593	1117
कन्ट्रोल पर प्रतिशत के रूप में	143	100
गिनिंग प्रतिशत	36.7	35.5

	विजया	170-सी० ओ02 (कण्ट्रोल)
मीन फाइवर लम्बाई, इंच . . .	1.17	1.04
(ख) कृषकों की जोत पर जिला स्तरीय परीक्षण, (1965–67 के दो वर्षों की औसत) कपास का उत्पादन किलो०/हैक्टे० . . .	864	746
कन्ट्रोल पर प्रतिशत के रूप में .	116	100
गिनिंग प्रतिशत	37.3	35.2

इससे स्पष्ट होता है कि नई किस्म ने अनुसन्धान केन्द्रों पर किये गए परीक्षणों में 43 प्रतिशत और कृषकों की जोतों पर किये गये परीक्षणों में 16 प्रतिशत की वृद्धि की है। नई किस्म में गिनिंग प्रतिशत और रेशे की लम्बाई अधिक न श्रेष्ठ है।

केपास टैक्नोलोजिकल अनुसन्धान प्रयोगशाला बेम्बई के निदेशक द्वारा 1967 में किये गये कपास कातने के एक पूर्ण परीक्षण में नई किस्म ने 170-सी०ओ० 2 के 50 काउण्टों की तुलना में सर्व-श्रेष्ठ 70 काउन्ट दिये।

कृषि विज्ञान विश्व-विद्यालय बंगलौर में 11 जून, 1968 को सम्पन्न एक उत्सव में मैसूर राज्य में कृषि के लिये इस नई किस्म की निर्मुक्ति की गई। यह किस्म घटा प्रभा परियोजना के सिंचाई वाले क्षेत्रों के बेलगाम और बीजापुर जिले के क्रमशः गोकक और बामखंडी ताल्लुकों में उत्पादन के उपयुक्त हैं।

(ग) इस किस्म को लोकप्रिय बनाने के लिये राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

793. श्री नि० र० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966–67 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कनाट प्लेस, नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार के प्रबन्ध की कटु आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो लेखा परीक्षकों ने सुपर बाजार के विरुद्ध लेखा परीक्षा सम्बन्धी क्या आपत्तियां उठाई हैं;

(ग) वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 में इस सुपर बाजार को कुल कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या प्रतिवर्ष हो रहे घाटे को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बाजार को बन्द करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सुपर बाजार को हो रहे घाटे को न्यूनतम करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं। तथापि, 1966-67 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में सुपर बाजार के प्रथम वर्ष के कार्यकरण में कुछ कमियां दर्शायी गई हैं और सुधार के लिए उपाय दिए गए हैं।

(ख) लेखा-परीक्षकों ने जो टिप्पणियां की हैं वे प्रमुखतः निम्नलिखित के बारे में हैं:—

प्रत्येक शाखा और विभाग का अलग-अलग हिसाब रखना;

माल जांचने की प्रणाली में सुधार करने के उपाय;

अधिक विस्तार में खरीद नीति निर्धारित करने की आवश्यकता;

महाप्रबन्धक की शक्तियों के प्रत्यायोजन का अधिक विस्तार में निर्धारण;

आर्किटैक्ट को की गई कुछ अदायगियों की वसूली; और

सिब्बन्दी व्यय में कमी करने की आवश्यकता।

(ग) 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सुपर बाजार ने अन्तिम रूप से जो तुलन-पत्र तैयार किया है, उसके अनुसार कुल 7,08,778 रु० की हानि हुई है। वर्ष 1967-68 अर्थात् 30 जून, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि का लेखा तैयार किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) हानियों को कम करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें सिब्बन्दी तथा परिचालन व्ययों में कमी, स्टाक स्तर का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण शामिल हैं। प्रशासनिक तथा लेखा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति भी हाल ही में पुनर्गठित की गई है।

खाद्यान्न की वसूली का लक्ष्य

794. श्री मि० रं० लास्कर :
श्री रवि राय :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री बेंगलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जून, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "बम्पर क्राप एण्ड बलीक फ्यूचर" के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि खाद्यान्न का उत्पादन 95 मिलियन मीट्रिक टन होने के बावजूद इस वर्ष को वसूली के 8 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस समाचार की कहां तक जांच की है; और

(घ) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : रिपोर्ट की जांच की गयी है। सितम्बर, 1967 में कृषि मूल्य आयोग द्वारा खरीफ की फसल के लिए 70 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था लेकिन सितम्बर और दिसम्बर, 1967 के बीच मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां जिनसे विशेषतया उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों में फसलों को क्षति पहुंची थी, को ध्यान में नहीं रखा जा सका था। कुछ राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता के कारण अधिप्राप्ति सम्बन्धी नीतियों को तैयार करने में विलम्ब अथवा उन्हें सक्रिय रूप से कार्यान्वित करना अन्य कारण है जिससे इन राज्यों में खरीफ की अधिप्राप्ति थोड़ी हुई थी। लेकिन अन्य कारण यह भी था कि लगातार दो वर्ष के सूखे के बाद फसल का पर्याप्त भाग उत्पादक स्तर पर भण्डार तैयार करने में चला गया और मण्डियों में आमद उतनी अधिक नहीं हुई थी जितनी कि इतनी बड़ी फसल से आशा की जा सकती थी। यद्यपि सितम्बर, 1967 के अन्त तक यह महसूस किया गया कि यह लक्ष्य बहुत ही अधिक था। यह निश्चय किया गया कि यह लक्ष्य ऐसे ही रहने दिया जाए जैसा कि वह था और प्रत्येक राज्य को यथा सम्भव इस लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए अधिकतम प्रत्यन करना चाहिए। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखत हुए जून के अन्त तक खरीफ की फसल से कुल 37 लाख मीटरी टन की जो अधिप्राप्ति हुई उसे असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। यदि चालू मानसून सन्तोषजनक ढंग से चलती रहती है तो उत्पादकों द्वारा रोका गया स्टाक मंडियों में आ सकता है और यह अधिप्राप्ति 40 लाख मीटरी टन से थोड़ी अधिक हो सकती है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यथा सम्भव इससे अधिक अधिप्राप्ति करने के भरसक प्रयत्न करें।

चीन में गेहूं का चोरी छिपे ले जाया जाना

795. **श्री हेमराज :**
श्री राम गोपाल शालवाले :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि 23 जन, 1968 के "इण्डियन नेशन" में "डेली टैलीग्राफ आफ लन्दन" से उद्धृत किये गये समाचार के अनुसार चालू वर्ष में नेपाल के रास्ते चीन में 20,000 मीट्रिक टन भारतीय चावल और 2000 मीट्रिक टन भारतीय गेहूं चोरी छिपे ले जाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस सम्बन्ध में दिनांक 23 जून, 1968 के "इण्डियन नेशन" में रिपोर्ट छपी थी।

(ख) भारत नेपाल व्यापार तथा पारगमन सन्धि के अन्तर्गत भारत और नेपाल के बीच खाद्यान्नों का संचलन खुले रूप में होता है। चावल के मामले में नेपाल साधारणत: अधिशेष देश है और आम तौर पर भारत से नेपाल को चावल नहीं भेजा जाता है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं कि भारत से नेपाल को कोई गेहूं अथवा चावल भेजा गया है जो कि वहां से चोरी छिपे चीन ले जाया गया है।

ऐक्शन फार फूड प्रोडक्शन आरगेनाइजेशन

796. **श्री बापू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक्शन फार फूड प्रोडक्शन आरगेनाइजेशन ने ठीक-ठीक क्या कार्य किया है, इस संगठन के पदाधिकारियों के नाम तथा उनकी राष्ट्रीयता क्या है और यह विकास किस तिथि से शुरू हुआ है;

(ख) ऐक्शन फार फूड प्रोडक्शन आरगेनाइजेशन की स्थापना पर भारत सरकार को प्रतिवर्ष कितना व्यय करना पड़ता है और यह व्यय करने के लिए यदि कोई लाभ होते हैं तो वे क्या हैं;

(ग) क्या इस संस्था का सरकारी संरक्षण का सामान्य ईसाई धर्म प्रचारक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐक्शन फार फूड प्रोडक्शन आर्गेनाइजेशन (एफ्रो) द्वारा किये गये कार्य का सम्बन्ध सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुएं खोदने, उर्वरक वितरण कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पहुंचाने के काम में लगे हुए संगठनों से है। पदाधिकारियों के नाम तथा उनकी राष्ट्रीयता निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	नाम		राष्ट्रीयता
1.	मिस्टर जोन बार्नबास	अध्यक्ष	भारतीय
2.	मिस्टर स्टीफेन मथाई	सदस्य	भारतीय
3.	मिस्टर जेम्स हावर्ड	सदस्य	ब्रिटिश
4.	मिस्टर फ्रैन्क सेन्ज़	सदस्य	अमेरिकन
5.	रैव फ्रैंक लोइश्च, एस० जे०	सदस्य	अमेरिकन
6.	मोनसिगनोर आई० लोबो	सदस्य	भारतीय
7.	एफ आर० ए० फोर्नसिका,एस० जे०	सदस्य	भारतीय
8.	मिस्टर डगलस डब्ल्यू कुक	सदस्य	अमेरिकन
9.	डा० आर० वी० मार्बल	सदस्य	अमेरिकन
10.	मिस्टर यंग्व फ्राईखोलम	कार्यकारी निदेशक	स्वीडिश
11.	मिस एलिज़ाबेथ रीड	कार्यकारी सचिव	आस्ट्रेलियन

ऐफ्रो का संघटन मार्च, 1966 में हुआ था और इसे जून 1967 में सोसायटीज़ रेजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन रजिस्टर किया गया था।

(ख) ऐफ्रो का संचालन भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया था और सरकार इस पर कोई व्यय नहीं कर रही है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि ऐफ्रो सामान्य ईसाई धर्म प्रचार में लगी हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी फर्मों को टिकटों की बिक्री

797. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न अवसरों पर टिकट संग्रहकर्ताओं ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि टिकटों से अच्छी विदेशी मुद्रा कमाने का एक ही तरीका है कि विदेशों में इनकी बिक्री का कार्य लन्दन में एक अभिकरण, जो कई सरकारों की टिकट बेचता है, जैसी मान्यता प्राप्त फर्मों को सौंपा जाये;

(ख) क्या सरकार का विचार टिकटों को विदेशी टिकट संग्रहकर्त्ताओं में लोकप्रिय बनाने के लिये उनके बारे में पर्याप्त प्रचार करने तथा पृष्ठभूमि सम्बन्धी जानकारी देने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) डाक टिकटों सम्बन्धी पर्याप्त प्रचार सामग्री और पृष्ठ भूमि सूचना जैसे अग्रिम वार्षिक कार्यक्रम, तकनीकी सामग्री और टिकटों के फोटो प्रिंट, विदेश टिकट संकलनकर्त्ताओं, टिकट व्यापारियों और टिकट पत्रिकाओं के सम्पादकों के नियमित रूप से सीधे और साथ ही साथ हमारे दूतावासों के माध्यम से भेजी जाती है ।

अनाज का रक्षित भण्डार

798. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू समाहार वर्ष (नवम्बर, 1967 अक्टूबर 1968) के अन्त में 4 करोड़ टन अनाज का रक्षित भण्डार बनाये जाने की आशा है; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप राज्यों को अधिक अनाज नियत किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह आशा की जाती है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार कुल 40 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का भण्डार तैयार करेंगे जिसमें से लगभग 10 लाख मीटरी टन को पाइप लाइन स्टाक समझा जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

नपाल में चोरी छिपे गुड़ ले जाया जाना

799. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19-6-68 को दैनिक समाचार पत्र "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुई बिहार विधान सभा की इस आशय की कार्यवाही की ओर दिलाया गया है कि 19-6-1968 को नेपाल में चोरी छिपे गुड़ ले जाने के लिए एक तस्कर व्यापारी को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) भारत से नेपाल को गुड़ के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इसलिए तस्करी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अल्गाय से चावल के उत्पादन में वृद्धि

800. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में खेतों में किये गये परीक्षणों से सिद्ध हो गया है कि चावल के खेतों में ब्लयू ग्रीन अल्गाय को उगाने में अनाज का 30 प्रतिशत अधिक उत्पादन होता है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था इस प्रयोजना के लिये ब्ल्यू ग्रीन अल्गाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है ; और

(ग) अल्गाय के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान तथा केन्द्रीय चावल अनुसन्धान के किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि कुछ उर्वरक तथा भूमि प्रबन्ध पद्धतियों से चावल फसल को लाभान्वित करने के लिए ब्ल्यू ग्रीन अल्गाय का प्रयोग हो सकता है। उपज पर प्रभाव कई कारणों से पड़ता है।

(ख) ब्ल्यू ग्रीन अल्गाय के अधिक प्रभावशाली होने के बारे में सघन अनुसन्धान किए जा रहे हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जा रहा है और ब्ल्यू ग्रीन अल्गाय की खेती के लिए विशेषतया अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा सघन फसल जिन्हें भारी मात्रा में उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों की अवश्यकता होती है के लिए परिस्थितियाँ निश्चित होने पर विस्तार दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

कार्मिक संघों की गतिविधियां

801. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **श्रम, तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी कार्मिक संघों ने सरकार से माँग की है कि राजनीतिज्ञों और गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा कार्मिक संघों की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी जाये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने बाहर के लोगों द्वारा हस्तक्षेप सामान्य मालिक-कर्मचारी सम्बन्धों पर होने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस मामले पर राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है और किसी प्रकार की भी कार्यवाही शुरू करने से पहले सरकार का विचार आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

802. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन के कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1969 के शुरू में ।

चीनी पर से आंशिक रूप से नियन्त्रण का हटाया जाना

803. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी पर से आंशिक रूप में नियन्त्रण के हटाये जाने से चीनी के उत्पादन में कहाँ तक वृद्धि हुई है;

(ख) आंशिक रूप में नियन्त्रण के हटाये जाने के बाद की अवधि में थोक तथा परचून में चीनी के अधिकतम तथा निम्नतम भाव क्या रहे; और

(ग) खुले बाजार में चीनी का भाव नियंत्रित भाव क बराबर लाने म कितना समय लगने की सम्भावना है और इस दिशा में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चीनी का आंशिक विनियंत्रण की नीति के परिणामस्वरूप 1967–68 में 22.3 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि गत वर्ष यह उत्पादन 21.5 लाख मीटरी टन हुआ था और चालू वर्ष में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में 17 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान था ।

(ख) उच्चतम और न्यूनतम थोक मूल्य क्रमशः 525 रुपये और 300 रुपये प्रति क्विंटल और खुदरा मूल्य 6.30 रुपये और 3.10 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचे थे ।

(ग) यह तभी सम्भव होगा जबकि उत्पादन में मांग के स्तर तक वृद्धि हो जाती है । आंशिक विनियंत्रण की नीति को लागू किया गया था और गन्ने के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि इसी आशय को सामने रख कर की गयी थी ।

रानीगंज की एक कोयला खान में दुर्घटना

804. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 जून, 1968 को रानीगंज, आसनसोल में एक कोयला खान की छत ढह जाने से कम से कम 2 व्यक्ति मारे गये और 4 अन्य घायल हुए;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे और छत के गिरने का पहले से अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सका; और

(ग) संतप्त परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) 29 जून, 1968 को पश्चिमी बंगाल के बर्धवान जिले की सलेक्टेड सियरसोल कालियरी में छत, कोयला और चट्टान के गिरने से दो व्यक्ति मारे गये और चार घायल हुए । दीवाल के गिरने के पर्याप्त संकेत थे और माइनिंग सरदार व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों में ले गये थे । बाद में ओवरमैन ने उस स्थान का निरीक्षण किया और उसने अतिरिक्त आलम्ब लगाने के लिये निर्देश दिया । जब आलम्ब लगाये जा रहे थे, तब छत यकायक गिर गई, जिससे दुर्घटना हो गई । घायलों में ओवरमैन भी शामिल हैं ।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रबंध द्वारा मुआवजा दिया जाता है । मृत्यु की दशा में अधिकतम मुआवजा 10,000 रु० है और स्थायी पूर्ण विकलांगता की दशा में यह राशि 14,000 रु० है । इसके अतिरिक्त कोयला खान कल्याण आयुक्त, कल्याण निधि की घातक और गंभीर दुर्घटना लाभ योजना के अन्तर्गत निम्न आर्थिक सहायता की व्यवस्था करेगा :—

(1) मृतक की पत्नी या मृतक पर पूर्ण रूप से आश्रित व्यक्ति को 150 रु० की एकमुश्त राशि;

(2) विधवा/पति/बच्चों के अभिभावकों को तीन साल तक 15 रु० का मासिक भत्ता; और

(3) मृतक के स्कूल जाने वाले प्रत्येक पुत्र/पुत्री को 16 साल की आयु तक और पुत्री को 15 साल की आयु तक या उसका विवाह होने तक, जो भी पहले हो, 10 रु० प्रतिमास की छात्रवृत्ति । (यह लाभ 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है) ।

आसाम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भूख से मौतें

8 05. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री वि० कु० मोडक :
[श्री नम्बियार :
श्री सत्य नारायण सिंह :
[श्री रवि राय :
श्रीमती सुशीला गोपालन :]
[श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री चक्रपाणी :
श्री प० गोपालन
श्री न० कु० सांघी ।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम/उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में भूख से होने वाली मौतों के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बीच में इस समाचारों की सत्यता के बारे में जाँच की है और यदि हाँ, तो उस जाँच का क्या परिणाम निकला;

(ग) इस वर्ष 1968 के पहले छः मास में देश के कमी वाले क्षेत्रों की सामान्य रूप से तथा आसाम/उड़ीसा और मध्य प्रदेश की विशेष रूप से कुल जनसंख्या कितनी है; और

(घ) लोगों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) इस वर्ष मध्य प्रदेश में कमी तथा भुखमरी से हुई मौतों के सम्बन्ध में

सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। असम और उड़ीसा की सरकारों ने बताया है कि इन राज्यों में भुखमरी के कारण कोई मौतें नहीं हुई है।

(ग) कमी से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता सम्बन्धी अभियान चलाना राज्य सरकारों का दायित्व है और वे इसे यथासमय करते हैं। वे भारत सरकार को केवल उस समय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जबकि सहायता सम्बन्धी कार्य बड़े पैमाने पर चलाना होता है और जहां भारत सरकार से मदद लेना आवश्यक हो जाता है। चालू वर्ष में सूखे से राहत दिलाने हेतु केवल मैसूर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने ऐसी सहायता मांगी है। इन राज्यों के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

	प्रभावित क्षेत्र	प्रभावित आबादी
आंध्र प्रदेश . . .	11 जिले	उपलब्ध नहीं है
मैसूर . .	16 जिले	21.41 लाख
उड़ीसा	11 जिले	68.32 लाख

अन्य राज्यों के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

असम	बहुत से भागों में	उपलब्ध नहीं है
बिहार	एक जिले के 3 खण्डों में	2,90,000
नागालैंड . . .	2 जिले	70,000
उत्तर प्रदेश . .	एक जिले के कुछ भागों में	उपलब्ध नहीं है
गुजरात	213 गाँव	उपलब्ध नहीं है
महाराष्ट्र . . .	883 गाँव (कमी से प्रभावित घोषित किये गये; 928 गाँवों को घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। 1430 गाँव आंशिक रूप से प्रभावित।	20,86,982

(घ) राज्य सरकारों ने सहायता संबंधी उपाय किये हैं। भारत सरकार ने कमी वाले राज्यों के खाद्यान्नों के आवंटन में वृद्धि कर दी है। मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों ने भारत सरकार से विशेष लिखा पढ़ी की थी और उन्हें सामान्य नियमानुसार केन्द्रीय आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी गई है।

अधिक उपज वाले बीजों की किस्में

806. **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री अजमल खां :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में किसानों ने काफी बड़ी संख्या में अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों के प्रति उत्साह दिखाना छोड़ दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का ध्यान 10 जून के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इस बारे में भारती डाक संचार संस्थान ने अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारतीय जन संपक संस्थान (इंडियन इस्टीच्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन) ने अप्रैल, 1967 में अधिक उपज वाली फसलों के सम्बन्ध में जानकारी का प्रसार करने के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया था । इस सर्वेक्षण में 14 राज्यों के 33 गाँवों के 820 किसान शामिल थे । सर्वेक्षण से पता चला कि उनमें से दो-तिहाई किसान अधिक उपज वाली किस्मों कों पसन्द करते थे । सर्वेक्षण से यह भी सिद्ध हो गया है कि किसान खेती सम्बन्धी जानकारी के लिये ग्राम सेवक पर सब से अधिक निर्भर करते हैं । इस सर्वेक्षण का उद्देश्य अधिक उपज वाली किस्मों को उगाने के कार्यक्रम का मूल्यांकन करना नहीं था ।

कुछ राज्यों के सम्बन्ध में यह जानकारी एक राज्य के एक गाँव या 26 कृषकों पर आधारित है । यह बहुत छोटा सा नमूना है और इससे सारे राज्य के लिये सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते । स्वयं प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्राप्त आँकड़ों का आगे विश्लेषण किया जा सकता है ।

प्रतिवेदन में यह पढ़ कर हर्ष होता है कि 60 प्रतिशत किसान अधिक उपज वाली किस्मों में बहुत अधिक रुचि रखते हैं और 25 प्रतिशत किसान सामान्य चि रखते हैं ।

समाचारपत्रों में दी गई इस टिप्पणी को कि 1/5 किसान नई किस्मों को पसन्द नहीं करते, कार्यक्रम के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को निराशाजनक नहीं समझना चाहिये । शायद इन किसानों के पास अधिक उपज वाली किस्में उगाने के लिये उपयुक्त भूमि नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम के त्रिवेन्द्रम स्थित जोनल मैनेजर के कार्यालय में अनियमितताएं

807. **श्री ओंकार सिंह :** **श्री म० स्व० शर्मा :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री शारदा नन्द :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित को भारतीय खाद्य निगम के त्रिवेन्द्रम स्थित जोनल मैनेजर के कार्यालय

में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) कुछेक ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें त्रिवेन्द्रम स्थित भारतीय खाद्य निगम के प्रादेशिक प्रबन्धक के कार्यालय में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इनकी जांच की गई और वे निराधार पायी गयीं। एक शिकायत की अभी जांच की जा रही है।

Artificial Rains

809. Shri Onkar Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government have received some applications regarding th arrangements to be made for making artificial rains;

(*b*) whether any research work has been done as to how far artificial rain would prove helpful in increasing the agricultural production in India and the amount of expenditure that is likely to be incurred in making such an arrangement;

(*c*) if so, the details thereof and the time by which this scheme is likely to be implemented; and

(*d*) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (*a*) The Government received an offer of the services of a foreign Weather Engineer, through an Indian firm, regarding the arrangements to be made for making artificial rains and the offer could not be accepted as it was felt that progress achieved so far in the field of artificial stimulation of rain does not warrant selling or purchasing of operational services.

(*b*) to (*d*) The Rain and Cloud Physics Centre of the Indian Meteorological Department has been conducting experiments on artificial stimulation of rain for about a decade. No specific research work has, however, been done as to how far artificial rain would prove helpful in increasing agricultural production in India.

A scheme (formulated jointly by Department of Agriculture and the Indian Meteorological Department) for artificial stimulation of rain through aerial seeding of clouds was considered in March, 1968 by the C.S.I.R. Research Committee on Atmosphere Sciences and Scientific Hydrology. In the light of their comments the scheme is under revision and details regarding duration, cost, area of operation, etc. are still to be finalised.

Improvement in Milk Supply in the Capital

869. Shri Onkar Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that there has been an improvement in the milk supply portion as a result of imposing a ban on the production of Khoya in Delhi and its neighbouring areas;

(*b*) If so, the extent to which the supply of milk has increased and the number of additional cards issued for the purchase of milk to the citizens of Delhi as a result thereof ;

(*c*) If not, the reasons therefor ; and

(*d*) the number of citizens on the waiting list for milk cards as on the Ist April, 1968 and the number thereof at present ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) and (*c*) Average procurement during the period of validity of the Order from 15th May, 1968 to 14th July,1968 was 1,20,719 litres per day as compared with average procurement of 88,768 litres per day during the period 1st May, 1968 to 14th May, 1968. The highest quantity of 1,40,000 litres was received on 31st May, 1968. The Order was promulgated with the aim of maintaining availability of milk at a reasonable level during the lean summer months and issue of additional milk tokens as a result of the order was not contemplated or found possible.

(*d*) The number of applicants on the waiting list for issue of milk cards as on 1-4-68 and 30-6-68 are indicated below :

As on	Total number of Applications
1-4-68	57,518
30-6-68	60,269

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

810. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री समर गुह :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री अतुल्य घोष द्वारा इस अभिप्राय के सार्वजनिक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि इस बात की प्रतीक्षा किये बिना कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का समय बढ़ाया जाता है अथवा नहीं, पश्चिम बंगाल में मध्यावधि निर्वाचन के लिये आगामी नवम्बर में तारीखें निश्चित करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के संसदीय विशेषाधिकार के उल्लघन का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मध्यावधि मतदान की तारीखों का अस्थायी आख्यापन सदा ही इस धारणा पर किया जाता है कि सरकार एक और अल्पावधि के लिए राष्ट्रपति के शासन के विस्तार के अनुमोदन के लिये संसद् से निवेदन करेगी और संसद ऐसा अनुमोदन दे देगी। इस धारणा पर अस्थायी आख्यापन न केवल पश्चिम बंगाल के मामले बल्कि उत्तर प्रदेश के मामले में भी किया गया था ।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई

811. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने जून से नवम्बर, 1968 तक के संकट काल का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अधिक खाद्यान्न की सप्लाई करने के लिए कहा है

(ख) यदि हां, तो चावल और गेहूं की कितनी अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने की मांग की गई है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस मांग को किस हद तक पूरा करने के लिए सहमत है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). मई में राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि जून से सितम्बर, 1968 की अवधि के लिये उनके गेहूं और माइलो का मासिक आवंटन बढ़ाकर 1.30 लाख मीटरी टन कर दिया जाये ताकि वे कमी और ऊंचे मूल्यों से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला कर सकें। जून में इस वर्ष के लिए 5 लाख मीटरी टन गेहूं और 1 लाख मीटरी टन चावल की अतिरिक्त सप्लाई के लिए मांग की गई थी। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि उनकी गेहूं और मोटे अनाजों की आवश्यकताओं की यथा-सम्भव पूर्ति की जाएगी परन्तु चावल की जो मात्रा पहले बतायी जा चुकी है उससे और अधिक मात्रा देना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

पश्चिमी बंगाल में फैक्टरियों का बन्द होना

8 12. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की कलकत्ता यात्रा के दौरान पश्चिमी बंगाल में बड़ी संख्या में बन्द पड़ी फैक्टरियों को पुनः चालू करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बाद में क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) इस बीच पुनः चालू हुई और अभी भी बन्द पड़ी फैक्टरियों की संख्या और नाम क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कलकत्ते में, नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों से मैंने जो विचार-विमर्श किया उसमें यह स्वीकार किया गया था कि राज्य श्रम आयुक्त सभी बन्द हुये कारखानों के हर मामले में बन्द होने के कारणों जैसे, आर्थिक कठिनाई, मन्दी या औद्योगिक विवाद का पता लगाने के लिये जांच करे ताकि उन कारखानों को चालू करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा सके ।

(ख) तदनुसार पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा इस प्रकार की एक समिति की स्थापना की गई है। इस समिति ने पहली जून, 1968 से अपना कार्य आरम्भ कर दिया है तथा यह आशा की जाती है कि जुलाई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। राज्य सरकार समझौते द्वारा बन्द कारखानों को फिर से चालू करने के लिए कोशिश कर रही है ।

(ग) 138 बन्द कारखानों में से, 15 मई, 1968 और 16 जुलाई, 1968 के बीच के समय में 10 कारखाने फिर से खुल गये। तथा बाकी 128 कारखाने अभी तक बन्द हैं। एक विवरण जिसमें फिर से खोले गये 10 कारखानों के नाम हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. इन्डो-अमेरिकन कामर्स (पी) लिमिटेड, 35, चित्तरंजन एवेन्यु, कलकत्ता ।
2. फुलिया शीट एन्ड मेटल हार्डवेयर इन्डस्ट्री, फुलिया, नदिया ।
3. गनेश कामर्शियल कारपोरेशन ।
4. डेवरेस गैरिज (पी) लि०, 11–ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट, कलकत्ता ।
5. नेग्रो-मटल्लो (पी), 234, गोपाल लाल टैगोर रोड, कलकत्ता 36 ।
6. डिलिप कुमार पौल एन्ड सन्स, (अम्बैला मैन्यु०), हावड़ा ।
7. इंडियन स्टील कारपोरेशन, 120–बी, मानिकटोला मैन रोड, कलकत्ता–54 ।
8. इंडियन स्टील इक्वीपमेंट, 120-ए, मानिकटोला मेन रोड, कलकत्ता–54 ।
9. जनरल मेटल ट्रेडिंग कम्पनी, 226, बागमारी रोड, कलकत्ता–54 ।
10. कालिको फार्मेस्युटिकाई वर्क्स 9, गंगुली पारा लेन ।

बिजली उपक्रमों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

813. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
[श्री स० मो० बनर्जी :
[श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तरिम सहायक के बारे में बिजली उपक्रमों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सर्वसम्मत सिफारिशो में संशोधन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या संशोधन किये हैं ; और

(ग) ये संशोधन करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार द्वारा की गई तरमीमें/स्पष्टीकरण [सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यु बी/15 (24)/67, दिनांक 20 जून, 1968 में उल्लिखित हैं । संकल्प की प्रतियां आज सभा की मेज पर रखी जा रही हैं ।

(ग) सिचाई और बिजली मंत्रालय के विचार और रायों को ध्यान में रख कर सरकार ने यह विचार किया कि बिजली उपक्रमों पर कोई अनुचित भार पड़ने से रोकने के लिये ये तरमीमें आवश्यक हैं ।

अन्दमान फारेस्ट यूनियन और पी० डब्लू डी० वर्कर्स यूनियन का हड़ताल नोटिस

814. श्री एस्थोस : श्री भगवान दास :
श्री अ० क० गोपालन : श्री गणेश घोष :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री अन्दमान फोरेस्ट यूनियन और पी० डब्ल्यु० डी० वर्कर्स यूनियन के हड़ताल नोटिस के बारे में 2 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने क्या-क्या मांगें मानी हैं ;

(ख) सरकार के विचाराधीन कौन-कौन.सी मांगें हैं ; और

(ग) इन पर विचार सम्भवतः कब तक पूरा हो जायेगा और इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1434/68]**

(ग) चूंकि प्रस्ताव के बारे में अन्य मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया जायेगा, इसलिये छानबीन में कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

केन्द्रीय वन-विज्ञान बोर्ड

8 15. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वन विज्ञान बोर्ड की 7 जून, 1968 को हुई बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई तथा उसमें क्या निर्णय किये गये ;

(ख) क्या बोर्ड ने निर्यात की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी किसी योजना पर विचार किया था, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश तथा केरल में बांस की ऐसी किस्म के उगाने के बारे में कोई चर्चा की गई थी जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीन तथा जापान से मुकाबला कर सके ; और

(घ) वर्ष 1967-68 में कितने मूल्य का वन सम्बन्धी माल निर्यात किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पूछी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1435/68]**

(ख) केन्द्रीय वन-विज्ञान बोर्ड ने निदेश दिया है कि निर्यात के योग्य विभिन्न लघु वन पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के मामले पर वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून में होने वाली सम्पर्क बैठक में विचार किया जाना चाहिए ।

(ग) बोर्ड की पिछली बैठक में किया गया निर्णय निम्न प्रकार है :—

> "बोर्ड ने अन्तिम रूप से निश्चय किया कि राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा बांस तथा बेतों की उन किस्मों को उगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिये जो निर्यात के लिये उपयुक्त हों ।"

(घ) पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

शिष्टमंडलों की विदेश यात्रा

8 16. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में अब तक उनके मंत्रालय के अनुरोध पर सरकारी खर्च पर कितने शिष्टमंडल, मंत्री, अधिकारी अथवा अन्य विशेषज्ञ विदेशों में गये ;

(ख) वे किन-किन देशों में गये और वहां पर कितनी-कितनी देर रहे ;

(ग) प्रत्येक यात्रा पर कितना धन खर्च हुआ तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा सम्मिलित है ; और

(घ) प्रत्येक यात्रा के फलस्वरूप सरकार को वस्तुतः क्या लाभ हुआ और यदि कोई करार किये गये, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1436/68**]

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट द्वारा गलत बिल बनाना

817. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट द्वारा गलत बिल बनाने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मीटरों की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली टेलीफोन परिमंडल द्वारा हर महीने लगभग 25,000 टेलीफोन बिल जारी किये जाते हैं। हाल के पिछले महीनो में इन बिलो के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का मासिक औसत लगभग 150 है। आमतौर पर ये शिकायतें मीटर द्वारा निर्दिष्ट कथित अधिक कालों के सम्बन्ध में होती है न कि दोषपूर्ण बिल बनाने के सम्बन्ध में।

(ख) उपभोक्ताओं को मीटरों की आमतौर पर हर तीसरे महीने जांच की जाती है। यहां तक कि शिकायत होने पर जांच बार-बार की जाती है और मीटर कैसे काम करता है इसकी निगरानी रखी जाती है ।

पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों द्वारा हड़ताल की धमकी

818. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में सूती कपड़ा मिलों तथा शक्तिचालित करघों के मजदूरों ने जुलाई, 1968 में तीसरे सप्ताह से हड़ताल करने की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने हड़ताल को रोकने और विवाद निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलों और शक्तिचालित करघों के कर्मचारियों ने 1-7-1968 से अनिश्चित काल की हड़ताल पर जाने की धमकी दी। पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम निदेशालय के हस्तक्षेप पर प्रस्तावित हड़ताल तीन सप्ताह तक स्थगित कर दी गई ।

(ख) शक्तिचालित करघों के कुछ नियोजकों और उनके श्रमिकों के बीच 28-6-1968 को एक समझौता हो गया। कुछ मिल मालिकों से भी अनुनय किया गया है कि वे श्रमिकों की कुछ माँगों को पूरा करे। राज्य सरकार निदेशालय इस मामले में कार्यवाही कर रहा है।

दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका

8 19. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका की क्वालिटी, साज-सज्जा तथा शुद्धता में सुधार करने के लिये सरकार ने कोई विशेष प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ ।

(ख) कुछ प्रशासनिक परिवर्तन कर टेलीफोन निर्देशिका के इंदराजों की शुद्धता में सुधार करने के लिये कदम उठाये गये हैं । हमने निर्देशिका में निम्नलिखित सुधार भी किये हैं :—

(i) चमकीले आर्ट पेपर की जिल्द जो अन्दर के पृष्ठों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती उसको दाब वाले पतले कार्ड बोर्ड की जिल्द में बदल दिया गया है ।

(ii) टेलीफोन प्रणाली के अनुरक्षण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों को निर्देशिका के दूर संचार भाग के पहले पृष्ठ पर विशेष रूप से दिखाया गया है ।

(iii) महत्वपूर्ण लोकोपयोगी टेलीफोन नम्बरों को भी उचित स्थान पर दिखाया गया है ।

नई दिल्ली में श्रमिक विवाद

8 20. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में श्रमिक अशान्ति काफी बढ़ गई है ;

(ख) क्या सरकार ने नई दिल्ली में औद्योगिक विवादों के कारण पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने नई दिल्ली में मालिक-मजदूरों के सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जब कभी विवाद खड़ा होता है तब स्थिति पर विचार किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन की समझौता मशीनरी की सेवाय नियोजकों और कर्मचारियों को विवादों का निपटारा करने के लिये उपलब्ध हैं । इस मशीनरी के अधिकारी औद्योगिक शान्ति को कायम करने और उसे बढ़ावा देने के लिये जब कभी आवयश्यक हो तो हस्तक्षेप करते हैं ।

उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव

8 21. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में मध्यावधि निर्वाचनों के लिए प्रबन्ध कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो मतदाता सूचियों के प्रकाशन, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने और मतदाता सूचियों के अन्तिम रूप से प्रकाशन के लिये प्रस्तावित तारीख कौन कौन सी हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं। प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख, आक्षेप और दावे प्राप्त करने के लिए अन्तिम तारीख और निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम रूप से प्रकाशन के लिए तारीख क्रमशः 9 सितम्बर, 30 सितम्बर और 1 नवम्बर 1968 हैं और पश्चिम बंगाल राज्य के लिये क्रमशः 20 मार्च, 20 मई और 16 अगस्त, 1968 (225 निर्वाचन क्षेत्रों के लिये) और 31 अगस्त, 1968 (47 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए) हैं। पश्चिमी बंगाल में शेष 8 सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियाँ पहले ही चाल वर्ष के दौरान संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित, और 1968 की 21 फरवरी को अन्तिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है ।

मछली का उत्पादन

822. श्री म० ला० सोंधी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मछली के वर्तमान उत्पादन को 2 करोड़ टन करने की सम्भावनाओं के बारे में राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था के निदेशक द्वारा हाल में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो देश के खाद्य संस्थानों में हिन्द महासागर के पूर्ण अंशदान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) "हिन्द महासागर के मीन क्षेत्र साधनों" पर एक पत्र में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के निदेशक ने संकेत किया है कि देश वर्ष की अवधि में भारत में मछली उत्पाद की प्रवृत्ति मोटे तौर से दुगनी हो गई है। उन्होंने कहा है कि यदि यह दर अधिकांश एशियाई एवं अफ्रीकी देशों (जो हिन्द महासागर के किनारे पर बसे हुए) के लिए औसत मान लिया जाये, जो हिन्द महासागर से उत्पाद मोटे तौर से लगभग 200 लाख टन प्रति वर्ष इस शताब्दी के अन्त तक बतलाया जा सकता है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में (1969–74) 8,000 यंत्रीकृत नाव तथा 300 बड़े जलयान चालू करने का है। मछली पकड़ने वाले इन जलयानों के 0.64 मिलियन टन मछली के पकड़े जाने की आशा है जो मछली के गत उत्पादन के लगभग 60 प्रतिशत अधिक होगा। योजना के अन्तर्गत मछली पकड़ने के काम आने वाले जलयानों के ठहरने, मछली के भाण्डागार, सफाई और विपणन, मछली पकड़ने की नावों की सप्लाई, गीयर और अन्य सहायक उपकरणों तथा जहाज चलाने के प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

Development of New Seeds in Pusa Institute and Rudrapur University

823. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that new seeds of wheat and other foodgrains have been developed in Pusa Institute and Rudrapur University ;

(b) the number of them, which have been given to farmers for use and the results thereof;

(c) whether it is also a fact that the farmers are experiencing a good deal of difficulty in getting these seeds; and

(d) if so, the measures contemplated by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) At present new varieties of wheat and other foodgrains are under development under the Coordinated Research Project sponsored by the I.C.A.R. and operated at the I.A.R.I.U.P. Agricultural University at Pantnagar near Rudrapur and other Agricultural Universities, Central Research Institutes and State Depts. of Agriculture in the country.

(b) So far the following high yielding varieties of wheat and other foodgrains seeds have been released by the Central Variety Release Committee and their yields are noted below :

	Max yield in kg/ha
Wheat	
Shabati Sonara	5597
Kalyan sona	4455
Safed Lerma	4001
Sonalika	4300
Chhoti Lerma	4106
Jowar	
CSH 1	5500
CSH 2	3895
Bajra	
HB 1	6700
HB 2	5262
Maize	
Ganga 101	6020
Ganga 3	7080
Ganga Safed 2	7420
Deccan	4375
Ranjit	6440
Hi-Starch	6200
Himalya 123	7030
Composite Maize Kisan	4759
„ „ Amber	8882
„ „ Vijay	4677
„ „ Jawahar	4208
„ „ Sona	4307
„ „ Vikram	5075

(c) and (d). There is no difficulty at present about the availability of seeds of those varieties except amber-coloured wheat varieties. Steps have already been taken to multiply these varieties and it is hoped that these varieties would be available in sufficient quantity in future. In order to ensure that in future sufficient quantity of newly evolved varieties are available to the farmers for cultivation as soon as they are released by the Central Variety Release Committee, it has now been decided that the National Seeds Corporation Ltd. would under lake pre-release multiplication of varieties, appearing promesing for release by the Central Variety Release Committee, even prior to their release.

Delhi Milk Scheme

824 **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Delhi Milk Scheme is making some profit;

(b) if so, the amount of profit earned by the Delhi Milk Scheme last year;

(c) if not, the reasons for the loss ; and

(d) the amount of expenditure being incurred on the staff of the Delhi Milk Scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) The Scheme operated at a loss.

(c) The main reasons for the losses are :—

(i) Steady increase in purchase price of milk.

(ii) Fixation of selling prices at levels below cost of production.

(iii) Time lag between the increase in procurement prices and revision of selling prices.

(iv) General increase in the price of stores, particularly the price of Skimmed Milk Powder.

(d) The expenditure incurred by the Scheme on Staff during the years 1964—65, 1965—66 and 1966—67 was as under :—

1964-65	Rs. 49.66 lakhs
1965-66	Rs. 57.84 lakhs
1966-67	Rs. 67.88 lakhs

कुलियों का कल्याण

825. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुलियों के कल्याण सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

चावल की आधुनिक मिलें

826. **श्री धीरेश्वर कलिता ।**

श्री क० प्र० सिंह देव ।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान सहकारी क्षेत्र में चावल की आधुनिक मिलें स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथापि, अस्थायी रूप से आधुनिक मिलिंग उपकरण वाली किन्तु साइलो स्टोरेज रहित 300 चावल मिलों की परिकल्पना की गई है ।

कृषि उत्पादन के लिये अणु शक्ति

827. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेन्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अणुशक्ति के प्रयोग में वृद्धि करने हेतु एक पंचवर्षीय परियोजना आरम्भ करने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के अन्तर्गत उपकरणे, विशेषज्ञों और उपयुक्त भारतीय अनुसंधान कार्य-कर्ताओं की शिक्षा वृत्ति की व्यवस्था है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य तकनीकों के विकास का है जो कि सिंचाई वाले और सूखे क्षेत्रों में कृषि कौशल बढ़ाने में सहायक होंगे जिससे कि आदानों विनियोजन से अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। परियोजना के अन्तर्गत निम्न बातें हैं :—

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में न्यूक्लीय अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार एवं उनमें तीव्रता लाना।
2. पशु पोषक आहार और उत्पादन में न्यूक्लीय टूल्स का प्रयोग।
3. देश के कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों के वैज्ञानिकों के लिए न्यूक्लीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संगठन।
4. भाषा आण्विक अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की गति-विधियों का समन्वय।
5. अतिथि कार्य-कर्ताओं के लिए अनुसंधान हेतु स्थान और प्रशिक्षण सुविधा का प्रबन्ध।

(ग) परियोजना की कल पूंजीगत लागत यू० एस० डालर 3,982,100 (रुपये 2,98,65,750) है।

इसका विनियोग इस प्रकार होगा :

		संयुक्त राज्य-डालर
1.	एन० डी० डी० पी० विशेष निधिअंशदान	1,351,200
2.	भारत सरकार को स्थानीय संक्रियात्मक लागत के लिये	72,600
3.	भारत सरकार का जिन्स के रूप में प्रतिरूप अंशदान वर्तमान सुविधायें 1,286,466	
	नवीन व्यय 1,271,834	
		2,558,300
		3,98 100

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां तथा बैंक

828. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेक सहकारी समितियां हैं, जो बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं और वे केवल कागज पर ही विद्यमान हैं;

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने सहकारी बैंक हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक सहकारी बैंकों के चुनाव बहुत समय पहले होने चाहिये परन्तु मुकदमेबाजी तथा अन्य कारणों से चुनाव नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो जिलावार ऐसे सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है; और

(ङ) राज्य में कितने सहकारी बैंकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन के आरोप लगाये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों की खरीद के लिये मंडियां

829. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों को सरकारी मंडी घोषित किया गया है;

(ख) उन पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) क्या इन मंडियों के पुराने व्यापारियों ने सरकार से इन मंडियों को समाप्त करने के बारे में अभ्यावेदन किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने राज्य के 281 मंडियों में क्रय एजेन्टों के माध्यम से खुले बाजार में रबी के खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की है ।

(ख) स्पष्टतः प्रश्न का यह भाग उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत मंडी विनियमन पर हुए खर्च से संबंधित है। 1967–68 में केन्द्रों के श्रेणीकरण समेत मंडियों का विनियमन संबंधी खर्च 9,16,900 रुपये है। अब तक इस अधिनियम के अंतर्गत 29 मंडियों को लाया गया है।

(ग) उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के विरुद्ध बहुत से व्यापारियों ने रिट याचिका दायर की थी। रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय में विशिष्ट अपील लम्बित है। प्रस्ताव के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन भी दिए गए हैं। अभ्यावेदन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

अनाज के वितरण के बारे में शिकायतें

830. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया जिलों के सम्भरण विभागों के द्वारा अनाज के दोषपूर्ण वितरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बलिया जिले में 1966–67 में दुकानदारों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये जाने के कारण सस्ते राशन की बहुत सी दुकानों को समाप्त कर दिया गया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि समाप्त की गई दुकानों में से बहुत सी दुकानें उनके मूल स्वामियों को लौटा दी गई हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन जिलों के सम्भरण विभाग में चोरबाजारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है ;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस समय उत्तर प्रदेश में बलिया और देवरिया जिलों में सस्ते राशन की कितनी दुकानें चल रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (छ) उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है जो प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पीलीभीत बस्तीकरण योजना

8 31. श्री विश्व नाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीलीभीत बस्ती बसाना योजना के अन्तर्गत भूमि के आवंटन का आधार क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि बस्ती बसाना समिति के समक्ष भूमिहीन श्रमिकों और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को भूमि आवंटन के बहुत से आवेदन पत्र 1960 से विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने आवेदन पत्रों का निपटारा किया जा चुका है और कितने निवेदन पत्र अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ट्रैक्टरों का आयात

8 32. श्री मणि भाई जे० पटेल :
श्री अ० सिंह ० सहगल :
श्री लखन लाल गुप्ता :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और चेकोस्लोवाकिया के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों से रुपये के भुगतान के आधार पर इस बीच ट्रैक्टरों के आयात की प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों की वसूली

933. श्री दामानी :
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री नाथ राम अहिरवार :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य अभिकरणों द्वारा खरीदे गये गेहूं तथा चावल के वास्तविक आँकड़े अलग-अलग क्या हैं;

(ख) बिक्री के लिये उपलब्ध सभी स्टाकों को खरीदने की खाद्य निगम की असमर्थता के कारण तथा लाने ले जाने तथा गोदाम की सुविधायें न होने के कारण यदि कोई हानि हुई है तो कितनी; और

(ग) इस मामले में क्या ऐहतियाती कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1437/68]**।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने बिक्री के लिये पेश किए गए उचित औसत किस्म के किसी भी स्टाक को खरीदने के लिये इन्कार नहीं किया है। इस खाते में कोई नुकसान नहीं हो सकता। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त सभी अनाजों के संचायन तथा पारगमन सम्बन्धी पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं और संचयन तथा पारगमन सुविधाओं की कमी के कारण किसी उल्लेखनीय हानि के होने की आशा नहीं है।

गेहूं और चावल के अन्तर्गत भूमि

934. श्री दामानी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों म पिछली फसल में कितनी भूमि पर अधिक उपज वाली किस्म का गेहूं और चावल बोया गया त । इसके परिणामस्वरूप कितनी अधिक उपज हुई; और

(ख) इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इन किस्मों के बीज पर्याप्त मात्रा में सभी किसानों को उचित मूल्य पर दिये जाय ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गत वर्ष (1967-68) के दौरान में लगभग 11.67 मिलियन एकड़ का एक

कुल क्षेत्र जिसमें 4.40 मिलियन एकड़ धान के अन्तर्गत और 7.27 मिलियन एकड़ गेहूं के अन्तर्गत उच्च उत्पादीय किस्म के अन्तर्गत आवरित होने का अनुमान है। राज्यवार स्थिति का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है (अनुबन्ध–1) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1438/68]

धान एवं गेहूं दोनों की उच्च उत्पादीय किस्मों ने परम्परागत किस्मों की अपेक्षा काफी अधिक उत्पाद दिया है। 1967–68 के खरीफ एवं रबी के मौसमों के दौरान में धान एवं गेहूं उत्पादक महत्वपूर्ण राज्यों में प्राप्त किये उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। (अनुबन्ध ii एवं iii) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1438/68]

(ख) 1967–68 से बीज उत्पादन कार्यक्रम विकेन्द्रित कर दिया गया है और अब प्रत्येक राज्य प्रत्येक फसल मौसम के लिये उच्च उत्पादीय किस्म कार्यक्रम के हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बीजों का बढ़ाने का अपना स्वयं प्रबन्ध कर रहा है। प्रत्येक फसल मौसम के प्रारम्भ होने से बहुत पहले बीज सम्भरण स्थिति का राज्य सरकारों के साथ पुन रीक्षण कर लिया जाता है। जहाँ कहीं भी कमी परिलक्षित होती है, राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा संगठित विशेष बीज उत्पादन कार्यक्रम से सम्भरण के साथ या स्टाकों को फालतू क्षेत्रों से लाकर कमी को पूरा किया जाता है। सिवाय गेहूं की नयी तैयार की हुई अम्बर रंग की किस्मों को छोड़कर आजकल धान एवं गेहूं की किसी भी उच्च उत्पादीय किस्म के बीजों की प्राप्ति में कोई भी मुश्किल नहीं आती। ये किस्में शीघ्र ही विनिर्मुक्त की गई हैं और इन किस्मों के बीजों का अधिक मात्रा म गुणन करने के लिये और उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने के लिये हर सम्भव कदम उठाया जा रहा है।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में मध्यावधि निर्वाचन

835. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीधरन:
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मध्यावधि निर्वाचन नवम्बर, 1968 में कराने के बारे में अन्तिम विनिश्चय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कुछ राजनैतिक दलों के दबाव के कारण यह विनिश्चय बदलने की कोई सम्भावना है?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) और (ख). **उत्तर प्रदेश** : मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा लखनऊ में 22 मई, 1968 को बुलाए गए उत्तर प्रदेश के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हुई उन सब दलों की सहमति से और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, जिनकी राय भी ऐसी ही थी, अस्थायी रूप से यह विनिश्चित किया गया कि उत्तर प्रदेश में मध्यावधि निर्वाचन फरवरी, 1969 के उत्तरार्द्ध में कराए जाएं।

बिहार : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अभी तक बिहार के राज्यपाल या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भेंट नहीं की है। अतः बिहार में मध्यावधि निर्वाचन कराने के लिये अस्थायी रूप से भी कोई समय अभी नियत नहीं किया गया है।

(ग) निर्वाचन आयोग पर किसी भी राजनैतिक दल से कोई दबाव नहीं पड़ा है।

पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

836. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अदिचन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को सब समाचार पत्रों ने कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा अथवा अन्य साधनों से उन्हें कार्यान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) मजूरी बोर्डों की सिफारिशों की क्रियान्विति की प्रगति से संबंधित प्राप्त सूचना के दो अलग-अलग विवरण सभा की मेज पर रख दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1439/68]

(ख) और (ग). श्रमजीवी पत्रकार बोर्ड की सिफारिशें कानूनन लागू होती हैं और राज्य सरकारें उनकी क्रियान्विति कराने के लिये कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कानूनन लागू नहीं होती हैं और उनकी क्रियान्विति मुख्य रूप से अनुनय तथा परामर्श से ही कराई जाती है। राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।

पंजाब और हरियाणा में रेलवे द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई

837. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
[श्री श० ना० माइती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में खाद्य तथा कृषि और रेलवे मंत्रालयों ने हरियाणा तथा पंजाब में अच्छी फसल की ढुलाई के लिये ठीक व्यवस्था न किये जाने के लिये एक दूसरे पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में तालमेल न होने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों से गलत धारणा बन गई थी और इस लिये दोनों मंत्रालयों ने इस प्रकार की धारणा को ठीक करने हेतु एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा और पंजाब में अनाज की लदाई

8 38. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा और पंजाब में श्रमिकों की भारी कमी थी जिसके कारण अनाज की लदाई में देरी हो गई; और

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) अधिप्राप्ति की व्यस्ततम अवधि में कुछ स्थानों पर कभी-कभी मजदूरों की कमी महसूस की गई थी लेकिन यह बाधा अधिप्राप्त खाद्यान्नों के तुरन्त प्रेषण में नहीं आने दी गई।

वर्ष की इस अवधि में मजदूरों की कमी सामान्य बात है लेकिन इस वर्ष रबी की भरपूर फसल और पंजाब तथा हरियाणा में खाद्यान्नों की अभूतपूर्व अधिप्राप्ति और संचलन के कारण बढ़ गयी थी।

मंजूरी बोर्ड के पंचाटों की क्रियान्विति

8 39. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यहह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों जैसे कुछ औद्योगिक कारखानों ने मजूरी बोर्ड के पंचाटों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पंचाटों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) जी हाँ।

(ख) श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड को छोड़ कर अन्य मजूरी बोर्डों की सिफारिशें कानूनन लागू नहीं होतीं। अतः क्रियान्विति प्राधिकारी अनुनय और परामर्श द्वारा इन सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

प्रादेशिक भाषाओं में टेलीप्रिण्टर

8 40. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भाषाओं में टलीप्रिंटर बनाने के बारे में सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान टलीप्रिण्टर्स लिमिटेड अंग्रजी तथा हिन्दी टेलीप्रिण्टर बना रहा है। प्रादेशिक भाषाओं मे टेलीप्रिण्टर बनाने का कोई कार्य-क्रम नहीं है।

नई दिल्ली में टेलफोन एक्सचेंज में आग

8 41. **श्री यशपाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छः मास पूर्व उत्तर रेलवे के डिविजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय नई दिल्ली के टलीफोन एक्सचेंज में आग लग गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणाम स्वरूप डाक तथा तार विभाग को कितनी हानि हुई थी;

(ग) क्या आग के कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ। मंडल अधीक्षक (उत्तर रेलवे) के कार्यालय के निजी लघु स्वचल एक्सचेंज में 20 दिसम्बर 1967 को आग लग गई थी।

(ख) अनुमानतः 8 41. 22 रुपये।

(ग) जी हाँ।

(घ) संभवतः बोर्ड के कुंजीशेल्फ पर बिजली के हीटरों के कारण अत्यंत गर्मी बढ़ जाने से आग लग गई थी। ऐसा अनुमान है कि टेलीफोन प्रचालकों ने अपने आपको गर्म रखने के लिये कुंजीशेल्फ पर हीटर रख दिया था, क्योंकि दिसम्बर में रात्रि को अत्यंत सर्दी थी।

नया निजी लघु स्वचल एक्सचेंज बोर्ड लगाकर संचार व्यवस्था को तुरंत वापिस चालू कर दिया था।

मछुओं द्वारा कब्जे की गई भूमि का स्वामित्व

842. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 22 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसा समझती है कि मछुओं जैसी पिछड़ी जाति के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह उन्हें उस भूमि का स्वामित्व-अधिकार दे दे जिस पर उनके मकान बने हुए हैं;

(ख) मछुओं की आवास सम्बन्धी उन दयनीय दशाओं की जांच न करने के क्या कारण हैं जो उनको उस भूमि पर जिस पर उनके मकान बने हुए हैं कब्जा न होने के कारण हैं; और

(ग) उस भूमि के स्वामित्व अधिकार उनको न देकर केवल पट्टे पर देने से सरकार को क्या लाभ होते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायि विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : सरकार मकुओं के लिए गृह सम्बन्धी सुविधायें देने की आवश्यकता को समझती है और ऐसी सुविधायें देने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। 15–4–1964 को हुई अपनी चौथी बैठक में केन्द्रीय मात्यस्यकी बोर्ड ने सिफारिश की कि मछली पकड़ने वाले गांवों के आसपास की सरकारी भूमि को मछुआरों को मकान बनाने, नावों के भण्डार, जालों को सुखाने आदि के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए। कुछ राज्यों में मछुआरों के लिए कमान बनाने की

योजनायें शुरु कर दी गई हैं। कब्जा की गई भूमि पर स्वामित्व के अधिकार और नियोजन के बजाय पट्टे पर भूमि के अनुदान सम्बन्धी प्रश्न प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होंगे और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निपटाये जाएंगे ।

Telephone Facilities at residences of Gazetted Officers

843. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6990 on the 11th April, 1968 and state :

(a) whether information has since been collected regarding telephone facilities at the residences of Gazetted Officers ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay in this regard ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The information so far collected in respect of the expenditure incurred on telephones provided at the residences of Gazetted Officers in New Delhi, is given below yearwise.

1966	Rs. 11,91,215.37
1967	Rs. 12,77,033.00
(1968 (upto 31-3-68)	Rs. 4,07,803.54

Information from some of the Ministries/Departments is still awaited and consolidated figures will be laid on the table of the Sabha as soon as all the information is received and compiled.

Confiscation of Land by the British Government

844. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8459 on the 25th April, 1968 and state :

(a) whether information has since been collected regarding land which had been confiscated by the British Government in U. P. ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The Government of U.P. has reported that details in regard to the names of persons, whose lands had been confiscated in U.P. by the British Government and acreage of land of each person so confiscated, are not readily available with the State Government.

The properties of some persons, who participated in the Movement of August, 1942, against whom courts had levied fines which could not be realised, or who absconded to evade their arrests, were auctioned according to law.

The U. P. Restoration of Lands and Houses, Act, 1947 provided for restoration of property on application of persons concerned, submitted to the court, till 31st December, 1948. The court was competent to set aside the order of sale or auction on the applicant paying compensation fixed by the Court, to the person who had acquired the property, by due process of law.

(c) Does not arise.

Utilization of Income from Land Belonging to Gram Samaj

845. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the manner in which income from land belonging to Gram Samaj, which is given to farmers on lease, is utilized and the amount received for such land given on lease in the Districts of Mathura, Veranasi and Aligarh in 1967-68 ;

(b) whether it is a fact that Government have no authority over the land of Gram Samaj which is allotted by Land Management Committees ; and

(c) if so, the reasons for which the leases of the said land have been declared as unlawful by Pargana Adhikari and Tehsildar ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Vacant land, other than lands referred to in Section 132 of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act and which are reserved for planned use, is vested in Gaon Sabhas. Such land is laesed out by the Land Management Com mittee of the Sabhas to tenants. After allotment, the tenants become Sirdars and start paying land revenue to the State. No separate records of land revenue assessed on lands which have been let out by Gaon Sabhas in Mathura, Varanasi and Aligarh are readily available with the Government of Uttar Pradesh.

(b) and (c). Vesting of land in the Gaon Sabhas has been done subject to the condition that the Gaon Sabhas manage it according to the provisions of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act. Any person aggrieved by the Land allotment made by the Land Management Committee can file an objection before the Collector who has powers to cancel the allotment after giving a hearing to the parties. The Collector has powers to enquire *suo moto* , into allotments made by the Land Management Committees and can cancel the lease where necessary.

In August, 1967 when the irregulatities committee by the Gaon Sabhas in the allotment of land came to the notice of the State Government, it ordered the scrutiny to be under taken by the Sub-Divisional Officers in respect of all the leases sanctioned by the Land-Management Committees in the aforesaid Districts after 1st October, 1964. Such allotments made by the Land Management Committees, which were found irregular, were ultimately cancelled.

Allotment of Land in Meerut and Mathura Districts

846. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of applications submitted to Government and to the District Magistrate, Meerut since, 1965 so far, for the allotment of land for cultivation in the Districts of Meerut and Mathura ;

(b) the number of persons whose applications were received with recommendatory letters from Members of Parliament, the number of applicants out of them who have been allotted land and of those who have not been allotted ;

(c) whether there are persons who are paying land revenue in spite of the fact that their land has not been measured ; and

(d) if so, their names and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The allotment of land for cultivation in U. P. is made under the U. P. Imposition of Ceiling on Land Holding Act, 1960, and under the Colonisation Scheme. According to the information available with the Collector, Meerut, 524 applications for Ceiling land and 1093 applications under Colonisation Scheme have been received so far in that District. Information about Mathura District is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

The allotment of lands, which vest in Gaon Sabhas, is done by Land Management Committees in accordance with the provisions of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act and Rules made thereunder and not by Government or District Magistrates. No information in this regard is, therefore, readily available with the State Government.

(b) According to Collector, Meerut, one application was received with recommendatory letter from a Member of Parliament but no allotment was made in that case. Information regarding applications recommended by Member of Parliament for allotment of Gaon Sabha land is not available with the State Government.

(c) Land Revenue is paid by a person inrespect of land recorded in his name in the record of rights maintained under the Land Revenue Act. He can get his land demarcated on application to the Sub-Divisional Officer under the U. P. Land Revenue Act. Measurement of the land is not a pre-condition for payment of land revenue under any law in force in U. P.

(d) Does not arise.

"Grow More Food" Campaign in the Capital

847. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the scheme initiated under orders from late Lal Bahadur Shastri under "Grow More Food" Campaign to grow food in Government Bungalows and on surplus land in the capital has now been dispensed with ; and

(b) if not, the quantity of foodgrains produced in the years 1967 and 1968 and the manner in which that was distributed?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Though there is no specific scheme under "Grow More Food" Compaign to grow food in Government bangalows and on surplus land in the capital, under a Special Development Programme, a scheme for Crash Programme for vegetable production was sanctioned by the Government of India in 1965. This scheme *inter alia* envisages rendering help to people growing vegetables in the bungalows kitchen gardens, in the supply of production requisites such as, seeds, seedlings, fertilizers, pesticides and also to give them technical guidance. This scheme is still continuing. In the beginning foodgrains were also being grown in big bungalow compounds but since last year attention is being given exclusively to growing vegetables. No foodgrains are now being grown in the bungalow compounds.

In the urban area at present about 2200 kitchen gardens are being attended to. During last two years, the following inputs have been distributed :

Item	1966-67	1967-68
1. Vegetable Seeds (Kgs.)	19207	19983
2. Seed Packets (Nos.)	77472	71730
3. Seedlings distributed (in lakhs)	38·84	32·46
4. Fertilizer Packets (Nos.)	53164	54529
5 Kitchen Garden established (Nos.)	992	1960
6. Persons trained (Nos.)	1104	1455

Though no firm estimates are available, it is expected that about 480 tonnes of vegetables worth Rs. 2.2 lakhs were produced by the kitchen gardens during 1967-68.

The vegetables and other food produced by the kitchen gardens are the property of the persons occupying the bangalows/houses concerned. They may consume the produce or dispose it of in any manner they like.

हरियाणा में निर्वाचन पर खर्च

848. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के लिए मध्यावधि निर्वाचन कराने पर सरकार ने कितना खर्च किया ;

(ख) 1967 के साधारण निर्वाचनों में किए गए खर्च से यह खर्च कितना अधिक या कम

(ग) क्या सरकार को शासनतंत्र के दुरुपयोग तथा आफिसरों द्वारा असम्यक् असर के बारे में शिकायत प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) क्या मतदाताओं को परेशान किए जाने के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) हरयाणा में सन् 1968 के मध्यावधि निर्वाचन कराने में सरकार द्वारा उपगत व्यय की रकम 5,48,000 रु० थी ।

(ख) सन् 1967 के साधारण निर्वाचनों के लिए उपगत व्यय 7,95,000 रु० था, जो कि सन् 1968 के मध्यावधि निर्वाचनों पर उपगत व्यय से 2,47,000 रु० अधिक था ।

(ग) और (घ) जी हां । निर्वाचन आयोग को शासनतंत्र के अभिकथित दुरुपयोग और राज्य सरकार के पदधारियों द्वारा असम्यक् असर की बाबत 10 शिकायतें और मतदाताओं को परेशान किए जाने की बाबत 11 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इन शिकायतों में से कुछ की, विशेष रूप से बहादुरगढ़ सभा निर्वाचन क्षेत्र में हरिजन मतदाताओं को परेशान करने से सम्बन्धित शिकायतों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्वयं जांच की और शिकायतों को प्रभावपूर्ण रूप से निपटाने के लिए घटना-स्थल पर ही कार्यवाही कर दी गई थी । शिकायतों में से दो की जो चचरोली निर्वाचन क्षेत्र में ब्लाक डिवलपमेंट आफिसर द्वारा हस्तक्षेप और पुंडरी निर्वाचन क्षेत्र में पीठासीन आफिसर द्वारा असम्यक् कार्यवाही के बारे में थीं, जांच की गई थी और ये शिकायतें निराधार पाई गई थीं । शेष शिकायतें राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई थीं ।

बंगलौर तथा त्रिवेन्द्रम में संसद् का सत्र

849. **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री को० सूर्यनारायण :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या संसद-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर तथा केरल के मुख्य मंत्रियों ने संसद् को क्रमशः बंगलौर तथा त्रिवेन्द्रम में सत्र आयोजित करने के लिए निमन्त्रित किया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई संसदीय समिति द्वारा कितनी प्रगति की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दक्षिण में संसद् का सत्र आयोजित करने में वित्तिय फलितार्थ तथा व्यवहार्यता की जांच करने के लिए हाल ही में नियुक्त संसद् सदस्यों की समिति की दो बैठकें हुईं और यह निश्चय किया कि समिति दक्षिण प्रान्तों की राजधानियों में जाये तथा वहां उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का अध्ययन करे ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन के तारों की चोरी

850. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वर्ष में अकेले उत्तर प्रदेश में ही 23 लाख रुपये के मूल्य की टेलीफोन तथा तार विभाग की तारें चुराई गई हैं ;

(ख) सारे देश में इस कारण कुल कितनी वार्षिक हानि का अनुमान है ; और

(ग) ऐसी चोरियों की पुनरावृति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) 1967 में 64,17,941 रुपये ।

(ग) निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

(i) सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह लिख दिया गया है कि वे अपने राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों को तांबे के तारों की चोरी रोकने के लिए निर्देश जारी करें ।

(ii) अपराधियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था करने के लिए टेलीग्राफ तार (गैर काननी स्वामित्व) अधिनियम, 1950 का संशोधन किया जा रहा है ।

(iii) तांबे के झले तारों के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की प्राप्यता के आधार पर तांबे के तारों की एवज में तांबे के झले तारों को लगाने का भी प्रस्ताव है ।

खाद्यान्नों का निर्यात

851. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी एक अथवा दो वर्षों में कुछ देशों को फालतू अनाज निर्यात करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने अनाज के निर्यात किये जाने की सम्भावना है और किन किन अनाजों का निर्यात करने का विचार है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने हमारे फालतू अनाजों के लिये निर्यात बाजार का पता लगाने हेतु विदेशों में स्थित हमारे कुछ दूतावासों में कृषि सहचारी नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) कुछ देशों में कृषि सहचारी की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है लेकिन इसका सम्बन्ध निर्यात बाजार का पता लगाने से नहीं है और न तो अब तक इस सम्बन्ध में कोई ब्योरा तैयार किया गया है ।

स्वचालित मशीनें तथा कम्प्यूटर लगाना

852. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
[श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि]:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने एक परिपत्र द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में सभी नियोजकों को स्वचालित मशीनें तथा कम्प्यूटर लगाने के कार्य की गति धीमी करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन नियोजकों को यह परिपत्र भेजा गया था, उनमें से किसी पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के बहुत से संस्थानों ने इस परिपत्र के भेजे जाने पर भी कम्प्यूटर लगाये हैं ; और

(घ) क्या स्थायी श्रम समिति ने अपने विशेष अधिवेशन में इस विषय पर विचार किया था और क्या स्वचालित मशीनें लगाना बन्द करने की श्रमिकों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इस प्रश्न पर कोई नीति निर्णय करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अप्रैल, 1968 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 25वें अधिवेशन में हुए निर्णय के आधार पर नियोजक-संगठनों से अपील की गयी थी कि जब तक स्थाई श्रम समिति के विशेष अधिवेशन में इस विषय से सम्बद्ध सब मामलों पर पूर्ण रूप से विचार नहीं हो जाता, नियोजक स्वचालित मशीनें लगाने के मामले में यथास्थिति बनाये रखें । अपील की प्रतियां राज्य सरकारों केन्द्रीय शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों को भेजी गयी थीं।

(ख) जी हां । नियोजकों के केन्द्रीय संगठनों में से एक ने यह उत्तर दिया कि उन्होंने अपील अपने सब सदस्य-संगठनों को भेज दी है ।

(ग) जी नहीं । ऐसे दो मामलों में से जिनके बारे में सूचना प्राप्त है, एक मामले में लगे हुए कम्प्यूटर को लगाने का आदेश 1966 में ही दे दिया गया था तथा दूसरे मामले में जो कम्प्यूटर लगाया गया था वह 1966 में लगाये गये कम्प्यूटर के बदले में था ।

(घ) इस मामले में 18 जुलाई, 1968 को हुई स्थाई श्रम समिति की बैठक में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श हुआ । बैठक में व्यक्त किए गए विचारों को सरकार ने नोट कर लिया है तथा नीति निर्धारण के समय उन्हें ध्यान में रखा जायेगा ।

खाद्यान्नों का आयात

853. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दो वर्षों में खाद्यान्न आयात करने की सरकार की कोई योजनायें ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों से तथा कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्नों में आयात करने का विचार है ;

(ग) यह आयात किन शर्तों पर किया जायेगा ;

(घ) क्या चालू वर्ष में खाद्यान्न का आयात किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो आयात किये गये खाद्यान्न की मात्रा तथा मूल्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : 1969 और 1970 के वर्षों में भी खाद्यान्नों का आयात करना आवश्यक हो सकता है । पिछले पंचांग वर्ष के अक्तूबर-नवम्बर में विभिन्न संगत तथ्यों को जारी करने के बाद आयात सम्बन्धी जरूरतों, यदि कोई हों, सप्लाई के सोत एवं शर्तों का मूल्याकन किया जाता है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) पहली जनवरी से 30 जून, 1968 की अवधि में आयातित खाद्यान्नों की कुल मात्रा 36.96 लाख मीटरी टन थी जिनकी लागत अनुमानत: 216.15 करोड़ रुपये थी ।

Late Delivery of Telegrams

854. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Parkash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma : **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the complaints regarding the late delivery of telegrams are on the increase in the country ;

(b) whether Government have looked into the causes thereof ; and

(c) if so, the remedial measures proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, on the other hand complaints are on the decrease. A comparative statement of complaints for the last three years is placed on the Table of the Sabha.

Statement

Statement showing the number of complaints received during the last three years and their percentage to the total traffic handled.

Year	Traffic in lakhs	No. of Complaints	Percentage to total traffic
1965-66	443	15575	.035
1966-67	439	14123	.032
1967-68	439	11769	.026

(b) Yes. This is periodically examined by the P&T Board.

(c) Several measures have been taken. Some of these are :—

(1) Greater use of teleprinters and Auto-Transmitters.

(2) Increasing the strength of telegraphists.

(3) Streaminng of procedures.

(4) Extension of Zonal delivery systems.

(5) Rearrangement of circuits and telegraph Officers to relieve congestion.

(6) Introduction of direct outlets where justified.

Improvement in Telephone Service

855. Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shashtri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any scheme to bring about improvement in telephone service on the basis of memoranda and letters received by them from time to time ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) the time by which this scheme is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No such scheme has been prepared. All suggestions for the improvement of the telephone service received from any source are carefully examined and appropriate action taken.

(b) and (c). Does not arise.

कृषि तथा ग्राम विकास कार्यक्रम

857. श्री अदिचन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० डगलस यूसमिगर ने, जो कृषि के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध विदेशी विशेषज्ञ हैं, चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भारत में सघन कृषि तथा ग्राम विकास कार्यक्रम में सभी किसानों ने भाग न लिया तो भारत की वर्तमान कृषि प्रणाली के कारण ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा सन्तुलन पैदा हो सकता है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायि विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं । हमें डा० डगलस यूसमिगर द्वारा दी गई किसी ऐसी चेतावनी का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यापारिक फसलों का उत्पादन

858. श्री अदिचन :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में व्यापारिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यों को कितनी-कितनी सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास पथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1440/68]

केरल को अनाज की सप्लाई

859. **श्री अदिचन :** **श्री वासुदेवन नायर ।**
श्री मंगलायुमाडोम : **श्री श्रीधरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में केरल में अनाज का कुल कितना उत्पादन हुआ और राज्य को 1968–1969 में अनाज की आवश्यकता कितनी होगी ?

(ख) आवश्यकता और स्थानीय उत्पादन के बीच कमी को पूरा करने के लिये केरल को कितना अनाज, विशेष कर चावल, सप्लाई करने का विचार है; और

(ग) 1968–69 में अब तक प्रत्येक मास में केरल को कितना चावल और अनाज सप्लाई किया गया है और प्रत्येक मास के लिये उस ने कितनी मात्रा मांगी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967–68 में केरल में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अस्थायी अनुमान के अनुसार 11.3 लाख मीटरी टन है । 1968–69 में राज्य की खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) : राज्य में अनोपचारिक राशन व्यवस्था की मासिक जरूरतें समय समय पर निर्धारित पैमाने पर पूरी की जायेंगी । उपलब्धि के अनुसार समय समय पर पैमाने में परिवर्तन करना पड़ेगा । 1968–69 में केन्द्र द्वारा महीनावार केरल को वास्तव में भेंजी गई खाद्यान्नों की मात्राएं इस प्रकार हैं :—

(हजार मीटरी टन में)

महीना	चावल	गेहूं	जोड़
अप्रैल	30.4	42.7	73.1
मई	103.7	47.7	151.4
जून*	65.8	40.8	106.6

(*जून के आंकड़े अस्थायी हैं)

केरल में कृषि का विकास

860. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968–69 में केरल में कृषि के विकास की कोई योजना विशेषकर खाद्य-उत्पादन के लिए, स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है; और उस पर कितनी राशि खर्च होगी; और

(ग) इस योजना को सफल क्रियान्विति के लिये किस रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गयी थी, उस में से कितनी सहायता की मंजूरी दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केरल में 1968-69 में कृषि विकास की योजनायें राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत वार्षिक राज्य योजना के प्रस्तावों में ही सम्मिलित कर ली गई थीं।

(ख) कृषि क्षेत्र में प्रत्येक विकास शीर्षक के अन्तर्गत जिस व्यय का राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया था और जिसे योजना आयोग ने अन्ततोगत्वा मन्जूर किया उस के बारे में विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 1441/68]

(ग) राज्य सरकार की वार्षिक योजना के लिये निर्धारित ऋण अनुदान द्वारा जो केन्द्रीय सहायता दी जायेगी, उस की सीमा का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। फिर भी केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के वास्तविक काम के आधार पर दी जायेगी, यह वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श कर के योजना आयोग द्वारा बनाये गये केन्द्रीय सहायता की विधि और नमूने के अनुसार होगी।

विदेशी बाजारों में मछली की मांग

861. श्री अदिचन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में पाई जाने वाली झींगा तथा श्रिम्प आदि कुछ जातियों की मछलियों की (जमाई हुई तथा डिब्बों में बन्द) विदेशी बाजारों में इतनी अधिक मांग है कि वर्तमान सप्लाई इतनी कम है कि उस से कुछ ही लोगों की मांग पूरी हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली इन किस्मों की मछलियों को पकड़ने तथा उनके परिष्करण के लिये और अधिक तथा आधुनिक सुविधायें देने के लिये कोई विशेष योजना तैयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है तथा यदि इस योजना के लिये कोई केन्द्रीय सहायता दी जा रही है तो, कितनी; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो, इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विदेशी बाजारों में श्रिम्प की अधिक मांग है और श्रिम्प के निर्यात को बढ़ाने का पर्याप्त क्षेत्र है :

(ख) और (ग) राज्य योजनाओं के अन्तर्गत कई हजार शक्तिचालित नावें कार्य कर रही हैं। इन आयोजनाओं को जारी रखने और गहरे समुद्र में बड़े जहाजों द्वारा मछली पकड़ने का प्रस्ताव किया गया है जिस के लिये बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है केरल सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की एक आयोजना बनाई गई है जिस में मछली पकड़ने वाले बेड़े के विकास यातायात और परिष्करण सम्बन्धी सुविधायें भी सम्मिलित हैं। निर्यात की जाने योग्य किस्मों का परिष्करण निर्यात करने के लिये किये जाने का प्रस्ताव है जब कि निर्यात की जा सकने वाली मछली स्वदेशी बाजारों को भेजी जायेगी। राज्य सरकारों के परामर्श से चतुर्थ योजना (1969-74) का निरूपण किया जा रहा है। राज्य में गहरे

समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र की संभावना, वित्तीय संसाधनों और अन्य सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर केरल सरकार की आयोजना के ब्यौरे और उसे लागू करने के सम्बन्ध में जांच की जायेगी। राज्य योजना की आयोजनाओं में 1967-68 और 1968-69 के गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार का अंशदान अनुदान के रूप में 20 प्रतिशत और ऋण के रूप में 30 प्रतिशत है संशोधित चतुर्थ योजना की अवधि में सहायता जिस प्रकार की योजना बनेगी उसी के आधार पर निर्भर होगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

समन्वित दाल परियोजना

862. **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने अधिक उपज लेने वाले बीज पैदा करने के लिये अखिल भारतीय आधार पर और एक समन्वित दाल परियोजना आरम्भ की है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि यह संस्था दालों की कुछ किस्में तैयार कर चुकी है जो रबी और खरीफ की फसलों में पैदा होती हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसधान परिषद ने अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रायोजना चालू की है ताकि फसल के इस वर्ग में उच्च उपजा किस्मों का विकास किया जाये। प्रायोजना देश में 5 मुख्य केन्द्रों पर (जिन में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली भी शामिल है) और 4 उप-केन्द्रों में चल रही है।

(ख) हां। अखिल भारतीय प्रायोजना के अधीन कम समय मे उच्च उपज देने वाली अरहर की किस्म, मटर और चने की कम समय में पकने वाली और उच्च उपज देने वाली किस्म, मूंग, उड़द और लोबिया की कम समय में पकने वाली किस्म, और उच्च उपज देने वाली खेसरी जिस में न्यूरोटॉक्सिक तत्वों की कमी हो, का ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है। यह अभी प्रयोग-अधीन है और इन के परिणाम कुछ वर्षों में कृषकों को उपलब्ध कर दिये जायेंगे।

लक्ष्मीरतन काटन मिल्स और ऐटहर्टन वेस्ट कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की और भविष्य निधि की बकाया राशि

863. **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 से ले कर आज तक लक्ष्मी रतन काटन मिल्स और ऐटहर्टन वेस्ट कम्पनी लिमिटेड की और सक्रिय निधि की क्रमश: 10.72 लाख रुपये और 8.8 लाख रुपये की राशियां बाकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है

(ग) क्या प्रबन्धकों पर मुकदमा चलाया गया है। और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 30 अप्रैल, 1968 को मैसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लि० और मैसर्स अर्थटन वैस्ट कं० लि० की ओर भविष्य निधि की क्रमशः 13.33 लाख रुपए और 10.05 लाख रुपये की राशि बकाया थी।

(ख) से (घ) लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लि० कम्पनी की जायदाद पहले ही कुर्क की जा चुकी है तथा राज्य सरकार से उन का माल-मता बेचने को कहा गया है। कम्पनी के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत एक शिकायत भी कर दी गई है। इस की जांच की जा रही है।

अर्थटन वैस्ट कं० लि० भविष्य निधि की बकाया राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल करने के लिये वसूली कार्यवाही शुरू कर दी गई है। नियोजक पर मुकदमा चलाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

Foreign Exchange to States for Importing Rigs

864. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Food and Agriculture be pleased** to state :

(a) the amount of foreign exchange made available to State Governments, State-wise, for importing drilling rigs in 1967-68 ; and

(b) the type of rigs imported and the names of countries from where these rigs are being imported ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) During 1967-68 foreign exchange to the extent of Rs. 31.80 lakhs was released in favour of the Governments of Bihar and Mysore for the import of rigs as per details given below :—

Amount of foreign exchange as originally allotted	State	Type of rigs	Country from which to be imported
Rs. 27,00 Lakhs	Bihar	1. Heavy Duty Direct Rotary-cum-Percussion.	U.S.A.
		2. Five Medium Duty Direct Rotary-cum-Percussion (failing Model WW I)	U.S.A.
		3. Three Medium Direct Rotary (Failing Model 1500)	U.S.A.
Rs. 4.80 Lakhs	Mysore	Two Medium Percussion (Model UP-200)	Poland
Total : Rs. 31.80 Lakhs			

(b) No rig has been imported during 1967-68 either by the Government of Bihar or by the Government of Mysore. As Medium Percussion rigs are now available indegenously, the foreign exchange released in favour of the Government of Mysore has been withdrawn.

In addition to Medium Percussion rigs, Medium Duty Direct Rotary-cum-Percussion and Medium Direct Rotary rigs are also now vailable indigenously. The Government of Bihar has since revised its requirements of rigs to (a) 3 Heavy Duty Direct Rotary-cum-Percussion and (b) 6 Medium Direct Rotary rigs. As Medium Direct Rotary rigs are indigenously available, the request of the Government of Bihar for import of only 3 Heavy Duty Direct Rotary-cum-Perscussion rigs is being processed in consultation with the D.G.T.D.

कलकत्ता में साझे के टेलीफोनों की नई प्रणाली

865. **डा० रानेन सेन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में साझे के टेलीफोनों की एक प्रणाली शुरू की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) देश के कुछ भागों में साझा टेलीफोन सेवा परीक्षण के तौर पर चल रही है। इस को लोकप्रिय बनाने के लिये अब कदम उठाये जा रहे हैं। ज्योंहि नियमों के संशोधन और आकर्षक दरों आदि के निर्धारण की कुछ प्राथमिक बातें पूरी हो जायेंगी, इस को अन्य नगरों के साथ कलकत्ता में भी चालू कर दिया जाएगा।

(ख) इस सेवा की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) दो उपभोक्ताओं को एक दूसरे से दूरी पर न हो, तारों के एक जोड़े पर एक्सचेंज से टेलीफोन कनैक्शन दिये जा सकते हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में जब एक उपभोक्ता टेलीफोन का उपयोग करता है तो दूसरे को सेवा उपलब्ध नहीं होती।

(ii) दोनों में से प्रत्येक उपभोक्ता को अलग अलग टेलीफोन नम्बर दिये जाते हैं और वे स्वतन्त्र रूप से कालों को प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) साझा करने वाले उपभोक्ता एक दूसरे की कालों को नहीं सुन सकते।

(iv) फिर भी साझे के एक टेलीफोन पर दो उपभोक्ताओं के लिये संचार व्यवस्था करना संभव नहीं है।

अनाज का रक्षित भण्डार

866. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** :
डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष बहुत फसल हुई सरकार ने गेहूं तथा अन्य अनाजों का रक्षित भण्डार बनाना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समाहार किस अभिकरण के माध्यम से किया जाता है तथा इस समय कितना अनाज जमा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) कई राज्यों में अधिप्राप्ति संबंधी कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है । अन्य राज्यों में यह कार्य या तो राज्य सरकार स्वयं कर रही है अथवा सहकारी समितियों या अन्य ऐजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है । पहली जुलाई, 1968 को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के डिपो में रक्षित भण्डार तथा पाइप लाइन स्टाक सहित खाद्यान्नों का प्रत्यक्ष स्टाक लगभग 40 लाख मीटरी टन था ।

खाने के अनुपयुक्त संकर बाजरा तथा मक्का

868. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद संकर बाजरे तथा मक्का का सारा विद्यमान स्टाक खाने के अनुपयुक्त करार दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन संकर बीजों का मूल्य क्या है जो खाने के अनुपयुक्त करार दिये गये हैं; और इन्हें अनुपयुक्त करार देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस के कारणों का पता लगाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन के कब तक मिल जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख) कटाई के पश्चात बीज कृत्रिम ढंग से सुखाया जाता है उसे कूट कर दाना निकाला जाता है, उसे साफ किया जाता है तथा उस का वर्गीकरण किया जाता है तत्पश्चात उस का रासायणों के साथ उपचार किया जाता है और अन्ततः कपड़े के बोरों में बन्द करके रखा जाता है । बीज के भंडारों में से मिले जुले नमूने ले लिये जाते हैं और उसे प्रयोगशाला में नमी प्रतिशत शुद्धता और पुर्नजनन प्रतिशत के परीक्षण के लिये प्रयोगशाला में भेजा जाता है । विभिन्न फसलों के लिये निश्चित स्तर निर्धारित किये गये हैं । इन नमूनों में से जो न्यूनतम पुनर्जनन और अन्य कसौटियों पर पूरा नहीं उतरता, को प्रमाणित नहीं किया जाता । अच्छे बीजों के लिये यह बहुत आवश्यक है और केवल वही बीच प्रमाणित किये जाते हैं जो निर्धारित स्तरों पर पूरे उतरते हैं ।

1-1-68 से 11-7-68 तक 1113 संकर मक्की के बीज के नमूनों और 1388 संकर बाजरा के नमूनों का राष्ट्रीय बीज निगम ने परीक्षण कराया । न्यूनतम निर्धारित स्तर से संकर मक्की के 31 नमूने और बाजरा के 255 नमूने घटिया पाये गये । जिन के नमूने न्यून स्तर के पाये गये उन के लिये राष्ट्रीय बीज निगम ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किये ।

(ग) जी नहीं, प्रमाणित करने के लिये निर्धारित स्तरों और प्रयोगशाला के परीक्षणों के आधार पर बीज निकाले जाते हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध सप्लाई करने वालों द्वारा हड़ताल करने की धमकी

869. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना को दूध सप्लाई करने वाले लोगों ने हड़ताल करने और दूध की सप्लाई बन्द कर देने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कुछ मांग रखी थी; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं तथा उन्हें पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारी फसल के उपलक्ष में विशेष डाक-टिकट

870. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार इस वर्ष गेहूं की भारी फसल होने के उपलक्ष में एक विशेष डाक-टिकट जारी कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस टिकट पर कौन सी फसल का चित्र छापा जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार फलों और सामान्य उद्योगों के भारी उत्पादन पर भी ऐसे ही डाक-टिकट जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) यह डाक-टिकट 17 जुलाई, 1968 को जारी किया जा चुका है ।

(ख) गेहूं ।

(ग) और (घ). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अनाज का भण्डार बनाना तथा लाना और ले जाना

871. **श्री रवि राय :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मण्डियों में अत्याधिक मात्रा में अनाज पहुंचने के कारण अनाज के भण्डार बनाने तथा उसको लाने और ले जाने की दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सरकार कुछ राज्यों में खाद्यान्नों की मण्डियों में भारी आमद से उत्पन्न नई स्थिति से पूरी तरह सजग है ।

अत्याधिक अधिशेष राज्यों में अतिरिक्त गोदाम बनाने का काम शुरू किया गया है ताकि अधिप्राप्ति की व्यस्ततम अवधि में संचलन क्षमता पर अनुचित दबाव डाले बिना उन खाद्यान्नों के लिये आवश्यक अन्तःस्थ गोदाम सुलभ किए जा सकें जो कि कमी वाले क्षेत्रों को नहीं भेजे जा सकते हैं।

जहां तक संचलन की बात है, माल के डिब्बों को शीघ्र लाने ले जाने में सुविधा देने हेतु गन्तव्य स्थानों में फेर-बदल किया जा रहा है। जहां कहीं भी खाद्यान्न जल्दी और आवश्यक रूप से भेजना है वहां सड़क से भी खाद्यान्न भेजा जा रहा है। खाद्यान्न अधिप्राप्ति और उसके संचलन में लगी विभिन्न एजेन्सियों और रेलवे के बीच निकट ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है।

खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता

872. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम से कम समय में खाद्य-उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या खाद्य उत्पादन के मामले में देश के आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग). कम से कम समय में देश को खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर करने के लिये 1966–67 से कृषि विकास की एक नई विधि अपनाई गई है। इस नई विधि की मुख्य बातें ये हैं : अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम, बहुगुण फसलें उगाना, सघन कृषि के लिये लघु सिंचाई और उर्वरक व कीटनाशक औषधियों आदि की सुनियोजित व्यवस्था, जिसमें संस्थानात्मक वित्त, कृषकों की शिक्षा व प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान को गतिमान करना भी शामिल है। 1970–71 तक 1200 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आशा है उत्पादन स्तर इतना हो जाने पर आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

सूखाग्रस्त क्षेत्र की समस्यायें

873. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 29 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिये उपयुक्त योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय दल पहले ही गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर हो आये हैं और आगामी महीना में महाराष्ट्र तथा मद्रास के राज्यों में भी जाएंगे। अनन्तापुर जिला, जो आन्ध्र प्रदेश का कड़ी तह वाल क्षेत्र घोषित किया गया है, के विकास के लिए एक विशेष मार्गदर्शी योजना जो केन्द्रीय दल की सलाह से तैयार की गई थी हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त हुई है। अन्य राज्यों से योजनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) अनन्तापुर जिला में कड़ी तह वाले क्षेत्र के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से जो विशेष मार्गदर्शी योजना प्राप्त हुई है उसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(रु० लाखों में)

(1) लघु सिंचाई	19.67
(2) कृषि	0.50
(3) भूमि संरक्षण	8.10
(4) वनरोपण	1.70
कुल जोड़ . .	29.97

केरल के लिये कृषि फार्म

874. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस रूसी सहायता-प्राप्त कृषि फार्म के बारे में, जिसे केरल में स्थापित करने का विचार है, अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). केरल के कन्नानूर जिले के आरालम क्षेत्र में एक केन्द्रीय राजकीय फार्म की स्थापना करने के विषय में अनन्तिम निर्णय किया गया है। प्रस्तावित फार्म के बारे में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और परियोजना रिपोर्ट तैयार होते ही अन्तिम निर्णय किया जावेगा।

Soyabean Oil

875. **Shri Shri Gopal Saboo** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of Soyabean oil imported under P.L. 480 programme and the quantity which remains to be imported yet;

(b) whether it is a fact that the consumption of soyabean oil in the country is not so much as to justify its import and as a result of which the prices of soyabean oil have fallen steeply; and

(c) if so, the steps taken by Government to stabilize its price?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 1.12 lakh tonnes of soyabean oil was imported during 1967 and 1968 (up to June); 0.82 lakh tonnes of oil may be imported by March, 1969 or thereabouts.

(b) and (c). Soyabean oil is used mainly in the manufacture of Vanaspati the production of which is several times the quantity of oil imported in any year. The price of this

oil is generally well below the price of groundnut oil. The question of fall in price of soyabean oil and its stabilization do not arise.

शरणार्थी बस्ती, मारंगा

8 76. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मारंगा में सरकारी शरणार्थी बस्ती में शरणार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों का एक दल गया था;

(ख) क्या इस दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो उस बस्ती की दशा सुधारने के लिये उस दल ने क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये हैं; और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल में सरकार द्वारा चालू की गई मारंगा नाम की कोई शरणार्थी बस्ती नहीं है। मारंगा, जो कि बिहार में पूर्निया के निकट है, में पूर्वी पाकिस्तान से आये नये विस्थापितों के लिये एक सहायता शिविर है। इस शिविर में पुनर्वास विभाग तथा बिहार सरकार के अधिकारियों का एक दल जून, 1968 में गया था। इस शिविर में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास के प्रश्न पर दल ने विचार किया था। दिये गये मुख्य सुझावों तथा की गई कार्यवाही का ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1442/68**]

मेरठ और खुर्जा जिलों में अनाज की वसूली

8 77. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि गोदाम में जगह की कमी के कारण मई, 1968 के महीने में मेरठ और खुर्जा जिलों में अनाज के खुले बाजार में खरीदे जाने में भारी रुकावट आई है; और

(ख) क्या तब से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उल्लिखित सूचना से जो जानकारी मिलती है वह ठीक नहीं है क्योंकि भण्डारण स्थान की कोई कमी नहीं थी।

चीनी का मूल्य

8 78. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि चीनी के मूल्य का प्रश्न प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया जाय;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्भावना पर विचार कर लिया है कि 40 प्रतिशत चीनी को निर्बाध रूप से बेचने की नीति को 16 अगस्त, 1967 को घोषित करने से पहले प्रशुल्क आयोग की सलाह ले ली जाय; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। ये सुझाव दिये गये थे कि प्रशुल्क आयोग से कहा जाय कि वे आद्यतन लागत अनुसूची तैयार करें जिसके अनुसार सरकार चीनी के नियन्त्रित मूल्य निश्चित करे। सरकार ने चीनी के मूल्य सम्बन्धी समस्याओं को प्रशुल्क आयोग को भेज दिया है।

(ख) और (ग). प्रतिवर्ष अपनाई जाने वाली चीनी सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है।

Sugar Production

879. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the season of sugar has come to an end in the various States ;

(b) if not, the names of the States in which the sugar mills are producing sugar;

(c) the price paid by the owners of the sugar mills to the sugarcane growers this year and whether Government have completed its study in this regard ;

(d) if so, the main conclusions thereof ; and

(e) the amount of additional profit earned by the owners of the sugar mills this year because of the new Government policy ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Some sugar factories in Madras and Mysore States are working and some more factories in Madras are likely to start production early next month.

(c) to (e). The sugar mills have paid a price up to Rs. 17.00 per quintal for sugarcane this year as against the basic minimum price of Rs. 7.37 fixed by the Government. A study of the additional profits earned by the sugar mills will be possible only after the entire sugar produced during the current season has been disposed of.

Public Call Office at Asarganj and Sangrampur

880. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention nas been drawn to the fact that there is no public Call Office at Asarganj and Sangrampur in Narapur Assembly constituency in Monghyr District of Bihar ;

(b) whether Government has conducted any survey with a view to introducing this service there ;

(c) if so, the conclusions thereof ; and

(d) the time by which this telephone service is likely to be started at these two places

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The proposal for providing Telephone facilities at Asarganj and Sangrampur in Monghyr District have been examined by Post Master General Patna. They have been found to be unremunerative. Parties who had sponsored the proposals have been informed

that Telephone facility could be provided only if the interested parties are willing to make up the loss to the department. No reply has so far been received from them.

(d) No time limit can be indicated till the guarantee terms are accepted by the interested parties.

Supply of Foodgrains to States

881. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have completely fulfilled the assurances given to the various States in regard to the supply of wheat, rice, etc.;

(b) if not, the names of States which have been supplied wheat, rice, etc. less than the quantity assured; and

(c) the State-wise details of the reduction made in this regard during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) to (c). No specific assuranees has been given by the Government of India for the supply of any specific quantity of foodgrains to any state within a specific time. Supplies of foodgrains from the Central Pool are made each month on the basis of availability of foodgrains with the Centre during the month and thr relative needs of the different States. The year having not come to a close, it is also too early to say whether the assurances of a general nature that have been given to some States have been completely fulfilled.

Co-operative Farming

882. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any definite suggestions in regard to the co-operative farming have been incorporated in the draft outline of the Fourth Five Year Plan, which is being prepared at present.

(b) whether the ruling party had declared cooperative farming as a main point of their programme in their election-manifesto in 1962 ; and

(c) if so, the steps taken by Government to implement their aforesaid programme during the last six years and the extent of success achieved by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) The working Group on Cooperation for the Fourth Plan has suggested the incorporation of cooperative farming programme in the Plan. The draft outline of the Plan is now under preparation.

(b) In the election manifesto, 1962 of the Indian National Congress it was stated that it was proposed to spread service cooperatives throughout the rural areas and wherever possible, and agreed to, to have cooperative farming.

(c) During the Third Plan, 318 pilot projects, each comprising 10 cooperative farming societies, were planned to be organised in selected community development blocks in the country. Organisation of societies outside the pilot areas was also to be encouraged and assisted. By the end of the Third Five Year Plan , 2,749 cooperative farming societies in the pilot areas covering 2,77,482 acres of land and 2,752 societies in other areas covering 3,06,286 acres of land were organised. In the post Third Plan period *i.e.* 1966-67 and 1967-68, 522 and 412 cooperative farming societies respectively were organised. To assess and evaluate the progress

and working of the pilot projects, a Committee of Direction was set up by the Government in July, 1963 under the chairmanship of Prof. D. R. Gadgil. The Committee in its overall assessment, in its Report submitted in 1965, has observed that as a result of the pilot projects certain clusters of potential growth have developed. Taking the country as a whole, however cooperative farming has not yet taken firm roots. The programme is still in its infancy. By its very nature cooperative farming will require time before it can make a significant impact on the country.

Land Acquisition in States

883. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 3143 on the 7th March, 1968 and state :

(a) whether the requisite information regarding acquisition of land by the States and Union Territories under the Ceiling Acts has since been collected from State Governments and Union Territories ; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information regarding acquisition of land under the ceiling acts has been received from States and Union Territories and is being placed on the Table of the Sabha in a statement in fulfilment of the assurance given by the Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation in reply to Unstarred question No. 3143 on the 7th March, 1968.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in U.P.

884. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the category-wise and District-wise designations of employees and officers belonging to Scheduled Castes, Scheduled and other classes working in the Food Department of U.P. State Administration ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : The information asked for is being obtained from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is available.

Reimbursement of Bogus Medical Bills in the Gorakhpur Division of the P & T Dupartment

885. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the year 1966-67, some complaints were received against the employees of Post and Telegraph Department in Gorakhpur Division regarding the reimbursment of medical expenses on the basis of bogus medical bills ;

(b) whether it is also a fact that the Officers of the Vigilance Department looked into the said complaints ; and

(c) if so, the designations and address of the guilty employees and the action proposed to be taken against them ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentry Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Action against two clerks, one of the office of DET Gorakhpur and the other of Salempur Post Office, under Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965 has been initiated, Cases of other suspected officials are still under investigation by the SPE.

Settlement of additional land in U.P.

886. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of individuals in each District for whom settlement of additional land has been made *vide* Government order No. 398/1-A- 11-1-99/67 dated the 6th October, 1967 issued under the U.P. ceiling limit on the Land Holdings Act, 1960 upto June, 1968 ;

(b) there names, designation and addresses, District-wise; and

(c) the area of land settled for each individual ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c) The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holding Act, 1960 includes provision for settlement of surplus lands acquired on imposition of ceiling, by Collectors in accordance with the Rules made under the Act. Details of information regarding such allotment made in the various districts or names and addresses of each person with whom surplus lands have been setteld or the extent of additional land allotted to each person are not available with the State Government, Collection of information will involve considerable time, labour and expense which does not seem to be commensurate with the benefit arising therefrom .

ग्रामीण समुदाय का समन्वित विकास

887. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 9 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "ग्रामीण समुदाय के सभी वर्गों का समन्वित विकास" विशेषकर कृषि मजदूरों तथा भूमिहीन किसानों का विकास किस रूप में हो रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित समन्वित विकास लोगों के उपक्रम, जिसके लिए सम्भव सीमा तक राज्य सहायता उपलब्ध है, के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के समाजार्थिक रूपान्तरण पर आधारित है । इस कार्यक्रम में, उपलब्ध किए गए साधनों के भीतर, ऐसी योजनाएं समाविष्ट हैं जो कृषि उत्पादन और कुछ मूलभूत सुख-साधनों तथा कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में सहायता देने के लिए तैयार की गई हैं । इन योजनाओं की कार्यान्विति में और उससे भी अधिक उनसे उपलब्ध होने वाले लाभों की बंटाई में ग्रामीण समुदायों के सभी वर्ग भाग लेते हैं । कृषि विकास के लिए सुधरी प्रणालियों के विस्तार और आवश्यक आधार-भूत ढांचे के निर्माण के अतिरिक्त इस कार्यक्रम द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, सड़कें, सामुदायिक केन्द्र, पीने के पानी के कुएं आदि बन गए हैं । इनसे होने वाले लाभ कृषि मजदूरों तथा भूमिहीन किसानों को भी उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त ये वर्ग अन्य कमजोर वर्गों के साथ-साथ ग्रामीण जनशक्ति, व्यावहारिक पोषाहार तथा पेय जल कुआं निर्माण जैसे विशेष कार्यक्रमों के प्रमुख लाभ प्राप्तकर्ता भी हैं ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें

888. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 18 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को जिन मांगों पर विचार करने का वचन दिया गया था, उन पर इस बीच विचार पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए विभिन्न मन्त्रालयों और भारतीय खाद्य निगम से परामर्श करना आवश्यक है । ऐसा किया भी जा रहा है । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

फिल्म उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

889. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम-समिति ने फिल्म उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के कब नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं । जैसा कि 9 मई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 1766 के उत्तर में बताया गया था, स्थायी श्रम समिति ने ग्राम मजूरी बोर्डों का कार्य शीघ्र कराने और उनकी सिफ़ारिशें क्रियान्वित कराने के लिये उपाय सुझाने हेतु एक द्विपक्षीय समिति नियुक्त की है ।

(ख) सरकार को फिल्म उद्योग की ट्रेड यूनियनों से फिल्म उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । यह निर्णय किया गया है कि ऊपर (क) में निर्दिष्ट ग्राम मजूरी बोर्डों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त होने और उस पर विचार किए जाने तक इस प्रकार के बोर्ड की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार न किया जाए ।

राष्ट्रीय खाद्य नीति

890. श्री कं० हाल्दर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष की अच्छी फसल को देखते हुए सरकार अब राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खाद्य नीति अपने विभिन्न पहलुओं में प्रत्येक फसल के शुरू में मुख्य मन्त्रियों के परामर्श से तैयार की जाती है । चालू रबी की फसल के लिये नीति तैयार करते समय अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति करने पर बल दिया गया था ताकि भरपूर रबी की फसल के अवसर का उपयोग कर पर्याप्त बफर स्टाक तैयार किया जा सके ।

निर्वाचन पर व्यय

891. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन पर व्यय सम्बन्धी अधिकतम सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है,

(ख) यदि हां, तो आयोग ने अब कितनी अधिकतम सीमा का प्रस्ताव रखा है;

(ग) क्या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से इस प्रस्ताव के बारे में परामर्श किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राजनैतिक दलों ने कोई सुझाव दिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :(क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा अब प्रस्थापित अधिकतम सीमाएं इस प्रकार हैं:--

1. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए

	वर्तमान सीमा	प्रस्थापित सीमा
	रु०	रु०
(1) नागालैण्ड से भिन्न किसी राज्य में	25,000	35,000
(2) नागालैण्ड राज्य में तथा संघ राज्य क्षेत्र में	10,000	12,500

2. सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए

		वर्तमान सीमा	प्रस्थापित सीमा
		रु०	रु०
1.	आन्ध्र प्रदेश	7,000	10,000
2.	असम	6,000	9,000
3.	बिहार	8,000	11,500
4.	गुजरात	8,000	11,500
5.	हरियाणा	6,000	9,000
6.	केरल	7,000	10,000
7.	मध्य प्रदेश	7,000	10,000
8.	मद्रास	9,000	12,000
9.	मैसूर	6,000	9,000
10.	महाराष्ट्र	8,000	11,500
11.	नागालैण्ड	1,000	2,000
12	उड़ीसा	7,000	10,000
13.	पंजाब	7,000	10,000

		वर्तमान सीमा	प्रस्तावित सीमा
14.	राजस्थान	6,000	9,000
15.	उत्तर प्रदेश	9,000	12,500
16.	पश्चिम बंगाल	7,000	10,000
	संघ राज्य क्षेत्र		
17.	हिमाचल प्रदेश	2,000	3,000
18.	मणीपुर	2,000	3,000
19.	त्रिपुरा	2,000	3,000
20.	गोवा, दमन तथा दीव.	2,000	3,000
21.	पाण्डिचेरी	2,000	3,000

(ग) जी हां।

(घ) अब तक इस बारे में किसी राजनैतिक दल से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अधिवक्ता बनने के पात्र होने के लिये व्यवहारिक प्रशिक्षण की शर्त को हटाना

892. श्री हरदयाल देवगुण : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिवक्ता बनने के पात्र होने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण की शर्त हटाने के बारे में आल इण्डिया बार एसोसिएशन के सुझाव पर विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या विनिश्चय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भु० यूनुस सलीम): (क) और (ख). ऐसा कोई भी सुझाव आल इण्डिया बार एसोसिएशन से प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। तथापि सरकार ने विधि स्नातकों के भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण और परीक्षा के प्रश्न पर विचार किया है और अधिवक्ता के रूप में प्रवेश (प्रशिक्षण और परीक्षा) नियम, 1968 जारी किए हैं जिनके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो तीन शैक्षिक वर्षों से अन्यून के पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात् विधि में डिग्री या विधि में मास्टर डिग्री या कोई अन्य उच्चतर डिग्री प्राप्त कर चुके हों या करें, या जो 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व हुई परीक्षा के आधार पर विधि में डिग्री प्राप्त कर चुके हों या करें, और ऐसे बैरिस्टरों को, जो 31 दिसम्बर, 1968 को या उससे पूर्व बैरिस्टर हो गए हों, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24(1)(घ) के अधीन राज्य विधि परिषदों द्वारा संचालित भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण और परीक्षा से छूट दी गई उक्त नियमों की एक प्रति सदन के पटल पर 28 मार्च, 1968 को रख दी गई थी।

गैर-विभागीय कर्मचारियों की उपलब्धियों का पुनरीक्षण

893. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-विभागीय डाक कर्मचारियों की उपलब्धियों के पुनरीक्षण के बारे में विचार कर रही है जिनका पुनरीक्षण 1959 में ही किया गया था;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोई अन्य सुविधायें दिये जाने का विचार है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हो नहीं उठता।

(ग) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को कोई अन्य सुविधायें देने का प्रस्ताव नहीं है।

जटनी (उड़ीसा) में डाक तथा तार भवन

894. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पूरी डिवीजन के अधीन जटनी में डाक तथा तार भवन के निर्माण के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल :) (क) जी, हां।

(ख) निर्माण कार्य जून, 1968 में आरम्भ हुआ था।

उड़ीसा में बेरोजगार व्यक्ति

895. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में रोजगार कार्यालयों में आज तक भिन्न-भिन्न वर्गों के कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं और उनकी शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं; और

(ख) गत वर्ष उनकी संख्या कितनी थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख). जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1443/68]**

उड़ीसा में खाद्यान्न का समाहार

896. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से वर्ष 1967–68 के फसली वर्ष में अब तक उस राज्य में खाद्यान्न की कुल कितनी वसूली की है;

(ख) उड़ीसा से आज तक धान के बीजों समेत कुल कितने खाद्यान्न का निर्यात किया गया है;

(ग) राज्य सरकार के पास इस समय खाद्यान्न के जो भण्डार हैं वे आगामी कटाई के मौसम तक आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की ओर से राज्य में गेहूं और चावल की अतिरिक्त आवश्यकता के बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). 1967–68 के फसल वर्ष में भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में 18-7-68 तक जो चावल और चावल के हिसाब से धान की मात्रा की अधिप्राप्ति की और उसी अवधि में उड़ीसा से जो मात्रा निर्यात की उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

अधिप्राप्ति	161
निर्यात	69

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के पास चावल और धान का वर्तमान स्टाक अगली फसल की कटाई तक राज्य की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है। उनकी गेहूं सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्र से और सप्लाई द्वारा ही होगी।

(घ) और (ङ). मई, 1968 में उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया था कि उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सितम्बर, 1968 तक की चार महीनों की अवधि के लिये 25,000 मीटरी टन की तदर्थ सप्लाई की जाये। उनकी गेहूं सम्बन्धी मांगों की पूर्णतः पूर्ति की जा रही है।

गिर संरक्षित वन में शेर

897. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिर संरक्षित वन में इस समय कुल कितने शेर हैं;

(ख) यह संख्या दस वर्ष पूर्व की संख्या से कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ग) कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के जंगलों में छोड़े गये कुछ शेर-शेरनियोंके बारे में क्या जानकारी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग). पूछी गई जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के डाकघरों में टेलीफोन और तार की सुविधायें

898. **श्री श्रीधरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय ऐसे कुल कितने डाकघर हैं जिनमें तार तथा टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) चालू वर्ष में कितने डाकघरों में तार और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में डाक तथा तार विभाग के केरल सर्किल ने कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) 16 जुलाई, 1968 को केरल राज्य में ऐसे डाकघरों की कुल संख्या जिनमें तार और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था थी — तार—682, टेलीफोन—679

(ख) केरल राज्य में ऐसे डाकघरों की संख्या जिन में 1968–69 के दौरान तार और टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। — तार—40, टेलीफोन—50

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी योजना में खाद्यान्न की आवश्यकता

899. श्री श्रीधरन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ योजना की अवधि के दौरान देश में खाद्यान्न की आवश्यकता का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल आवश्यकता का कितने प्रतिशत खाद्यान्न आयात करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चौथी योजना की अवधि के दौरान देश में खाद्यान्नों की सम्भव आवश्यकताओं, वर्तमान उत्पादन प्रवृत्तियों के आधार पर प्रत्येक वर्ष में सम्भावी उत्पादन और इस अवधि के दौरान कितना आयात करना आवश्यक होगा का एक वर्किंग ग्रुप मूल्यांकन कर रहा है।

(ख) इसका हिसाब तभी लगाया जा सकता है जब वर्किंग ग्रुप मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लेता है।

चीनी का उत्पादन

900. श्री हिम्मतसिंहका : **श्री श्रं. नारायण रेड्डी :**
श्री स० कुण्डू : **श्री राणे :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में देश में चीनी का कितना उत्पादन होने का अनुमान है तथा 1966-67 और 1967–68 के वास्तविक उत्पादन की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक है;

(ख) चीनी की वार्षिक आवश्यकता तथा उत्पादन में इस समय कितना अन्तर है; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये चीनी के उत्पादन का कोई अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो वह कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968–69 में चीनी का उत्पादन कितना होगा, उसका इस समय विश्वसनीय अनुमान लगाना कठिन है लेकिन संकेतानुसार 28 तथा 30 लाख मीटरी टन के बीच उत्पादन

हो सकता है। 1966–67 में उत्पादन 21.5 लाख मीटरी टन हुआ था और 1967–68 के लिये 22.3 लाख मीटरी टन का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 1965–66 में अधिकतम खपत 28.01 लाख मीटरी टन थी और उस वर्ष 4.41 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात किया गया था। इस प्रकार यह कुल मिलाकर 32.42 लाख मीटरी टन हुआ जबकि उत्पादन 35.1 लाख मीटरी टन हुआ था।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य निर्धारण की बात विचाराधीन है।

हड़तालों आदि के कारण जन-दिनों की हानि

901. श्री हिम्मतसिंहका: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के पहले छः महीनों में मजदूरों द्वारा की गई हड़तालों, घेराव तथा ऐसे ही अन्य आन्दोलनों के कारण कितने जन-दिनों की हानि हुई है;

(ख) देश में औद्योगिक अशान्ति के कारण उत्पादन में हानि को कम से कम करने के लिये क्या निर्णय किये गये हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षित संहिता बनाई जा रही है; और

(ग) चालु वर्ष के पहले छः महीनों में औद्योगिक अशान्ति के कारण उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई थी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी से मई, 1968 के बीच हड़ताल तालाबन्दी घेराव के कारण 3.85 लाख श्रम दिनों की हानि हुई। ये आंकड़े कच्चे हैं, क्योंकि कुछ सूत्रों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कर्मचारियों की बंध बकाया रकम का समय पर भुगतान करने, शिकायत-मशीनरी स्थापित करने तथा विवादों पर समय पर विचार तथा निर्णय के अन्य उपाय करने के लिये नियोजकों को बार-बार सलाह दी गई है। श्रमिकों को भी विवाद हल करने के ऐसे उपाय अपनाने के लिये कहा गया है, जिनमें कामबंदी शामिल न हो। इस समय पुनरीक्षित संहिता बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रयोजन के लिये आचार संहिता में दिये गये सिद्धांत पर्याप्त हैं।

(ग) जनवरी से मई, 1968 की समयावधि के दौरान 905 काम बंदियों में से केवल 372 में उत्पादन की हानि बताई गई है। इन मामलों में उत्पादन में हानि का अनुमान 7.62 लाख रुपये लगाया गया है।

गोदामों में खाद्यान्न रखने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

902. श्री हिम्मतसिंहका : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदामों, उतारने-चढ़ाने और लाने-ले जाने में खाद्यान्नों के नुकसान सम्बन्धी समिति ने इस बीच अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कुल कितना नुकसान होने का अनुमान है तथा गोदामों में रखने और लाने-ले जाने में प्रति वर्ष खाद्यान्नों का औसतन कितना नुकसान होता है; और

(ग) इस भारी नुकसान को रोकने के लिये समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, समिति ने अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें संचयन, मार्ग में और सम्भालने में सभी अवस्थाओं में खाद्यान्नों की औसत वार्षिक हानि 1962–63 से 1964–65 के वर्षों की औसत लेते हुए देश में कुल उत्पादन का लगभग 6 से 7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है।

तथापि, गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा सम्भाले गये दोनों आयातित तथा देशी खाद्यान्नों के बारे में मार्ग तथा संचयन सम्बन्धी हानि की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

	प्रतिशत संचयन हानि	प्रतिशत मार्ग में हानि
1965–66 .	0.13	0.29
1966–67 .	0.14	0.49
1967–68 .	0.1 (अस्थायी)	0.27 (अस्थायी)

(ग) अन्तरिम रिपोर्ट में दी गयी समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1444/68**]

आग में अनाज का नष्ट होना

903. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त देश में और विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अप्रैल–मई के महीनों के दौरान फसलों की भूसी निकालने की प्रक्रिया में बहुत-सा अनाज आग में नष्ट हो गया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार का कुल कितना अनाज इस प्रकार नष्ट हुआ;

(ग) इस प्रकार की आग की घटनाओं में इतनी बड़ी मात्रा में अनाज नष्ट होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Slaughter Houses

904. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of cows, buffaloes, sheep and goats, separately, slaughtered in the slaughter houses of the country ;

(b) whether it is a fact that only buffalo meat is available to the poor people;

(c) if so, the efforts being made by Government to increase the number of buffaloes and improve their breed ;

(d) whether it is also a fact that the farmers doing intensive cultivation in irrigated land consider breeding of buffaloes as remunerative in comparison to cows ; and

(e) if so, the efforts being made by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected from the States and will be laid on the Table when received.

(c) No efforts are being made by the Government either to increase the number of buffaloes or to improve their breeds with the objective of production of buffalo meat. There is great shortage of milk in the country. The daily availability of milk including milk products *per capita* at present is hardly 5.87 ounces as against 10 ounces recommended by Nutritional Advisory Committee, Efforts have, therefore, been concentrated to improve both buffaloes and cows for increasing the production of milk. Some important scheme which have been launched for increasing the production of milk through development of cows and buffaloes are noted below :—

1. Key Village Scheme.
2. Intensive Cattle Development Scheme.
3. Eastablishment of Artificial Insemination Centres in Urban & Suburban areas.
4. Establishment of cattle breeding and bull rearing farms.
5. Calf Rearing Scheme.
6. Progeny Testing Scheme.
7. Salvage of buffaloes from large cities *viz.*, Bombay, Calcutta & Madras.
8. Feeds & Fodder Development Scheme.

(d) No systematic survey/studies have been specially carried out to ascertain if farmers practising intensive cultivation in irrigated land consider breeding of buffaloes more remunerative in comparison to cows. It has, however, been generally observed that cultivation of green fodder is gaining popularity in areas where irrigation facilities are available. It is, therefore, quite likely that farmers in these areas may be devoting greater attention to development of buffaloes which are better producer of milk with higher butter-fat content.

(e) Development of feeds and fodder is pre-requisite for increasing milk production. Greater attention is, therefore, proposed to be given to cattle development in areas which have the potentiality to grow green fodders of improved varieties all the year round. One of the main guide lines contained in the draft IV Plan for selecting the sites for Key Village Blocks, Artificial Insemination Centres and Vety. Hospitals etc. is that areas which have the facilities for marketing of milk and for growing of green fodder should receive first attention for development of milch cattle (cows and buffaloes) so that above facilities may be fully utilised for increasing the production of milk in as short a time as possible.

The State Departments of Animal Husbandry have been advised to make survey of all such areas and prepare detailed schemes for inclusion in their respective State Plans.

Procurement of Wheat

905. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while selling foodgrains to Government, farmers got Rs. 10 per quintal less for his produce than the fixed procurement prices which are taken away by the Commission agents;

(b) whether it is also fact that the total wheat purchased by Government is not sufficient even to keep the big flour mills of the country running ; and

(c) If so, the steps being taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Though there have been some complaints to this effect, this is generally not true. The complaints which gave specific detail have been brought to the notice of the State Governments and the F.C.I. and are being investigated.

(b) The procurement so far, which is just over two million tonnes of wheat is less than the yearly capacity of the flour mills in the country.

(c) The shortfall is being met by imports.

Storage of Foodgrains

906. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the Government godowns are situated outside the producing States which results in difficulties in the movement of wheat this year ; and

(b) if so, whether Government have formulated any scheme to build godowns at the producing Centres with a view to ensure supply of wheat to the consumer centres by rail throughout the year and if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). It is true that hitherto the location of Government godowns for storage of foodgrains has been to a somewhat larger extent in consumption areas and in areas around port towns in view of the distributional requirements based largely on imported foodgrains. Steps are, however, being taken to provide additional storage capacity in surplus (production) areas. A crash programme for construction of 75,000 tonnes capacity storage godowns in Punjab and Haryana is already in hand and is likely to be completed very shortly. A further programme for construction of 1.4 lakhs tonnes capacity has also been taken up in the States of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Orissa, Bihar and Assam and the godowns are expected to be completed by the end of this year. Further proposals for providing additional storage capacity in some of the States during this year are also under consideration at present and likely to be finalised shortly.

Co-operative Farming

907. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Deputy Chairman of the Planning Commission opposed the idea of Collective and Cooperative farming while he was participating in the Asian Development Symposium held in Tokyo in May, 1968 ;

(b) if so, whether this opinion expressed by him conformed to the policy of Government laid down in this regard ; and

(c) if not, the steps taken by Government to remove this misunderstanding ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M.S. Gurupadaswami) : (a) No. Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Employment Opportunities to Agricultural Labourers

908. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are chalking out a scheme to provide additional employment opportunities to agricultural labourers and farmers during their spare time after harvest season ;

(b) if so, the broad details thereof ; and

(c) the names of the States in which this scheme is likely to be implemented on an experimental basis ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) to (c). For providing employment opportunities to agricultural workers during the slack season period in areas affected by acute unemployment and under-employment, the Rural Manpower Programme is already in operation in all the States since 1960-61. No new scheme is envisaged.

Food Corporation of India

909. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India was unsuccessful in purchasing the required quantity of foodgrains from Mandis;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government have investigated into this matter and fixed responsibility for the same against Officers of the Food Corporation of India responsible therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

एशियाई श्रम मंत्री सम्मेलन

910. श्री सीताराम केसरी : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एशियाई श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन का सम्भाव्य समय तथा स्थान क्या होगा ;

(ग) कितने देशों ने सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार किया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) एशियाई श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन जनवरी, 1969 के अन्त में दिल्ली में बुलाने का प्रस्ताव है । औपचारिक निमंत्रण अभी तक नहीं भेजे गये हैं ।

(घ) कार्य-सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें सब के हित के विषयों में शामिल किये जाने की आशा है—जैसे कि श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों से सम्बन्धित नीतियां तथा कानून, औद्योगिक सम्बन्ध तथा मजूरी निर्धारण और तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्ध एशियायी प्रदेशों में सहयोग ।

चावल की आधुनिक मिलें

911. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने धान से अधिकतम चावल निकालने के लिये तथा उसे सब से आधुनिक तरीके से साफ करने के लिये लगभग 200 चावल मिलें स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितनी चावल मिलें स्थापित की जायेंगी और उन पर कुल कितना व्यय होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम का देश में फिलहाल 24 आधुनिक चावल मिलें स्थापित करने का एक कार्यक्रम है ।

(ख) अस्थायी तौर पर निम्नलिखित राज्यों में इन चावल मिलों को लगाने का निर्णय किया गया है लेकिन सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति लेनी है :—

राज्य का नाम	मिलों की संख्या
मद्रास	5
आन्ध्र प्रदेश	4
केरल	2
उड़ीसा	3
मध्य प्रदेश	3
पंजाब	1
हरियाणा	1
बिहार	3
असम	2
जोड़	24

इन मिलों की कुल अनुमानत: पूंजीगत लागत लगभग 3.04 करोड़ रुपये होने की आशा है।

कृषि आयोग

912. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री राणे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित कृषि आयोग के निर्देश पद क्या हैं तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इस आयोग के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है तथा इसका काम कब तक पूरा होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और निर्देश पदों के विषय में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है ।

चीनी के बिक्री के लिये छोड़ना

913. **श्री स० कुण्डू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास 1 जुलाई, 1968 को वसूल का गई चीनी का कितना भण्डार था और सितम्बर, 1968 के अन्त तक यह भण्डार कितना हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार का विचार जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1968 में सामान्य मात्रा से अधिक चीनी बिक्री के लिये देने का है ; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कितनी अतिरिक्त मात्रा बिक्री के लिये दी जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) पहली जुलाई, 1968 को निर्मुक्त न की गयी लेवी चीनी का स्टाक 4.7 लाख मीटरी टन था और अनुमान है कि 30 सितम्बर, 1968 को निर्मुक्त न की गयी चीनी का स्टाक 1.8 लाख मीटरी टन होगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) लेवी चीनी की सीमित उपलब्धि के कारण अतिरिक्त निर्मुक्ति नहीं हो पाती है ।

अमरीका से खाद्यान्न का आयात

914. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले करार के अनुसार चालू वर्ष में अमरीका से अब तक कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या देश में अच्छी फसल होने पर भी तय की गई पूरी मात्रा का आयात करने की आवश्यकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) संयुक्त राज्य अमेरिका से पहली जनवरी और 30 जून, 1968 के बीच अब तक किये गये करारों के अन्तर्गत भारत में आयात की गयी खाद्यान्नों की कुल मात्रा 34.10 लाख मीटरी टन है ।

(ख) जी हां ।

चुकन्दर से चीनी का उत्पादन

915. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में गंगानगर चीनी कारखाने में चुकन्दर से चीनी का उत्पादन सफल रहा है ;

(ख) इस चीनी की उत्पादन लागत गन्ने से बनने वाली चीनी के उत्पादन लागत की तुलना में कैसी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य उपयुक्त क्षेत्र में चुकन्दर की कृषि के विस्तार करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) गंगानगर चीनी मिल में राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर की समन्वित अनुसन्धान योजना के अन्तर्गत पाइलट प्लांट से प्रयोगात्मक आधार पर चुकन्दर से चीनी बनाई गई । उत्पादन सम्बन्धी सही-सही लागत क्या है, यह अभी पता नहीं है ।

(ग) परीक्षण के तौर पर अन्य क्षेत्रों में भी चुकन्दर की खेती शुरू की जाएगी ।

पश्चिमी बंगाल में हड़तालें, तालबन्दी और जबरी छुट्टी

916. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हड़तालों, तालाबन्दी और जबरी छुट्टी के कारण सभी वर्गों के बड़े, मझले और छोटे पैमाने के उद्योगों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों पर उनका असर पड़ा है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक कारखाने में कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) कारखाने को चलाने और श्रमिकों को रोजगार देने का आश्वासन देकर इस संकट को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मंगाई गई है और सदन की मेज़ पर रख दी जायगी ।

राजकोट में 'क' श्रेणी के मुख्य डाकघर

917. **श्री द० रा० परमार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट में मुख्य डाकघर को 'क' श्रेणी का मुख्य डाकघर बनाने के आदेश जारी किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक आदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) वहां एक अधिकारी की नियुक्ति के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं और वह शीघ्र ही कार्य-भार सम्भाल लेगा ।

राजकोट में 'क' श्रेणी के मुख्य डाकघर

918. **श्री द० रा० परमार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सर्किल में हाल में निर्मित किये गये प्रथम श्रेणी के कुछ पदों को नहीं भरा जा रहा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). दो प्रथम श्रेणी के पद अर्थात् प्रवर अधीक्षक डाकघर, मेहसाना और उपमंडल इंजीनियर, तार, अहमदाबाद ही में गुजरात सर्कल में बनाए गये थे। उप मंडल इंजीनियर, तार, अहमदाबाद का पद पहले ही भरा जा चुका है। अन्य पद भी शीघ्र ही भरा जाएगा। अधिकारियों की कमी के कारण ही इसे भरना सम्भव नहीं हो सका था।

अहमदाबाद में रेलवे पुरा डाकघर में अपर्याप्त सुविधायें

919. **श्री द० रा० परमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय श्रेणी के पोस्टल एम्पलाइज यूनियन, गुजरात सर्किल तथा गुजरात चेम्बर आफ कामर्स से अहमदाबाद में रेलवेपुरा मुख्य डाकघर के लिये बनाये गये नये भवन में स्थान तथा सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विहित स्तरों पर पर्याप्त स्थान तथा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ श्रेणी की सलाह से और गुजरात चेम्बर आफ कामर्स की इच्छा से रात्रि डाकघर और उप-डाकघर रेलवेपुरा की वितरण शाखा पुरानी रेलवेपुरा उप-डाकघर की इमारत में ही काम कर रही है। रेवदी बाजार का गैर-वितरण नगर उप-डाकघर एक नये डाकघर की इमारत में खोला गया है जिसमें काफी स्थान है और जनता के लिये भी काफी जगह है। इस नये डाकघर का दर्जा बढ़ा कर प्रधान डाकघर बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। पुराने रेलवेपुरा उप-डाकघर में स्थान की कमी अब बहुत कम रह गयी है।

गुजरात सर्किल में मेहसाना डाक डिवीजन का दर्जा बढ़ाना

920. **श्री द० रा० परमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सर्किल में मेहसाना डाक डिवीजन का दर्जा श्रेणी 2 से श्रेणी 1 करने के आदेश काफी पहले जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस डाक डिवीजन का दर्जा बढ़ाने के आदेशों का पालन किया गया है और यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन आदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मेहसाना डाक मंडल को II श्रेणी से I श्रेणी में बदलने के आदेश 22-9-1967 को जारी कर दिये गये थे।

(ख) और (ग). I श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति के आदेश पहले से ही जारी कर दिये गये हैं, जिनके शीघ्र कार्यभार संभालने की संभावना है।

डाकखानों में सहायक अधीक्षक (शिकायत)

921. **श्री द० रा० परमार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्किल कार्यालयों में डाकघरों के सहायक अधीक्षक (शिकायत) के पद विद्यमान हैं :

(ख) यदि हां, तो यह सच है कि गुजरात, उड़ीसा और केरल के सर्किल कार्यालयों में ऐसे पदों को नहीं भरा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, कुछ सर्कल कार्यालयों में ।

(ख) गुजरात, उड़ीसा और केरल सर्कल कार्यालयों में डाकघरों के सहायक अधीक्षक (शिकायत) का कोई पद विद्यमान नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Procurement Prices of Foodgrains

922. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the difference between last year's and [this year's procurement prices of foodgrains; and

(b) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement showing the procurement prices of foodgrains fixed this season and those of the last season is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1445/68].

(b) Prices have generally been increased to give more incentive to farmers and to cover the increase in the cost of production.

Telephone Bill arrears in Patna

923. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone bills worth lakhs of rupees are outstanding against the consumers in Bihar particularly at Patna from years together ;

(b) whether it is also a fact that the bills are outstanding against the former Chief Ministers and Ministers of Bihar, Secretaries of some political parties and one Minister of State in the Government of India ;

(c) if so, what are their names ;

(d) whether Government have taken any action for recovery of out-standing bills; if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes. This is as a result of accumulation for years.

(b) and (c) Yes. Chiefly these are bills relating to State Government. The others are small amounts for different political parties. These are old bills pending for five or six years.

(d) Action, such as, disconnection of telephones, in some cases personal contact with subscribers, and finally legal action, where necessary, are taken with a view to enforce recovery.

(e) Does not arise.

चूहा-उन्मूलन कार्यक्रम

924. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चूहे प्रति वर्ष अनुमानत: कितने टन अनाज को खा जाते हैं ;

(ख) राज्यों को चूहा-उन्मूलन कार्यक्रम के लिये 1968–69 में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्यों में चहों द्वारा वार्षिक कितना खाद्यान्न खाया जाता है इस बारे में ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु इस तथ्य को मना नहीं किया जा सकता है कि इस कारण काफी बड़ी क्षति होने की आशा है ।

(ख) भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को, रोडिन्ट नाशक औषधि मुफ्त वितरण करने के लिये 1968–69 में चूहों के विरुद्ध अभियानों को चलाने केलिए 40 लाख रुपये की राशि उपलब्ध की है ।

इंण्डिया शूगर एन्ड रीफाइनरीज लिमिटेड, होसपेट

925. **श्री स० प्र० अगड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 1959-60 के लिये सिसमा फार्मूला के हिसाब से इन्डिया शूगर्स एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड, होसपेट जिला बैलारी. मैसूर राज्य द्वारा देय गन्ने का अतिरिक्त मूल्य गन्ना उत्पादकों को अब तक नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस वर्ष गन्ने से चीनी की वसूली के आधार पर सिसमा फार्मूला के अनुसार वर्ष 1959-60 के लिये प्रति लाख टन पर किस दर से धन राशि दी जानी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 3 53 के 2 मार्च, 1963 को दिए गये उत्तर में बताया गया था, इंडिया शूगर्स एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड होसपेट (जिला बैलारी मैसूर राज्य) ने गन्ना उत्पादकों को सिसमा फार्मूला के अनुसार 1961-62 के मौसम तक गन्ने का अतिरिक्त मूल्य पहले ही दे दिया था ।

उक्त कारखाने के अनुसार उक्त फार्मूला के अन्तर्गत 1959 60 के लिए अतिरिक्त राशि 9-19 5 रुपये प्रति टन जोकि अनुमानत: 9 05 रुपये प्रति मीटरी टन बैठती है, का भुगतान कर दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं तथा कृषकों को अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रशिक्षण

926. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं तथा कृषकों को प्रशिक्षण देने के लिये बनाये गये व्यापक कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने एकड़ भूमि पर अधिक उपज देने वाली फसल बोने का प्रस्ताव है ;

(ग) वर्ष 1967-68 की तुलना में इस वर्ष कितने अधिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जायेगा ;

(घ) इस अवधि में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने कृषकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ;

(ङ) इसके लिये कितनी मात्रा में अतिरिक्त कीटनाशक दवाई उपलब्ध की जायेगी; और

(च) वर्ष 1967-68 में खाद्यान्न के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (घ) 1968-69 में अधिक उपज वाली फसलों में कृषि श्रमिकों तथा काश्तकारों को प्रशिक्षण देने के लिये आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने के कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. **ग्राम सेवकों के लिये पुनश्चर्या पाठ्य क्रम :** उन ग्राम सेवकों को कृषि सम्बन्धी विज्ञान के पुनश्चर्या पाठ्य क्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्होंने क्षेत्र में कम स कम 3 से 4 वर्ष तक सेवा की है। 1968-69 में 840 ग्राम सेसकों को प्रशिक्षण देने का विचार है।

2. **ग्राम सेवकों का उच्चतर प्रशिक्षण :** अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम वाले जिलों में ग्राम सेवकों की व्यवसायिक कुशलता में सुधार करने के लिये चार वर्गोन्नत ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों में उन्नत कृषि और सम्बन्धित विषयों में एक वर्ष का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 356 ग्राम सेवकों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

3. **विस्तार अधिकारियों (कृषि पशुपालन) के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :** ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार अधिकारियों और शिक्षकों को अधिक उपज वाली किस्मों के सम्बन्ध में तकनीकी विकास की नवीनतम जानकारी देने के लिये आंध्र प्रदेश में चुने हुए कृषि तथा पशु चिकित्सा कालिजों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। 1968-69 में राज्य सरकार के लिये कृषि में एक पुनश्चर्या पाठ्क्रम की व्यवस्था की गई है। इससे 30 विस्तार अधिकारियों को लाभ पहुंचेगा।

4. **राज्य के ऊंची श्रेणी के अधिकारियों के लिये पुनश्चर्या प्रशिक्षण :** चुनींदा कृषि विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आरम्भ किये जा रहे हैं। 1967-68 में आँध्र प्रदेश के कृषि विभाग के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर में आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लिया था। आशा है कि 1968-69 में 5 वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

5. अधिक उपज वाली किस्मों में ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण : आंध्र प्रदेश सरकार से 1968-69 की खरीफ की फसल के लिये अधिक उपज वाली किस्मों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये अनरोध किया गया था। प्रशिक्षण 1-2 दिन का है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण जिला अधिकारियों को दिया जाता है; जिला स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों को और खण्ड स्तर पर ग्राम सेवकों को।

6. कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षा : ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण उन किसानों के लिये है, जो अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अनुमान है कि 1968-67 में लगभग 3 लाख किसान इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इन किसानों को बड़ी हद तक प्रशिक्षण ग्राम सेवकों द्वारा दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में गहन प्रशिक्षण के लिये किसानों के लिये एक केन्द्रीय आयोजित योजना भी है। 1968-69 में आंध्र प्रदेश में ऐसे चार प्रशिक्षण केन्द्र होंगे। अधिक उपज वाली किस्मों की काश्त के सम्बन्ध में विशेषज्ञ कर्मचारी किसानों के सामने खेती के नये तरीके प्रदर्शित करेंगे।

(ख) 1968-69 में आंध्र प्रदेश में लगभग 10·19 लाख एकड़ क्षेत्र में अधिक उपज वाले खाद्यान्नों की काश्त की जायेगी। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क्षेत्र एकड़ों में)

क्रमांक	फसल	खरीफ, 1968 के लक्ष्य	रबी, 1968–69 के लिये लक्ष्य	कुल
1.	धान	4,58,150	3,08,300	7,66,450
2.	संकर जवार	37,700	45,000	82,700
3.	संकर बाजरा	76,580	18,300	94,880
4.	संकर मक्का	42,550	32,040	74,590
		6,14,980	4,03,640	10,18,620

(ग) 1967-68 में राज्य सरकार को कुल 70,396 टन नाइट्रोजन आवंटित किया गया था। वास्तविक रूप से प्रयुक्त की गई मात्रा के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1968-69 में कुल 34,563 टन नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी।

(ङ) कीटनाशक औषधों के सम्बन्ध में राज्यों को केन्द्र द्वारा धन का कोई नियतन नहीं किया जाता। राज्य सरकारें स्वयं ही इनका प्रबन्ध करती हैं। राज्य सरकार के पास इनका पर्याप्त स्टाक है, अतः ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न होने की आशंका नहीं है।

(च) 1968-69 के लिये प्रस्तावित आँकड़ों के आधार पर अधिक उपज वाली किस्मों से लगभग 6.32 लाख टन अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होने का अनुमान है। 1967-68 में अधिक उपज वाली किस्मों के अन्तर्गत कितनी भूमि लाई गई, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः 1968-69 में 1967-68 की अपेक्षा आंध्र प्रदेश में खाद्य उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि बता सकना सम्भव नहीं है।

अनाज के गोदाम बनाना

927. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गोदामों की कमी है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष काफी अनाज बेकार हो जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारा देश अन्य देशों की तुलना में अनाज संग्रह की अच्छी व्यवस्था के बारे में बहुत पीछे है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनका अध्ययन करने का है; और

(घ) राज्यवार भाण्डागार की कुल कितनी क्षमता उपलब्ध है तथा उनको कितनी क्षमता की आवश्यकता है और भण्डार बनाने की सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। जहाँ तक सरकार के पास और सरकारी क्षेत्र में भण्डारण क्षमता का सम्बन्ध है, भण्डारों में बेकार हुए गेहूं की मात्रा नगण्य है।

(ख) हमारे पास साइलो का पूर्ण जाल नहीं है जैसा कि कुछ विकसित देशों में है, परन्तु सरकारी और सरकारी क्षेत्र के गोदामों में खाद्यान्न का भण्डारण वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है।

(ग) ऐसे अध्ययन लगातार किये जा रहे हैं।

(घ) खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के पास जो भण्डारेण क्षमता अपनी और किराये पर ली गयी है और जो निर्माणाधीन है उसको बताने वाला एक विवरण 'क' संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1446 68]** फिलहाल भण्डारण क्षमता की राज्यवार आवश्यकताओं का हिसाब लगाया जा रहा है। भण्डारण की सुविधा में जो सुधार लाये गये हैं उनको संक्षेप रूप में सभा-पटल पर रखे गये विवरण 'ख' में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1446/68]**

बिना लाइसेंसों के रेडियो का प्रयोग

928. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत से लोग बिना लाइसेंस के रेडियो/ट्रांजिस्टर सेटों का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ऐसे सेट विदेशों से चोरी-छिपे लाये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसे रेडियो/ट्रांजिस्टर सेटों का पता लगाने के लिये अपनी नीति को सुदृढ़ बनाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) हो सकता है कि कुछ व्यक्ति बिना लाइसेंस रेडियो/ट्रांजिस्टर सेटों का प्रयोग कर रहे हों। यह भी सम्भव है कि बिना लाइसेंस के कुछ सेट विदेशों से तस्करी द्वारा आते हों। बिना लाइसेंस के सेटों का जिनमें

विदेशों में निर्मित और इस देश में तस्करी द्वारा लाये गये सेट भी शामिल हैं, अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ख) जी नहीं । बिना लाइसेंस के सेटों का पता लगाने के लिये सरकार ने पहले से ही अमले की नियुक्ति कर रखी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाकघरों की कार्य-कुशलता में कमी

929. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में डाकघरों की कार्यकुशलता में बहुत ही कमी आ गई है और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) फिर भी कार्य-दक्षता में सुधार के लिये स्थिति का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है । इस उद्देश्य से पर्यवेक्षण को सख्त करना, नये भरती किये गये कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार, मशीनों का प्रयोग, कार्यविधियों को सुचारु रूप देना और कर्मचारियों के लिये काम की बेहतर शर्तों की व्यवस्था करने जैसे कई कदम उठाये गये हैं ।

पश्चिमी बंगाल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये नलकूप

930. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार सिंचाई प्रयोजनों के लिये गहरे नलकूप लगाने के हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस काम के लिये गैर सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Strike in M/s. Keventers Ltd., Delhi

931. **Shri Sitaram Kesri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that employees of M/s. Keventers (P) Ltd., Delhi went on strike on the 8th May, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that the strike is continuing ; and

(c) if so, the action being taken by Government to deal with the strike ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The strike was called off on the 19th July on the intervention of the Labour Department, Delhi Administration.

Consumers' Cooperative Stores in Delhi

932. **Shri Sita Ram Kesri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the persons responsible for the irregularities in some of the Consumers' Stores functioning in Delhi and the reasons therefor ;

(b) the amount of grant or aid given to these stores so far in order to enable them to arry on their work smoothly;

(c) whether it is a fact that certain Societies misused the aid given to them ;

(d) if so, the steps being taken by Government to recover the money that was misused ; and

(e) the names of such Societies and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Since the question does not specify the names of consumers' stores, it is not possible to give precise information. However, generallay speaking, the members of the Managing Committee and paid employees of the consumers' cooperative societies are responsible for the proper functioning of the stores and have to share the responsibility for irregularities. The main reasons for the irregularities are usually lack of interest on the part of the members and the members of the Managing Committees, inadeqauate business experience, unsatisfactory maintenance of accounts and lack of proper control and supervision over the paid employees.

(b) An amount of Rs. 33.90 lakls as loan and Rs. 9.59 lakhs as subsidy has been given to the consumer cooperative societies . In addition, a share capital contribution of Rs. 41·94 lakhs has been made.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

पश्चिमी बंगाल में मोगराहाट नहर द्वारा सिंचित भूमि में फसल की उपज

933. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोगराहाट नहर (पश्चिमी बंगाल) द्वारा सिंचित क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस निकासी तथा सिंचाई नहर में रेत जमा हो जाने के कारण फसल की उपज काफी कम हो गई है ;

(ग) यह उपज किसी अन्य सिंचित क्षेत्र की उपज की तुलना में कैसी है ;

(घ) क्या कृषि विभाग की इस नहर के तुरन्त रेत को साफ करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल को अनाज की सप्लाई

934. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967 तथा वर्ष 1968 के पहले पांच महीनों में प्रति मास केन्द्रीय भण्डार से पश्चिम बंगाल को विभिन्न प्रकार का कुल कितना अनाज, जिसमें चावल और गेहूं सम्मिलित है, सप्लाई किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1967 तथा 1968 के पहले पांच महीनों में पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय भण्डार से निम्न मात्रा में खाद्यान्न दिया गया

मास	('000 मीटरी टनों में)	
	1967	1968
जनवरी	66.4	115.1
फरवरी	99.9	136.8
मार्च	114.3	129.2
अप्रैल	82.5	122.6
मई	65.1	138.7
जून	96.3	
जुलाई	106.8	
अगस्त	119.1	
सितम्बर	106.6	
अक्तूबर	116.1	
नवम्बर	103.5	
दिसम्बर	131.7	

टेलफोन निर्देशिकाओं में ग्राहकों के नामों में ब्रिटिश उपाधियों का प्रयोग

935. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन निर्देशिकाओं में ग्राहकों के नामों के साथ 'सर' 'राय बहादुर', 'खान बहादुर' 'सी० आई० ई०' जैसी उपाधियां प्रकाशित की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किसके आदेशानुसार ऐसा किया जा रहा है और उन्हें समाप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी करने का है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) यह उपभोक्ता का काम है कि वह जैसे भी चाहे अपना नाम लिखे । यदि उपभोक्ता अपने नाम के साथ उपाधि भी लिखे तो इसे निदेशिका में प्रकाशित करने की सुविधा से उसे वंचित नहीं किया गया ।

(ग) जी हां ।

कृषकों को राज सहायता देना

936. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषकों को खाद्यान्नों का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें खाद्यान्नों के स्थान पर नकद फसल बोने से रोकने के लिये, उन्हें राज सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम सहायता और खाद्यान्नों की खरीदने की कीमतें इस बात की आवश्यकता को सुनिश्चित करती ह कि किसानों को उनके उत्पादों के लिये न्याया-संगत धन प्राप्त हो । सरकार के उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई अन्य सुविधाओं के साथ, यह किसानों को, नकद फसल के उत्पादन के साथ-साथ खाद्यान्न उत्पादन को जारी रखने के लिये योग्य बनाती है ।

लघु सिंचाई योजनाएं

937. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 28 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2093 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में वर्ष 1966-67 और 1967-68 में राज्यों को कितनी-कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : लघु सिंचाई विषयक उपलब्धियां (इसके वित्तीय और भौतिक पहलुओं सहित) तथा उसके लाभान्वित होने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुबन्ध 1 से 4 में जानकारी दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 1447/68] । 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में योजना क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में बिजली पहुंचाने पर (जिसका नलकूपों और पम्पसैटों के लघु सिंचाई कार्यक्रम के साथ निकट सम्बन्ध है) होने वाला व्यय अनुबन्ध 5 में दिया गया है ।

मध्य प्रदेश में नलकूप लगाना

938. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 4 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि मध्य प्रदेश में विछित सेरका में नलकूप लगाये गये तो कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकस तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : चालू वित्तीय वर्ष में जब केन्द्रीय दल राज्य में पहुंचा तो मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि सन् 1968-69 में खोदे जाने वाले 1000 नलकपों द्वारा सिंचित किए जाने वाला कुल क्षेत्र सम्भवतः 30,000 एकड़ होगा । इस प्रकार एक नलकूप द्वारा 30 एकड़ भूमि सिंचित की जा सकेगी । यदि राज्य सरकार द्वारा 7000 नलकूपों के निर्माण सम्बन्धी योजना क्रियान्वित की गई तो 30 एकड़ प्रति नलकूप के आधार पर 2.10 लाख एकड़ भूमि का कुल क्षेत्र सिंचित किए जाने की सम्भावना है ।

प्रत्येक राज्य में फसल वाला क्षेत्र

939. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950-51 तथा 1967-68 में प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र में फसल बोई गई तथा कितने क्षेत्र में फसल हुई ;

(ख) राज्यवार किसी भी वर्ष में कितने अधिकतम क्षेत्र में फसल बोई गई ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कुल कितना क्षेत्र बोने योग्य है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष 1950-51 तथा 1965-66 में प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र में फसल बोई गई तथा कितने क्षेत्र में फसल हुई और 1950-51 व 1965-66 के बीच की अवधि में कुल कितने क्षेत्र की बुवाई की गई आदि के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने वाला सभा पटल पर रखा गया एक विवरण है (विवरण 1) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1448/68]** 1965-66 के पश्चात के वर्षों के बारे में ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1965-66 की अवधि में प्रत्येक राज्य के कृषिगत क्षत्र के बारे में विवरण 2 में जानकारी दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1448/68]**

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

940. श्री क० लक्कप्पा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के विशाखापत्तनम डिपो के कर्मचारी जहां सम्भालने तथा परिवहन सम्बन्धी कार्यों का विभागीकरण कर दिया गया है 2 से 7 जुलाई, 1968 तक हड़ताल पर थे। सहायक श्रम आयुक्त ने यह हड़ताल अवैधानिक घोषित कर दी थी और कर्मचारियों ने बिना किसी शर्त के 8 जुलाई, 1968 को हड़ताल समाप्त कर दी थी।

(ख) बोनस के बदले अनुग्रहपूर्वक अदायगी, विशेषाधिकार छुट्टी, बीमारी की छुट्टी, शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के लिये अपनी मांगें मनवाना।

(ग) अध्यक्ष, गोदी कर्मचारी संघ, विज़ग और भारतीय खाद्य निगम के बीच हुई एक बैठक के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को पहली जनवरी, 1967 से चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी लाभों को छोड़ कर, इन लाभों को देना तय हो गया है। शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी लाभों के बारे में जब प्रबन्ध पूरे होंगे तब उन्हें परिस्थिति अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

जनेवा में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन

941. **श्री क० लकप्पा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जून, 1968 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जनेवा सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों को मानने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जून, 1968 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 52वें अधिवेशन ने पहली वार्ता में बीमारी बीमा सम्बन्धी नये अभिसमय को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया । चूंकि लिखित में व्यवस्थित मानक और क्षेत्र इतने ऊंचे थे कि उनसे भारत जैसे विकासशील देशों का तात्कालिक व्यावहारिक हित नहीं हो सकता था, इसलिये भारत सरकार का प्रतिनिधि सम्मेलन समिति में इस प्रश्न पर मत देने में अनुपस्थित रहा ।

मोटर लांच कर्मचारी संस्था

942. **श्री क० लकप्पा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बम्बई ने गैर-कानूनी तौर से हड़ताल करने के बारे में मोटर लांच कमचारी संघ के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की थी ;

(ख) क्या उस आयुक्त ने गैर-कानूनी तौर से तालाबन्दी करने के बारे में कुछ नियोजकों के विरुद्ध भी शिकायत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । परन्तु प्रादेशिक श्रम आयुक्त केन्द्रीय, बम्बई ने मोटर लांच कर्मचारी संघ, बम्बई के कुछ सदस्यों और पदाधिकारियों के खिलाफ 21-9-1967 को गैर-कानूनी हड़ताल करने और दूसरों को उकसाने के सम्बन्ध में अभियोजन के दो मामले दायर किये थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों के मैनेजरों तथा असिस्टैंट मैनेजरों का स्थानान्तरण

943. **श्री रामसेवक यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध के स्टालों के मैनेजरों तथा असिस्टैंट मैनेजरों का तीन वर्ष तक किसी एक दूध के स्टाल पर काम करने के बाद साधारणत: बदल दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मैनेजर और असिस्टैंट मैनेजर हैं जिन्होंने किसी विशेष स्टाल पर तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है और उनके नाम क्या हैं ;

(ग) उन्हें तीन वर्ष से अधिक समय तक किसी विशेष स्थान में रखने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या ऐसे मैनेजरों तथा असिस्टैंट मैनेजरों को, जिन्होंने एक स्टाल में तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, स्थानान्तरित करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सारा दिन चलने वाले दुग्ध स्टालों पर प्रबन्धकों/सहायक प्रबन्धकों को उतनी देर तक एक ही स्टाल पर कार्यकौशल के हित में, कार्य करने दिया जाता है, जब तक कोई गम्भीर शिकायत न हो ।

(घ) और (ङ) जब आवश्यक समझा जाये स्थानान्तरण किये जाते हैं । फिर भी दिल्ली दुग्ध योजना जैसे व्यापारिक संगठन में इस बारे में कोई निश्चित नियम बनाने वांछनीय नहीं समझे गये ।

दक्षिण भारत में गन्ने के मूल्य

944. श्री स० अ० अगड़ी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिये मद्रास, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा गन्ने का कितना मूल्य दिया गया और प्रत्येक मिल में से चीनी उपलब्ध की प्रतिशतता कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली माण्डया की मैसूर शूगर कम्पनी लिमिटेड ने 1967-68 के लिए सब से कम चीनी निकाली गई ; और

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत चीनी निकाली गई और इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1449/68]**

(ख) और (ग) कारखाने ने 18 सितम्बर, 1967 से 15 जून, 1968 की अवधि में रुक-रुक कर कार्य किया और 7.62 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई । इस कारखाने ने जुलाई के दूसरे सप्ताह से नियमित रूप से पिराई शुरू की है और प्राप्त उपलब्धि मौसम के अन्त में मालूम होगी ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनाज की वसूली

945. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया और गोरखपुर जैसे जिलों में, जहां बहुत मात्रा में अनाज उपलब्ध है, अनाज की वसूली के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : राज्य सरकार ने राज्य भर में सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य पर खुली मंडियों में गेहूं खरीदने का आश्रय लिया था । खरीदारी का कार्य बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर, जहां अधिप्राप्ति मूल्यों पर गेहूं बिक्री के लिए पेश किया गया था, में किया गया । देवरिया,

आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर जिलों में अधिप्राप्ति मूल्य पर गेहूं पेश नहीं किया गया था और इसलिए कोई खरीदारी नहीं की जा सकी ।

महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में नियम

946. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान महान्यायवादी ने किन परिस्थितियों और कारणों से सरकार को अपना त्यागपत्र दिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार महान्यायवादी की नियुक्ति की शर्तों पर पुनर्विचार करके उनमें परिवर्तन करने का है ताकि महान्यायवादी ऐसे मुकदमों में, जिनमें सरकार पक्षकार न हो, गैर-सरकारी तौर पर परामर्श दे सके ; और

(ग) महान्यायवादी और सालिसिटर जनरल के मामले में एक तरह के तथा स्थायी वकीलों के मामले में दूसरी तरह के मापदण्ड अपनाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री यूनुस सलीम) : (क) महान्यायवादी ने इसलिए त्यागपत्र दिया है कि उनका यह विचार है कि उन्होंने सरकार की सेवा पर्याप्त अवधि तक कर ली है और उनकी आयु इतनी हो गई है कि उन्हें ऐसे उच्च पद से अवमुक्ति मिलनी चाहिए ।

(ख) इस दृष्टि से कि सरकार के काम का नुकसान न हो महान्यायवादी को गैर-सरकारी मामले लेने की इजाजत देना वांछनीय नहीं समझा जाता है ।

(ग) महान्यायवादी और सालिसिटर जनरल की नियुक्ति की शर्तों पर पुनर्विचार करते समय यह विनिश्चित किया गया था कि महान्यायवादी और सालिसिटर जनरल के अतिरिक्त, सरकारी अधिवक्ताओं का एक छोटा पैनल महान्यायवादी के साधारण अधीक्षण में कार्य करेगा । उन्हें गैर-सरकारी मामले लेने की भी इजाजत है क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सरकारी काम से होने वाली आमदनी सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं होगी । तथापि सरकार स्थिति पर निगाह रखे हुए है ।

रोजगार दिलाऊ कार्यालयों द्वारा भेजे गये अभ्यार्थियों का चयन

947. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1968 को दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रोजगार दिलाऊ कार्यालयों द्वारा सरकारी विभागों में साक्षात्कार के लिये भेजे गये ऐसे कर्मचारियों को नहीं चुना जाता, जो उनके अपने अभ्यर्थी नहीं होते और इसी कारण पद रिक्त पड़े रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनियमितता को दूर करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय से परामर्श करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) (क) जी हां। किन्तु उपलब्ध जानकारी, उसमें व्यक्त विचारधारा को पुष्ट नहीं करती ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Fall in Production of Milk and Butter

948. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that concern over fall in the production of milk, butter and other milk products in India has been expressed in the annual reports of the Food and Agriculture Committee of the United Nations Organisation ;

(b) if so, whether it is also a fact that it has been stated in the reports that it is affecting food production and trade to a great extent ;

(c) if so, the causes thereof ;

(d) whether Government propose to ban the export of milch cattle in order to increase the production of milk and butter ; and

(e) if not, the other means proposed to be adopted by Government to augment production of milk amd butter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) No report issued by the Food and Agriculture Organisation of the United Nations making a special mention about fall in production of milk and butter in India has come to the notice of the Government.

(b) and (c). Does not arise.

(d) The export of cattle is not normally allowed, but inexceptional circumstances the requests for export of cattle for breeding purposes are considered on merit.

(e) Does not arise.

Postage Stamps in Meerut Post Offices

949. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a dearth of postage stamps in the Post Offices in Meerut City ;

(b) if so, whether Government propose to supply adequate postage stamps to the post Offices in Meerut city ; and

(c) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) There was a shortage of only Rs. 5/- and Rs. 2/- stamps in Post Offices at Meerut. The demands of the public could, however, be met from available stocks of Re. 1/- stamps.

(b) and (c). Adequate supply of the wanting stamps have since been received and are available in the post offices at Meerut.

दिल्ली में गेहूं के आटे के मूल्य में वृद्धि

950. श्री स० चं० सामन्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की राशन की दुकानों में बेचे जा रहे आयातित गेहूं के आटे के मूल्य में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राशन की दुकानों में आयातित गेहूं और आटा देसी गेहूं के मूल्य से भी अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है; और

(ग) क्या राशन की ये दुकानें राशन की दो ही मदों, अर्थात् चीनी और चावल से अपनी दुकानों के कर्मचारियों पर होने वाले व्यय तथा अन्य व्यय को वहन करके भी कुछ मुनाफा कमा सकती हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 17-6-1968 से रोलर आटे की मिलों के लिये गेहूं की जारी कीमत 67 रुपये प्रति क्विंटल से 70 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। परिणामस्वरूप 17-6-68 से आटे का विक्रय मूल्य 3 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ा दिया गया है।

(ख) दिल्ली की राशन की दुकानों में आयातित गेहूं नहीं बेचा जा रहा है। आटा गेहूं से निश्चय ही मंहगा होता है क्योंकि आटे के मूल्य में इसके बनाने का मूल्य शामिल होता है।

(ग) राशन की दुकानें पूरी तरह से चावल और चीनी की बिक्री पर आश्रित नहीं हैं। वे दूसरी गैर-राशन की वस्तुएं और उपभोक्ता की वस्तुओं को भी बेचती हैं।

मुख्य सचेतक

951. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के उप मुख्य सचेतकों की उप मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के रूप में नियुक्ति की जाने के बाद वे अब भी संसद् सम्बन्धी कार्य कर रहे है अथवा उनके काम अन्य व्यक्तियों को सौंप दिये गये हैं;

(ख) क्या कांग्रेस के नये मुख्य सचेतकों को उप मंत्रियों के बराबर वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सामान्य संसद् सदस्यों की तुलना में उन्हें क्या लाभ प्राप्त हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). संसद् सदस्यों को संसद् सदस्य वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 1954 के अधीन मिलने वाले 500 रुपये प्रतिमास वेतन तथा 31 रुपये दैनिक भत्ते के स्थान पर सरकारी उप मुख्य सचेतकों को 1650 रुपये प्रति मास वेतन दिया जाता है। सरकारी उप-मुख्य सचेतकों को सचिवालय एवं निवास सम्बन्धी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं तथा उन्हें केन्द्र में उप-मंत्री के बराबर का पद दिया गया है।

एक अध्यापक द्वारा मनीआर्डर की दो बार वसूली

952. **श्री स० चं० सामन्त**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महा-कौशल हायर सेकेण्डरी स्कूल, जबलपुर के एक अध्यापक के भेजे गये एक मनीआर्डर को दो बार वसूल किये जाने का मामला सरकार के ध्यान में आया है जसा कि 3 जुलाई, 1968 के मध्य प्रदेश क्रानिकल में छपा है;

(ख) क्या यह सच है कि डाक अधिकारियों ने जिन्हें इस मामले की सूचना दी गई थी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) महा-कौशल हायर सेकेण्डरी स्कूल के अध्यापक श्री एम० पी० द्विवेदी के नाम भेजे गये जार्ज टाऊन (जबलपुर) के 133 रुपये वाले दिनांक 6 जून, 1967 के तार मनीआर्डर संख्या 1680 की अदायगी दो बार अर्थात् एक बार प्राप्तकर्ता को तथा दूसरी बार गलती से प्रेषक को कर दी गई ।

(ख) 3 जुलाई, 1968 के मध्य प्रदेश क्रानिकल में प्रकाशित होने के पश्चात् ही विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ । मामले की जांच करके उक्त स्कूल अधिकारियों से रकम वसूल की गई तथा उसे जबलपुर सिटी डाकघर में 18 जुलाई, 1968 को जमा कर दिया गया ।

(ग) दोहरी अदायगी की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये जांच पड़ताल जारी है ।

संसद् भवन का 'मिल्क स्टाल' तथा 'मिल्क बार'

953. **श्री गुणा नन्द ठाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् भवन में 'मिल्क स्टाल' तथा 'मिल्क बार' में कर्मचारियों की अलग-अलग कितनी संख्या है;

(ख) इन दो स्थानों पर मई, जून और जुलाई, 1968 में अब तक मासिक बिक्री की औसत राशि क्या है;

(ग) क्या औसत बिक्री को ध्यान में रखते हुए अन्दर के स्टाल पर कर्मचारियों की संख्या युक्तिसंगत है;

(घ) क्या 'मिल्क बार' पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या वहां की आवश्यकता के लिये पर्याप्त है;

(ङ) क्या 'मिल्क बार' में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में संसद् सदस्यों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि उपरोक्त भाग (घ) और (ङ) के उत्तर सकारात्मक हैं तो अब तक इस बारे में कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं और इस मामले में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अधिवेशन तथा अधिवेशन समाप्ति के बाद की अवधि के दौरान संसद् भवन में 'आल डे मिल्क स्टाल' और 'मिल्क बार' में कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या निम्न प्रकार हैं :—

	कर्मचारियों की संख्या	
	अधिवेशन में	अधिवेशन के बाद की अवधि में
(1) आल डे मिल्क स्टाल	3	2
(2) मिल्क बार	4	3

(ख) मई, जून और जुलाई (15-7-1968) तक 1968 में अब तक मासिक बिक्री की औसत राशि निम्न प्रकार है :—

मास	आल डे मिल्क स्टाल पर बिक्री		मिल्क बार पर बिक्री	
	कुल रुपये पैसे	औसत प्रतिदिन बिक्री रुपये पैसे	कुल रुपये पैसे	औसत प्रतिदिन बिक्री रुपये पैसे
मई	36,951.43	1,162.92	22,227.35	717.00
जून	22,706.90	756.90	14,078.55	469.28
जुलाई (15-7-68 तक)	18,628.12	1,241 20	13,484'88	899.00

(ग) जी हां। संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिये मिल्क स्टाल पर रखा गया स्टाफ अनिवार्य है।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां।

(च) माननीय सदस्य का सुझाव लोक-सभा सचिवालय से 16-7-68 को ही मिला है, अतः इस पर कार्यवाही करने में लापरवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता। चालू संसद् अधिवेशन के दौरान मिल्क बार की कार्य पद्धति को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा।

Agricultural Development in Banda District

954. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the new schemes proposed to be undertaken for the development of agriculture in Banda District ; and

(b) the manner in which Government propose to invest in tubewell schemes to improve irrigation facilities in Banda District ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

955. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में इस समय प्रत्येक पांच गांवों में एक डाकघर है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में क्या लक्ष्य पूरा किया जाना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी नहीं। औसतन प्रत्येक छः गांवों में से एक में डाकघर मौजूद है।

(ख) 1969 में शुरू होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य विचाराधीन है और आखिरकार इसके लिए जो राशि निर्धारित की जाएगी, उस पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में गेहूं का वसूली मूल्य

956. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज वसूली अभियान के अन्तर्गत कुछ अन्य राज्यों में किसानों को दिये जाने वाले मूल्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के किसानों को गेहूं का मूल्य कम दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादकों को प्रोत्साहन देने हेतु गेहूं का मूल्य अधिक नियत करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में उचित औसत किस्म के गेहूं के लिये निर्धारित किये गये अधिप्राप्ति मूल्य वही हैं जो कि अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों के लिये निर्धारित किये गये हैं।

(ग) सरकार द्वारा गेहूं के जो अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किये गये हैं उनमें उत्पादकों को प्रोत्साहन देने का अंश भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश में बिना काश्त की भूमि

957. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे तथा उत्तर प्रदेश के वन विभाग के कब्जे में हजारों एकड़ भूमि बिना काश्त की पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह भूमि भूमिहीन किसानों को आवंटित करने का है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में रेलवे की आवश्यकता से फालतू भूमि रेलवे विभाग द्वारा कलक्टरों को उपलब्ध की जाती है ताकि वे उसे कृषि कार्यों के लिये पट्टे पर दे सकें। इस प्रकार की भूमि का आवंटन करते समय भूमिहीन किसानों अथवा युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाती है।

भूमि उपयोग सम्बन्धी कार्यवाही वर्ग की सिफारिशों के अनुसार रोपण के उपयुक्त बन की खाली भूमि का वनीकरण एक सुनियोजित आधार पर "तौंग्या" विधि का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रणाली के अधीन चुने हुये क्षेत्रों को फसलें बोने और साथ साथ वनीकरण के लिये नीलामी द्वारा तीन से चार वर्ष के लिये पट्टे पर दिया जाता है। छोटे छोटे क्षेत्रों को स्थानीय

भूमिहीन लोगों को देने में प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें हरिजन भी सम्मिलित हैं तथापि जल-ग्रस्त भूमि को अल्पकाल के लिये वार्षिक आधार पर खरबूजा और बोरों के उत्पादन के लिये दिया जाता है।

Telegraph Offices in U. P.

958. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number if Telegraph Offices in Uttar Pradesh at present, district-wise ;

(b) the number of Telegraph offices where facilities have been provided by Government for sending a telegram in both Hindi and English languages ; and

(c) the number of those Telegraph offices in Uttar Pradesh where facilities for sending a telegram in English only have been provided by Government ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A Statement is 'placed on the table of the Sabha. [*Placed in Library See. No. LT*-**1450/68**)

(b) Facilities are available for sending Telegrams in both the Hindi and English languages at all the 1055 Telegraph Offices in Uttar Pradesh.

(c) All Telegraph Offices accept Telegrams in English and Devanagari.

Disconnection of Telephones installed at Residences of Officers

959. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry have made a suggestion that the Official Telephones installed at the residence of certain categories of officers in the Ministries and Departments of the Government of India should be discconnected ;

(b) if so. the reasons therefor ; and

(c) when the above suggestion would become effective ?

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No .

(b) and (c) Do not arise.

Medical reimbursement to Employees in Kota Telegraph Office

960. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of such employees as were working in Kota Telegraph Office on the 31st December, 1967;

(b) the number of employees engaged in distributing telegrams out of those working in that office ;

(c) the total amount of medical reimbusement received by the said employees from January, 1967 to December, 1967 ; and

(d) the amount of medical reimbursement received by each of the employees duing the above period separately ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentry Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Sixty (60)

(b) Thirteen (13)

(c) Rs. 71044. Seventy one thousand and forty four rupees .

(b) A statement is laid on the Table of the House [*Placed in library See No. L.T* 1451/68]

Supply of Sugar to M.P. Government

961. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Government of **Madhya Pradesh** have asked the Cemtral Government to increase the quota of sugar for Madhya Pradesh in proportion to the population of that State ;

(b) if so, whether Government have since increased the quota of sugar for that State ; and

(c) the quantity of sugar , in tonnes, supplied to that State by the Central Government against their demand for additional supply of sugar over and above their fixed quota ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes , Sir .

(b) No, Sir .

(c) An *ad-hoc* additional quota of 741 tonnes was however allotted to the State for each of the monthly periods for March-April, April- May and May-June , 1968 for festivals, marriage season, religious congreations etc., when similar *ad-hoc* quotas were allotted to other States.

Special Telecommunication Arrangements during Prime Minister's visit abroad

962. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the time of Prime Minister's Visit abroad from the 18th May to 31st May, 1968, special telecommunication arrangement were made between India and foreign countries ;

(b) if so, the names of countries with which special telecommunication arrangements were made ; and

(c) the nature of factilties provided under the special telecummunication arrangement ?

The Minister of State in the Department of Parliamentry affairs and Communications : (Shri I. K. Gujral): (a) Yes .

(b) Singapore, Australia, Newzealand and Malaysia .

(c) (*i*) Normal hours of working were extended to cater to the increased volume of traffic filed by the Press and the Prime Minister's party .

(ii) Temporary direct Radiophoto and Radio telephone circuits were established with Malaysia .

(iii) Radiophoto circuits between India and Singapore. Australia and Newzealand were also provided for the benefits of the Press .

(iv) Collect facilitis for inward Radiotelephone calls and Telex messages were provided for the benefit of India Press Corresnondents and News Agencies, covering the Prime Minister's Visit.

(v) Arrangements for expeditious handling of special programme transmissions to New Delhi were made on behalf of the Correspondents of the all India Radio .

चीनी का निर्यात

963. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक कितनी चीनी का निर्यात किया गया है और किन किन देशों ने हमारी चीनी का आयात किया; और

(ख) चीनी का प्रति क्विंटल निर्यात मूल्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) चालू वर्ष में अब तक देशवार निर्यात की गयी चीनी की मात्रा और उससे जहाज तक निष्प्रभार अनुमानतः प्रति क्विंटल प्राप्त मूल्य इस प्रकार है :—

देश	निर्यात की गयी मात्रा	जहाज तक निष्प्रभार अनुमानतः प्रति क्विंटल प्राप्त मूल्य रु०
1. अमेरिका	56,728	106.00
2. यू० के०	25,400	86.00
जोड़	82,128	

स्वचालित टेलीफोन केन्द्र, निजामाबाद के लिये इमारत

964. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद में स्वचालित, टेलीफोन केन्द्र के लिये इमारत बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस काम के प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और टेंडर मांगे गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस इमारत का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख) स्वचल टेलीफोन केन्द्र के निर्माण के लिए एक भूखण्ड का अधिग्रहण कर लिया गया है और प्राथमिक नक्शे की मंजूरी दी जा चुकी है। इस इमारत के लिए प्राथमिक प्राक्कलन भी तैयार कर लिया गया है और इसकी मंजूरी के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) 1969 में इस इमारत का निर्माण-कार्य शुरू होने की सम्भावना है और इस कार्य के लगभग दो वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

निर्वाचन व्यय

965. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग विधान सभा तथा संसद् के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा अनुज्ञात व्यय की वर्तमान अधिकतम सीमा कितनी है और उसे कितना बढ़ाने का विचार है; और

(ग) पिछले साधारण निर्वाचनों में निर्वाचन क्षेत्रवार, लोकसभा के निर्वाचन में अधिकतम व्यय करने वाले दस उम्मीदवारों द्वारा कितनी राशि खर्च की गई ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 90 में विहित निर्वाचन-व्यय की अधिकतम सीमा के पुनरीक्षण के लिए आयोग को अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । वर्तमान अधिकतम सीमाएं 15 वर्ष से भी पहले नियत की गई थीं और तब से इन सीमाओं का कोई भी पुनरीक्षण नहीं किया गया है यद्यपि इस कालावधि के दौरान निर्वाह व्यय काफी बढ़ गया है । आयोग के समक्ष बहुधा ऐसी शिकायतें आई हैं कि 1952 के बाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन क्षेत्र दोनों की औसत जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गई फिर भी निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं की गई । यह प्रतिवेदन किया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए यह असम्भव हो गया है कि वे विहित सीमाओं के अन्दर रह कर इतने बड़े निर्वाचक-मण्डलों में किसी प्रकार का दक्ष निर्वाचन अभियान चला सकें ।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 90 में विहित अधिकतम सीमाएं और निर्वाचन आयोग द्वारा प्राथमिकता पुनरीक्षण इस प्रकार है:—

1. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए :

	वर्तमान सीमा रु०	प्रस्थापित सीमा रु०
(1) नागालैण्ड में भिन्न किसी राज्य में	25,000	35,000
(2) नागालैण्ड में तथा संघ राज्य क्षेत्र में	10,000	12,500

2. सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए

	वर्तमान सीमा रु०	प्रस्थापित सीमा रु०
1. आन्ध्र प्रदेश	7,000	10,000
2. असम	6,000	9,000
3. बिहार	8,000	11,500
4. गुजरात	8,000	11,500
5. हरयाणा	6,000	9,000
6. केरल	7 000	10,000
7. मध्य प्रदेश	7,000	10,000
8. मद्रास	9,000	12,500
9. महाराष्ट्र	8,000	11,500

		वर्तमान सीमा रु०	प्रस्थापित सीमा रु०
10.	मैसूर	6,000	9,000
11.	नागालैण्ड	1,000	2,000
12.	उड़ीसा	7,000	10,000
13.	पंजाब	7,000	10,000
14.	राजस्थान	6,000	9,000
15.	उत्तर प्रदेश	9,000	12,000
16.	पश्चिम बंगाल	7,000	10,000
	संघ राज्य क्षेत्र		
17.	हिमाचल प्रदेश	2,000	3,000
18.	मणिपुर	2,000	3,000
19.	त्रिपुरा	2,000	3,000
20.	गोवा, दमन तथा दीव	2,000	3,000
21.	पाण्डिचेरी	2,000	3,000

(ग) सदन के पटल पर विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1452/68]**

लोहना रोड डाकघर

966. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला दरभंगा, बिहार में लोहना रोड डाकघर में टेलीफोन तथा तार की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां टेलीफोन और तार की व्यवस्था करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) लोहना रोड डाकघरमें तार सुविधा की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा लाभप्रद न होने के कारण उसे खत्म कर दिया गया था। यह स्थान उस श्रेणी के स्थानों के अन्तर्गत भी नहीं आता जहां नुकसान होने पर भी तार सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। संसारपुर नामक स्थान पर जो कि लोहना रोड डाकघर से केवल तीन मील की दूरी पर स्थित है, तार सुविधा उपलब्ध है ।

जहां तक टेलीफोन व्यवस्था का प्रश्न है इस सम्बन्ध में न तो जनता से और न राज्य सरकार से ही कोई मांग प्राप्त हुई है।

(ग) लोहना रोड डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की रही है। जहां तक तार सुविधा का प्रश्न है इसका उत्तर ऊपर (ख) में दिया जा चुका है।

(घ) और (ङ) फिलहाल कोई निर्दिष्ट समय-अवधि नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जैसा कि ऊपर (ग) में निदेश किया गया है प्रस्ताव की अभी जांच की जानी है।

किसान प्रशिक्षण केन्द्र

967. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास के लिये सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में, विशेषकर बिहार में, विदेशी सहायता के साथ, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कितने बीजों से खेती के प्रयोग किये जा रहे हैं; और अब तक उनके क्या परिणाम निकले है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी हां।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना मीशन ने फार्म ट्रेनिंग एण्ड फंक्शनल लिट्रेसी सम्बन्धी परियोजना के लिये सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया है। विशेषज्ञों, छात्रवृत्तियों व उपकरणों के रूप में दो चरणों में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है अर्थात् (क) 31-12-68 तक का प्रारंभिक चरण जिसका संबंध 132,000 डालर की सहायता से है तथा (ख) 1-1-69 से वर्ष 2 वर्ष के लिये प्रथम चरण, जिसका संबंध 10,78,200 डालर की सहायता से है। इसके पश्चात् चरण 2 चालू होगा जो प्रारंभिक चरण व प्रथम चरण से प्राप्त होने वाले अनुभव के ज्ञान के आधार पर पूरा किया जायेगा।

पूर्णा (उड़ीसा) में सार्वजनिक टेलीफोन

968. **श्री अ० दीपा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उड़ीसा राज्य के फलवनी जिले में पूर्णा कटक में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के लोगों के लिये इस सुविधा की व्यवस्था करने में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) फलवनी जिले के पूर्णा कटक स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था करने के लिये संसद-सदस्य श्री अ० दीपा का एक अभ्यावेदन 19 अप्रैल, 1967 को प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रस्ताव की मंजूरी 1967 में ही किराये तथा गारंटी के आधार पर दे दी गई थी जो कि राज्य सरकार को भी मान्य थी, किन्तु सामान की आवश्यक मदों की कीमत में वृद्धि होने के कारण किराये और गारंटी को संशोधित करना पड़ा । संशोधित आंकड़े राज्य सरकार को 4 अप्रैल, 1968 को भेजे गये थे जिनकी स्वीकृति की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है । किराये तथा गारंटी की शर्तें राज्य सरकार द्वारा, स्वीकार किये जाने पर ही इस मामले में आगे कार्रवाई की जा सकेगी ।

खादंग नदी परियोजना

969. **श्री अ० दीपा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये खादंग नदी परियोजना आरम्भ करने के लिये जिसके अन्तर्गत उड़ीसा के फूलवनी, कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों की बन्दरगाह आती है, केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) से (ग) जी, नहीं । तथापि फलवनी को विशेष क्षेत्र कि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है ।

कच्छ में खार भूमि को कृषि योग्य बनाना

970. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ की खाड़ी के सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार का विचार कच्छ में खार भूमि के कृष्यकरण के काम को खार भूमि विकास बोर्ड से अपने अधिकार में लेने अथवा बोर्ड को भूमि कृष्यकरण कार्य में पर्याप्त सहायता प्रदान करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निश्चित दृष्टिकोण क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने बोर्ड के पास इस समय जो भूमि कृष्यकरण योजनायें हैं अथवा जो बोर्ड की भावी योजनायें हैं, उनकी जांच की है और यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) गुजरात खार भूमि विकास बोर्ड के काम को अपने हाथ में लेने का भारत सरकार कोई विचार नहीं रखती। तथापि, महान, कच्छ-रन के भूमि सुधार और विकास के लिये सम्भाव्य अध्ययनों के लिये गुजरात सरकार से एक पायलट योजना प्राप्त हुई है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है ।

गुजरात में कृषि का विकास

971. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1968-69 में राज्य में कृषि के विकास की कोई योजना भेजी है :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत आयेगी और यदि कोई केन्द्रीय सहायता मांगी गई है, तो कितनी; और

(ग) उस योजना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968–69 की अवधि में गुजरात में कृषि विकास की योजनाओं को राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजनाओं में शामिल कर लिया था जो स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी ।

(ख) और (ग) एक विवरण, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कृषि क्षेत्र के प्रत्येक विकास शीर्षक के व्यय दिये गये है ; सभा पटल पर रखा जाता है । अभी तक राज्य सरकार के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता की मात्रा को अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है । फिर भी राज्य को जो केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी वह योजना आयोग द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से निश्चित क्रियाविधि व प्रतिमान के अनुसार होगी ।

विवरण

1968–69के लिये गुजरात की राज्य योजना-कृषि कार्यक्रमों पर परिव्यय

(रुपये करोड़ों में)

विकास कार्य का शीर्षक	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
1 कृषि उत्पादन	2.67	2.96
2 लघु सिंचाई	5.55	5.20
3 मिट्टी संरक्षण	1.94	1.79
4 आधा कट विकास	0.14	0.16
5 पशुपालन	0.83	0.87
6 दूधशाला तथा दूध संभरण	1.41	1.29
7 वन	0.64	0.63
8 मत्स्य पालन	0.87	0.81
9 भांडागारण तथा विपणन	0.20	0.19
कुल :	14.25	13.90

धनुषकोडी पाये (पायर्स)

972. **श्री श० ना० माइती** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री लंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को लाने के लिये धनुषकोडी पायों (पायर्स) का, जो कुछ वर्ष पूर्व तुफानी लहरों के कारण बह गये थे, पुनर्निर्माण करने के लिये, प्रत्येक मुख्य मद के अन्तर्गत कुल कितने व्यय का अनुमान है;

(ख) प्रत्येक मुख्य निर्माण कार्य के लिये कितना समय निश्चित है; और

(ग) प्रत्येक मद के अन्तर्गत आरम्भिक कार्य की अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) :(क) धनुषकोडी पायों (पायर्स) के पुनर्निर्माण के लिये हाल ही में मद्रास सरकार से 17.00 लाख रुपये का समेकित अनुमान प्राप्त हुआ है जो भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) अभी तक कोई समय निश्चित नहीं किया गया है । प्रगति का प्रश्न उसी समय सुसंगत होगा जब कि कार्य प्रारम्भ होगा ।

सामुदायिक विकास खण्डों में जीपें

973. **श्री श० ना० भाइती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 और 30 जून, 1968 को सामुदायिक विकास अधिकारियों के पास कुल कितनी-कितनी जीपें थीं; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में इन जीपों की देखभाल और मरम्मत आदि पर भारत सरकार का कुल कितना खर्च हुआ तथा वर्ष 1968–69 के आय-व्ययक में कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) राज्यों / केन्द्र शासित क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) खण्डों की जीपों की देखभाल और मरम्मत आदि की जिम्मेदारी केन्द्र की नहीं है और इस लिये इस बारे में केन्द्रीय बजट में कोई अलग व्यवस्था नहीं की जाती है । तथापि प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के खण्डों में जीपों की देखभाल तथा मरम्मत आदि पर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाला व्यय सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी योजना व्यय का ही भाग होता है, जिसके लिये आयोजन प्रतिरूप के अनुसार केन्दीय सहायता दी जाती है । राज्यों / केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा जीपों की देखभाल और मरम्मत पर किये गये व्यय, जिसके लिये उन्होंने केन्द्रीय सहायता प्राप्त की है, के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

974. **श्री हेम राज** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के लिये साझा विश्वविद्यालय रखा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब और हरियाना की सरकारों ने इसके विभाजन के लिये अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हरियाणा में हिसार और हिमाचल प्रदेश में पालम पुर के कृषि कालेजों को विश्वविद्यालयों का दर्जा देने का है; और यदि हां, तो कब ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि लुधियाना स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने पालमपुर कालेज के अपने कर्मचारियों को पंजाब अथवा हरियाणा में से एक को चुनने के लिये अनुदेश जारी किये है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी, हां

(ग) पंजाब तथा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के संघ क्षेत्र के राज्यों में अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय बनाने की सम्भाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

(घ) इस सम्बन्ध में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

Land Under Sugar Cultivation

975. Shri S. M. Joshi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total acreage of land in the country brought under sugarcane cultivation last year;

(b) the acreage of land brought under sugarcane cultivation this year after partial decontrol of sugar;

(c) whether it is a fact that sugar pricein the market is now coming down as a result of the release of two lakh tonnes of sugar ;

(d) whether it is a fact that the members of the Sugar Cooperative mills had sent a telegram requesting to decrease the quota of the release of sugar to check the fall in the price of sugar ;

(e) if so, the reply given to them by Government ; and

(f) the present price or sugar and the steps being taken by Government to bring it down ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture Community Devalopment and Cooperation (Shri Annasahab Shinde) : (a) The acreage under sugaracane during 1967-68 according to All-India Second Estimate is 50.66 lakh acres .

(b) The estimate of area brought under sugarcane this year for 1968-69 season is not yet avilable .

(c) Yes, Sir. Sugar prices have come down after release of sugar at 2 lakh tonnes during the last three months.

(d) Yes, Sir.

(e) No reply has been given.

(f) The current prices of fine sugar in the principal markets very between Rs. 310 to Rs. 325 per quintal.

विस्थापित व्यक्तियों को छोटे ऋण

976. श्री म० सुदर्शनम : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये छोटे ऋणों के बारे में किसी को माफ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

श्रम, रोजगार, तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी, हां।

(ख) (1) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के मामले में निम्नलिखित छूट दी गई है

(क) वे व्यक्ति जिन के विस्थापित व्यक्ति (दावा) अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत दावे नहीं हैं ।

(1) लघु ऋण योजनाओं के अन्तर्गत छोटे-मोटे व्यापार कार्य और लघु उद्योग के लिये 300 रु० तक या उस से कम ।

(2) शिक्षा के लिये सभी ऋण (विदेश शिक्षा को छोड़कर) जिन में उनकी राशि का विचार नहीं किया जाता ।

(3) भूमि पर बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये खाद्य ऋण ।

(4) विस्थापित विधवाओं को सिलाई की मशीनें खरीदने के लिये दिये गये ऋण ।

(ख) वे व्यक्ति जिनके दावे विस्थापित व्यक्ति (दावा) अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत पुनर्वास मुआवजे के दावे हैं।

(1) भारत में अध्ययन के लिये दिये गये ऋण जो उनको या उनके माता-पिता या संरक्षकों को, प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान की देय राशि से अधिक हों।

(2) भूमि पर बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये खाद्य ऋण।

(3) दावेदार जिन का मुआवजा 300 रु० से कम है किन्तु उन्हें 300 रु० तक ऋण दिये गये थे—मुआवजे से अधिक ऋण की राशि की भी छूट दी जाती है ।

(2) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

पूर्वी-पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के मामले में, जो प्रथम जनवरी, 1964, से पूर्व आये हों, उनको दिये गये ऋणों में प्रत्येक मामले में 1,000 रु० तक की छूट देने दी जाती है । 1,000 रुपये की छूट देने के बाद यदि कोई बकाया रह जाता है, तो उस में से 2,000 रुपये से अधिक की राशि की भी छूट भी दे दी जाती है। जिस राशि की छूट दी गई हो उस पर व्याज वसूल नहीं किया जाता ।

ऋणों की कुछ श्रेणियां, जैसे —

(1) अंशदायी गृह-निर्माण ऋण ; (2) व्यवसायिक ऋण; (3) शरणार्थी व्यापारियों के पुनर्वास बोर्डों या पुनर्वास वित्त मंत्रालय के माध्यम से दिये गये ऋण ;

(4) दण्डकारण्य में विस्थापित परिवारों को दिये गये ऋण, छूट की योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

संसद भवन के अन्दर स्थित दुग्ध-स्टाल की कार्य संचालन के विरुद्ध शिकायतें

977. **श्री जि० ब० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने संसद् भवन के अन्दर स्थित दुग्ध स्टाल के कार्य-संचालन के बारे में एक संसद सदस्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है, जो कि दिल्ली दुग्ध योजना के चेयरमैन को सम्बोधित थी ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस मामले में किये गये विलम्ब के लिए किसी पर जिम्मेदारी डाली गई है

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) शिकायत की जांच की गई है और ऐसी शिकायतें फिर न हों इसके लिए संसद भवन के दुग्ध स्टाल के प्रबन्धक और सम्बन्धित डिपो स्टाफ को आवश्यक निदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

गैर-पत्रकार और पत्रकार कर्मचारी

978. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या श्रम, तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने समाचार-पत्र उद्योग के गैर-पत्रकार तथा पत्रकार दोनों वर्गों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक ही कानून बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सरकार को यह मालूम हुआ है कि अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी सिफ़ारिश राष्ट्रीय श्रम आयोग को की है। फिर भी सरकार इस मामले पर इस समय कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राष्ट्रीय आयोग की सिफ़ारिश प्राप्त होने पर ही सरकार इस पर विचार करेगी।

केन्द्रीय कोयला मजूरी बोर्ड का पंचाट

979. **श्री जु० कि० मंडल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के मालिकों ने अभी तक केन्द्रीय कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कोयला खान के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कानूनन लागू नहीं होतीं। अतः दोषी कोयला खानों के मालिकों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को अनुनय और परामर्श द्वारा क्रियान्वित कराने के लिए प्रयास जारी हैं।

दिल्ली में राशन

980. **श्री जु० कि० मंडल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी राशन-जोनों को समाप्त करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी बचत होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे): (क) दिल्ली में सारे राशन जोन समाप्त कर दिये गये हैं ।

(ख) लगभग 6 लाख रुपये ।

ट्रैक्टरों की सप्लाई

981. **श्री मु० न० नाधनूर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि ट्रैक्टरों की सप्लाई किसानों की आवश्यकताओं से बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो तो पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या उपाय करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) ट्रैक्टरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के निर्माण को शुरू करने हेतु उद्यमकर्त्ताओं के आकर्षित करने के लिए ट्रैक्टर उद्योग से लाइसैंस हटाना ।

(2) मौजूदा देशी विनिर्माताओं से इस बात का आग्रह करना कि वे अपने लाईसंसों की क्षमता के अनुसार अपना उत्पादन बढ़ायें ।

(3) पूंजीगत माल व कल-पुर्जों के लिए उदारतापूर्वक विदेशी मुद्रा का नियतन करना और कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना ।

(4) आवश्यकतानुसार आयात करना ।

खाद्य उत्पादन के लिये धन का नियतन तथा वितरण

982. **श्री मु० न० नाधनूर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 में निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत खाद्य उत्पादन के लिये कितना धन नियत किया गया है :—

(1) भूमि का विकास (2) कुएं खोदने के लिये धन (3) सिंचाई को बढ़ाने के लिये पन बिजली लाइनों का वितरण और विस्तार के लिये धन, (4) डीजल पम्प सैटों और बिजली के सिंचाई के पम्प सैटों की सप्लाई के लिये धन ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना केलिए कितना धन नियत किया गया है ; और

(ग) किस व्यवस्था के माध्यम से इस धन का वितरण किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जानकारी राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) चौथी योजना के प्रस्ताव अभी बनाये जा रहे हैं, अतः इन योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रस्तावित निधि के सम्बन्ध में कोई संकेत देना सम्भव नहीं है ।

(ग) योजनाओं के रूप को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों तथा/या अन्य संस्थाओं तथा एजेन्सियों के माध्यम से निधि राज्य सरकारों द्वारा वितरित की जाती है ।

हरियाणा से भेजी गई मक्का को क्षति

983. **श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्र पार्टी ने हरियाणा के व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों को भेजी गई लगभग 10 करोड़ रु० के मूल्य की मक्का को रेलवे तथा भारतीय खाद्य निगम की उपेक्षा के कारण हुई क्षति की जांच किये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) इस सम्बन्ध में सरकार को श्री एन० जी० रंगा और श्री दयाभाई पटेल से एक एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) इनकी जांच की गयी थी और सम्बन्धित संसद् सदस्यों को उत्तर भेज दिए गए हैं । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कलकत्ता में उत्तरी अन्तर-क्षेत्रीय मक्का (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1967 का उल्लंघन करने पर लगभग 21 लाख रुपये की लागत की अनुमानतः 3,000 मीटरी टन मक्का पकड़ी और जब्त की थी । जब्त की गयी मक्का का न्यायालय के आदेशों के अनुसार निपटान कर दिया गया है । रेलवे और भारतीय खाद्य निगम की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है । कुछ मामलों में जब्ती आदेशों के विरुद्ध अपीलें जिला जज, हावड़ा, की कचहरी में लम्बित हैं। कुछ मामले कलकत्ता उच्च न्यायालय में लम्बित हैं ।

उर्वरकों का आयात

984. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में उर्वरकों के आयात के लिये प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 1968-69 के लिये कुल मिला कर 10.45 लाख मीटरी टन नाईट्रोजन 1.36 लाख मीटरीटन P_2O_5 तथा 2.10 लाख मीटरी टन K_2O उर्वरकों के आयात की आवश्यकता है। 81 प्रतिशत नाईट्रोजन और 100 प्रतिशत P_2O_5 व K_2O की मात्रायें पहले ही क्रय कर ली गई हैं। नाईट्रोजन की शेष मात्रा क्रय की जा रही है।

Procurement of Food grains

985. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the various agencies through which and the rates in each case at which wheat has been procured this year; and

(b) the difference between the purchase prices of thes agencies and those of the Food Corporation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Wheat is procured through the agency of the F.C. I., State Governments and the co-operative and the rate is the same for all the agencies . Goverament of India have fixed uniform procurement prices for mexican, dara and superior wheat and all the agencies purchase or procure at these prices.

Procurement Prices of Wheat

986. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the procurement prices fixed by the Central Goverment for wheat were not paid to the farmers but were paid to the procurement agencies ;

(b) the names of States in which the procurement was made through the grain dealers and not through Government or Cooperative Agencies ; and

(c) the quantity of food grains procured by the Food Corporation of India as levy through the grain dealers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Procurement of wheat is made through the purchase agents who are cooperative societies or private traders or associations of traders and payments to farmers are made through there purchase agents. The agents get their commission from the buyer and are responsible to pay to the farmer the price he is entitled to. The Cooperative Societies are preferred as purchase agents wherever available. Traders levy is in force in Madhya Pradesh and was inforce in Rajasthan up to 4-6-68.

(c) Food Corporation of India has procured 43,681 tonnes of wheat by levy on trade .

Telephone and Telegraphic System in Police Stations and Post Offices in Rewa and Gwalior

987. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no arrangements exist in the Police Station and Post Offices in the dacoit-infested areas of Rewa and Gwalior for the speedy communication of information regarding dacoity , kidnapping, etc. due to lack of telegraphic and telephone amenities; and

(b) whether Government propose to provide telephones and telegraphic system in the Police Stations and Post Offices in these dacoit-infested areas ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary affairs and Communications (Shri I.K. Gujral): (a) No. Sir, Telephone facility exists at 27 post offices in places with Police Stations and Telegraph facility exists at 52 Post Offices in places with Police Stations in Gwalior Division . Telephone facility exists at 34 Post Offices at places with Police Stations and Telegraph facility exists at 62 Post Offices at places with Police Stations in Rewa Division.

(b) New proposals have been sanctioned for opening of 3 Public Call Offices and 3 Telegraph Offices in Gwalior Division and 6 Public Call offices and 9 Telegraph Offices in Rewa Division.

Unemployment

988. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of unemployed persons whose names were registered with all the Employment Exchanges in the country as on 1st July, 1968;

(b) the number of persons belonging to different categories separately who were provided employment opportunities by the Employment Exchanges during the period from the 1st January, 1968 to 1st July, 1968; and

(c) the number of new Employment Exchanges opened and also of that closed during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S.C. Jamir) : (a) 28,79,741 job-seekers were on the live register as on 30th June, 1968.

(b) Available information is given in the statement laid on the Table of the House .

Statement

	Occupational Group	No. of placements effected during the period 1st January to *31st March,1968
1.	Professional, Technical and related workers	27,336
2.	Administrative, Executive and Managerial workers.	1,264
3.	Clerical, Sales and related workers	23,153
4.	Agricultural, Dairy and related workers	2,461
5.	Miners, Quarrymen and related workers	1,563
6.	Workers in Transport and Communication occupations.	3,378
7.	Craftsmen and Production Process workers	9,689
8.	Service workers (*e.g.* Cooks, Chowkidars , Sweepers, etc.)	12,243
9.	Labourers with work experience not elsewhere classified	23,879
	Total	1,04. 966

*Date for the quarter April-June, 1968 are not yet available.

(c) 4 new employment exchanges were opened during the period 1st January, 1968 to 30th June, 1968. No employment exchange was closed during this period .

कालकाजी कालोनी में पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को प्लाटों का दिया जाना

989. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित कालकाजी कालोनी में पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों, विशेषकर, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातयों को आवास प्लाटों की अलाटमेंट की नीति के बारे में हाल में दिल्ली में किसी समाज कल्याण संगठन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो अभ्यावेदन में की गई माँगों की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदन पर विचार किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी हाँ।

(ख) (1) कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में 10 प्रतिशत प्लाट अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के आवेदकों के लिए आरक्षित रखे जायें ;

(2) ऐसे आवेदकों के लिये शर्तों और प्रतिबन्धों में विशेषकर दिल्ली में रिहायश की अवधि तथा लाभकारी रोजगार आदि की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के बारे में ढील दी जाये और उन्हें सरल बनाया जाये ;

(3) आरक्षण की व्यवस्था करने तथा शर्तों और प्रतिबन्धों को सरल बनाने के उपरान्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों से फिर से आवेदन-पत्र माँगे जायें; और

(4) अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों को प्लाटों की अलाटमेंट रियायती दर/मूल्य पर की जाये जैसा कि सरकार की नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है ।

(ग) से (ङ). 1962 में मंजूर की गई योजना के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियों को, जो दिल्ली में लाभकारी रोजगार पर लगे हों और चार वर्ष या उस से अधिक समय तक दिल्ली में रह भी चुके हों, कालकाजी के निकट पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाट "अलाभालाभ" आधार पर अलाट किये जाते हैं। विस्थापित व्यक्तियों की जाति के आधार पर इस बारे में कोई भेद भाव नहीं किया जाता है। उपरोक्त निर्णय के बारे में संस्था को अलग से सूचित किया जा रहा है। वे व्यक्ति जिन्हें गृह-निर्माण सुविधाओं के मामले में रियायती बर्ताव की आवश्यकता हो दिल्ली प्रशासन की विभिन्न इमदादी योजनाओं यदि कोई हों और जहाँ तक उन योजनाओं में गुंजाइश हो, का लाभ उठा सकते हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों के लिये नई बैरकपुर कालोनी

990. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 28 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5483 तथा 5484 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये स्थापित की जाने वाली बैरकपुर कालोनी के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी और इस मामले में कब उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वा० रा० चव्हान) (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखने के लिये पहले ही संसद्-कार्य विभाग को भेजी जा चुकी है।

सामूहिक कृषि फार्म

991. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 25 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8461 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामूहिक कृषि फार्मों के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण जिसमें ब्यौरा दिया गया है सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	31-3-1968 को सामूहिक खेती समितियों की संख्या	1968–69 मे जिन सामूहिक खेती समितियों की थापना करने का प्रस्ताव उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)
1 आँन्ध्र प्रदेश	3,54	300
2 असम	389	25
3 बिहार	..	..
4 गुजरात	286	90
5 हरियाना	67	..
6 जम्मू तथा काश्मीर	1	..
7 केरल	4	..
8 मद्रास	4	..

1		2	3
9	मध्य प्रदेश	339	22
10	महाराष्ट्र	817	45
11	मैसूर	81	15
12	नागालैंड	1	..
13	उड़ीसा	108	..
14	पंजाब	69	..
15	राजस्थान	239	..
16	उत्तर प्रदेश	102	..
17	पश्चिम बंगाल	128	10
18	अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	23	2
19	चंडीगढ़	..	..
20	दादरा तथा नगर हवेली	..	..
21	दिल्ली	2	..
22	गोआ, दमन तथा दीव	3	2
23	हिमाचल प्रदेश	..	..
24	लंकादीव, मीनीकोय तथा अमिनदीव द्वीप समूह	..	..
25	मनीपुर	33	5
26	नेफा	3	..
27	पांडिचेरी	1	..
28	त्रिपुरा	2	..
		3,056	456

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Construction of Godowns by F.C.I.

992. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have imposed a ban on the construction of new buildings ; and

(b) if so, whether it is also a fact that the Food Corporation of India cannot construct godowns and has to face difficulty in storing the foodgrains due to the shortage of godowns as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) At present there is no ban on new construction.

(b) Does not arise.

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई की छोटी सुविधायें

993. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए आन्ध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे राज्य में खाद्य के उत्पादन में वृद्धि की जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है और अन्तिम स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि की छोटी मशीनों का प्रयोग

994. श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान में प्रयोग में लाई जाने वाली कृषि की छोटी मशीनों जैसी मशीनों का, जिनको चलाना आसान है और जो थोड़ी भूमि वाले किसानों के लिए भी उपयुक्त हैं, प्रयोग आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) भारत और जापान के बीच कुछ करारों के अन्तर्गत जापान सरकार से भारत में किसानों के लिए उपयोगी समझी जाने वाली कृषि संबंधी मशीनें और उपकरण प्राप्त हुए हैं । ये मशीनें प्रदर्शन तथा परीक्षण के लिए आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मसूर, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थापित किये गये 8 कृषि प्रदर्शन फार्म में प्रयोग के लिए सप्लाई की गई हैं । भारतीय परिस्थितियों में उपयोगी पायी गई मशीनों इत्यादि का आयात और वितरण किया गया है ।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने परीक्षण करने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न 'येन' ऋणों के अन्तर्गत जापान से उनके लिए विभिन्न किस्मों के शक्ति चालित हल और उपकरणों के आयात की व्यवस्था भी की है । इन में से कुछ हलों के देश में निर्माण के लिए लाइसेंस भी दिये गये हैं ।

विभिन्न राज्यों में फार्मों (प्रक्षेत्रों) की स्थापना

995. श्री क० प्र० सिंहदेव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरतगढ़ और जैतसर प्रक्षेत्रों के समान विभिन्न राज्यों में प्रक्षेप स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा राज्य में ऐसा कोई प्रक्षेत्र स्थापित होने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितना केंद्रीय सहायता दी जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार निकट भविष्य में उड़ीसा में ऐसा कोई प्रक्षेप स्थापित करने का विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). उड़ीसा के सम्बलपुर जिला में सूरतगढ तथा जेतसर फार्मों के नमूने पर ए.. केन्द्रीय राजकीय फार्म पहले ही स्थापित कर दिया गया है जिसका मुख्य कार्यालय झरसुगुदा में है ।

केन्द्रीय राजकीय फार्म भारत सरकार द्वारा चलाये जाते हैं और उन पर सारा खर्च केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है ।

सहकारिता आन्दोलन

996. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण ऋण योजना में कदाचारों का पता चला है जिसके परिणामस्वरूप कमजोर वर्गों में निराशा उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कमजोर वर्गों को प्रभावी सहायता देने की दृष्टि से सहकारिता आन्दोलन में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) और (ख). जहां-कहीं सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों का एकाधिकार होता है वहां कमजोर वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले उनके सदस्य सहकारी ऋण का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन समितियों में होने वाले कदाचारों में ये शामिल हैं—प्रभावशाली तथा सम्पन्न सदस्यों द्वारा ऋण के प्रमुख भाग का प्रयोग और ऋणों की मंजूरी तथा कृषि आदानों व दुर्लभ वस्तुओं के वितरण में सम्पन्न वर्गों के प्रति पक्षपात । कुछ मामलों में नए प्रार्थियों, जिनमें कमजोर वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले शामिल हैं, को सहकारी समितियो की सदस्यता भी नहीं दी जाती है। सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध मण्डल में कमजोर वर्गों से सम्बन्धित सदस्यो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जाता है ।

इन समस्याओं पर हाल ही में 12-6-68 को मद्रास में हुए मुख्य मंत्रियो और सहकारिता के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ सम्मेलन ने ये सुझाव दिए हैं —प्राथमिक सहकारी समितियों में खुली सदस्यता के सिद्धांत को पूरी तरह लागू करना, प्रबन्ध मण्डल में छोटे किसानों और कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित करना, उसी संस्था में दो से अधिक कार्यकालों के लिए और एक साथ दो से अधिक संस्थाओं में पद ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध लगाना, पदधारियों को दिए जाने वाले ऋणों का व्यवस्थापन करना और प्रशिक्षित प्रबन्ध कर्मचारियों के संवर्गों का सृजन करना। सम्मेलन ने इस बात पर भी बल दिया है कि सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं तथा कार्य-प्रणालियों को छोटे किसानों तथा समुदाय के कमजोर वर्गों की सेवा के लिए ओरिएंट करना चाहिये ।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ।

Payment of arrears of Sugarcane Price

997. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmers have not so far been paid fully by the various sugar mills in the country for the sugarcane supplied by them to the mills during the crushing seasons in 1966-67 and 1967-68 ;

(b) the names of such mills along with the amount payable by them to the farmers ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to see that the outstanding amount is paid by the mills to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing factorywise the total price of sugarcane purchased in 1967-68 by the sugar mills and cane price in arrears as on 30th June, 1968 and arrears of cane price for 1966-67 as on that date is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1453/68.]

(c) The State Governments have been asked to take stringent measures including prosecutions against the defaulting sugar mills for early clearance of arrears.

Land Ceilings Laws

998. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that land ceiling laws enacted in the various States have not been enforced so far as a result of which agricultural production is adversely affected ;

(b) whether any directive has been issued to them in this regard ;

(c) whether it is also a fact that thousands of landless farmers are finding it difficult to make both ends meet while thousand of acres of land are lying unutilised ; and

(d) if so, whether Government have issued any directive outlining the policy of allotment of land to landless farmers alongwith the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The laws relating to ceiling on land holdings have yet to be enforced in Kerala, Mysore, Orissa and the Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur and parts of Tripura. In other States, the laws which have been enacted for imposition of ceiling on holdings, are at different stages of implementation.

(b) Land reforms being a State subject, the question of the Central Government issuing a directive to State Governments does not arise. Suggestions have been made in successive Five Year Plans in regard to enforcement of ceiling on holdings. The progress was also reviewed by the Land Reforms Implementation Committee of the National Development Council which submitted its report in August, 1966. The Committee made certain recommendations for expediting implementation of provisions relating to ceiling on holdings. Attention of the State Governments has been drawn to these recommendations.

(c) and (d). The priorities for allotment of land and procedure for allotment of surplus lands have been laid down in the laws relating to ceiling on holdings and rules made thereunder. General guidelines have been set out in the successive Five Year Plans. In the settlement of surplus lands acquired as a result of the application of ceiling, tenants who have been rendered landless as a result of resumption of land for personal cultivation, farmers with uneconomic holdings and landless agricultural workers receive preference.

Communication Facilities in Rajasthan

999. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that communication facilities are not being provided in some desert and hilly areas of Rajasthan ;

(b) whether Government propose to provide these facilities particularly in respect of telephones to the residents of those areas by giving some special concessions ; and

(c) the number of telephone connections provided so far in Rajasthan and the names of places where provided and the number of applications for telephone connections under consideration ?

The Minister of the State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha later on.

Assistance for Industries in the Cooperative sector

.000. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of co-operative industries and trades in the country for which it has been decided to give assistance ;

(b) the facilities being given and the steps taken so far by Government in connection with co-operative farming in the country ; and

(c) the places where the experiments in co-operative farming are being successfully conducted and the details in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Most of the industries organised on cooperative lines are being assisted by the Government. Some of these industries are—rice mills, dal mills, sugar factories, cotton ginning and processing mills, cotton spinning mills, oil mills, jute mills, fruit and vegetables processing industries, plantation crops industries, pottery, leather goods, light engineering industries, handicrafts industries, sericulture, palm gur, cane gur and khandsari industries, handloom, power loom and coir manufacturing industries etc. This list is only illustrative and not exhaustive.

(b) The cooperative farming societies are financially assisted by Government. A joint cooperative farming society is entitled to a maxium assistance of Rs. 28,200/- and a collective cooperative farming society, of Rs. 39,100/-. Development Departments also provide assistance to cooperative farming societies for selected activities such as irrigation, soil conservation, poultry, dairying etc. Technical guidance is given to the cooperative farming societies through special staff appointed for this purpose. State and District Federations of cooperative farming societies are also assisted by Government.

(c) The Committee of Direction under the Chairmanship of Prof. D. R. Gadgil which was appointed to assess and evaluate the pilot projects of cooperative farming has observed in its report, submitted in 1965, that "as a result of the pilot projects certain areas or clusterse of potential growth have developed. These include the district of Dhulia (Maharashtra), Sambalpur (Orissa), Bhavnagar (Gujarat) and Jullundur (Punjab). Besides these areas there are certain pilot projects like Meerut (district Meerut) U. P., where with careful nursing cooperative farming is likely to develop encouragingly. In addition, there are isolated societies which have also progressed well."

पंजाब और हरियाणा में अनाज का समाहार

1001. **श्री चक्रपाणि :**
श्री वेदव्रत वरुआ :
श्री प० गोपालन :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का खाद्य निगम उस गेहूं का पूरा समाहार नहीं कर सका जिसे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देने की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम को पंजाब की मंडियों में सप्ताह में केवल तीन दिन ही गेहूं की खरीदारी करने की अनुमति दी गयी है । इस राज्य के किसानों ने इन दिनों में जितनी भी गेहूं बेचनी चाही है वह निगम द्वारा खरीदी गयी है लेकिन किस्म संबंधी निर्दिष्टयों को ध्यान में रखा जाता था । हरियाणा में राज्य सरकार गेहूं की अधिप्राप्ति कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आस्ट्रेलिया से अण्डों का उपहार

1002. **श्री चक्रपाणि :**
श्री प० गोपालन :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया में अण्डों के उत्पादक भारत को 3600 लाख अण्डों का उपहार देना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस मामले में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खुले बाजार में चीनी के मूल्य

1003. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि खुले बाजार में चीनी के मूल्य प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं जिसके कारण चीनी के निर्माताओं को चीनी की उत्पादन लागत को पूरा करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि मूल्यों में हाल ही की गिरावट के कारण बढ़ती हुई उत्पादन लागत को पूरा नहीं कर सकने के परिणामस्वरूप कुछ चीनी मिलों के बन्द होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार निर्माताओं के हितों सहित अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में चीनी निर्माताओं से परामर्श किया है और क्या इस संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हालांकि चीनी के मूल्यों में सीजन के पहले भाग के मूल्यों के मुकाबिले में कमी की प्रवृत्ति आयी है, परन्तु इस बारे में अन्तिम धारणा तभी सम्भव होगी जबकि तमाम उत्पादित चीनी की निकासी हो जाती है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ). जी नहीं।

अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन

1004. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 11 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7011 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के विभाजन और भारतीय कृषि और गवेषणा परिषद् के साथ उसके प्रस्तावित विलय के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) लोक सभा में 11 अप्रैल, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7011 के उत्तर के अनुसार कार्य वितरण के आधार पर अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के स्टाफ आदि के विभाजन के विषय में निर्णय कर लिया गया है और शीघ्र ही आवश्यक आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to matter of Urgent Public importance

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज चलाई जाने के कारण पटना मैडिकल कालेज अस्पताल की एक महिला कर्मचारी की मृत्यु तथा उससे सम्बन्धित घटनाएं

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the fallowing matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :—

"Death of a woman employee of Patna Medical College Hospital and injuries to several persons in Patna and Ranchi due to lathi charge by the Police in connection with the strike by the non-gazetted Government employees"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 18 जुलाई को संध्या के 9.15 बजे श्री छब्बा राम की पत्नी को पटना मैडिकल कालेज अस्पताल में दाखिल किया गया था । उस समय ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने उसकी तत्काल जांच की और उस के अनुसार उसे पेट का रोग था । दाखिले के समय उसकी नाड़ी की स्थिति नाजुक थी और उसकी हालत खराब थी । सभी प्रकार संभव डाक्टरी चिकित्सा देने के बावजूद 19 जुलाई को संध्या को 5.15 बजे उसकी मत्यु हो गयी । दाखिले के समय उसके शरीर पर घायल होने का कोई चिह्न नहीं था । और न ही उस समय मारपीट का कोई आरोप लगाया गया था । उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होने के कारण उसका शव उसके पति को दे दिया गया था । मृत्यु के कई घण्टे बाद श्री छब्बा राम ने मैडिकल कालेज अस्पताल के सुपरिन्टेंडेंट को मौखिक रूप से बताया कि 14 जुलाई, 1968 को उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि पुलिस ने उसे पीटा था । श्री छब्बाराम द्वारा यह आरोप लगाये जाने पर शव-परीक्षा के लिये उसकी पत्नी का शव उससे प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया । परन्तु सब-डिविजनल अधिकारी के अनुनय विनय के बावजूद शव-परीक्षा के लिये शव नहीं दिया गया । कथित मार-पीट की कोई रिपोर्ट न तो पुलिस के पास थी और न सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास दर्ज करवायी गयी थी । राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा श्री छब्बाराम की पत्नी की मृत्यु के बारे में छब्बाराम द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करवाने का निर्णय किया है । अभी जांच की कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि 20 जुलाई, 1968 को श्री बैकुंठ राम ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट, पटना के पास एक शिकायत दर्ज की थी, जिसने एक मजिस्ट्रेट को उस शिकायत की जांच करने के लिये कहा है ।

हमें प्राप्त जानकारी से यह पता नहीं चलता कि पुलिस ने पटना अथवा रांची में लाठी चार्ज किया ।

Shri Ramavtar Shastri : The strike of non-gazetted employees had started on 11th July but prior to that strike in the Medical College Hospital had started from 12 O'clock in the night of 10th July 1968. Shri Chhaba Ram, husband of the deceased had been arrested on 11th July1968. The strike was peaceful and disciplined. There was no provocation whatsoever. After the lathi charge none of the injured women were admitted to the hospital and they went home. After two days when Shri Chhaba Ram was released on bail he somehow managed to get her admitted in the Hospital as her condition had become precarious. Dr. A.K. Sen had examined her and told that she was hurt. Lathi Charge had been resorted to by Police and she died as a result thereof.

Similarly lathi charge was resorted to in Darbhanga and Ranchi and the injured people were admitted to the hospital. I want to say that the strike was peaceful. Their demands were that the dearness allowance at Central Government rates be given to them and that there should be no retrenchment. Now I want to know as to why police had resorted to lathi charge ? I would also like to know whether Government will hold a Judicial enquiry in this matter ?

Shri Vidya Charan Shukla : Similar allegations were made earlier also and we had called for the report of State Government. I have placed the Report of the state Government before the House. It is clear from the Report that woman concerned had died a natural death as a result of some abdominal disease and she was not hurt at all (*Interruptions*).

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : She had been hurt in abdomen as a result of lathi charge and she died .....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपनी बात कह रहे हैं और यदि माननीय सदस्य उस बात को सही नहीं समझते तो अन्य सदस्य उस प्रश्न पर आगे बहस कर सकते हैं। वे और प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्री महोदय की बात को गलत बता सकते हैं।

Shri Vidya Charan Shukla: My information is based on the Report received by us from the State Government of Bihar. At the time of her admission there was no complaint that she was hurt in abdomen with a lathi. When the allegations were made her body was demanded for post martem but the same was not made available by her husband. It is therefore very difficult to say precisely as to whether she died a natural death or otherwise because no post martem could be done. The State Government have refuted the charge in their report that any lathi charge was made in Patna or Ranchi.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I would like to point out that lathi charge was done on the day when husband of the deceased was sent to jail. The State authorities had instructed the hospital authorities not to issue any injury report. She was hurt in abdomen and thereby she died. Why the body of the deceased was demanded at the time of funeral procession. It could have been demanded earlier also.

The second point is that a lathi charge was made on the women employees of the Medical Hospital, Ranchi in which 6 women had been killed and 14 were injured. But this fact has been denied here. In view of this I suggest that a delegation of Members should be sent there to find out the facts.

Shri Vidya Charan Shukla : I have stated that as reported by Bihar Government there has been no lathi charge and therefore it cannot be said that any one of them was injured as a result of lathi charge.

Shri S. M. Joshi (Poona) : At present there is President's rule in Bihar and therefore Central Government is responsible for what happens there. Now there are two versions about the fact of an incident. It has been stated that body was demanded but was not given for post-martem, and the other version is that the body was demanded when the same was being taken for cremation. In view of this I would like to ask whether an enquiry committee will be appointed to find out the facts ?

It may be pointed out that a cabinet decision was taken at the time of S.V.D. Government that there should be an agreement between the Government and the non-gazetted employees about their demands. I want to know whether that decision will be implemented or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have not denied the responsibility of Government of India in the matter. We realise our responsibility. I have given the facts as reported by the existing Government machinery there.

In so far as the question of enquiry is concerned I have already stated that a private complaint was lodged with the sub-divisional Magistrate and a Magistrate is conducting a judicial enquiry into this matter. The question of some other enquiry does not arise.

I cannot say any thing about the propriety of strike of Government employees in response to this calling attention notice.

Shri S. M. Joshi : The hon'ble Minister had denied the lathi charge. This fact can be verified. I want to know whether enquiry would be conducted for this purpose.

Second point raised by me was whether present Government would implement the decisions taken by the SVD Government or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : In case a separate question about the Government servants is asked and the same is admitted, I am prepared to answer the same in detail.

Since the information furnished by the Bihar Government is correct, there is no question of conducting any enquiry.

श्री क० कृ० नायर (बहराइच) : इससे पहले जब प्रश्नकर्ता स्वयं कुछ कहना चाहता था तो आपने कहा था कि दूसरा व्यक्ति इस प्रश्न को आगे उठा सकता है । इस मामले में आप कहते हैं कि प्रश्नकर्ता को स्वयं यह बात उठानी चाहिये । इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आपकी बात को समझ लिया है । मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे बैठ जायें । इन बातों को कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : **

श्री समर गुहा (कन्टाई) : **

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई—दक्षिण) : **

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : **

अध्यक्ष महोदय : बिना सूचना दिये इस प्रकार प्रश्न उठाना बिल्कुल गलत बात है । सभी माननीय सदस्यों को नियमों का पालन करना चाहिये । यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप उन नियमों को बदल सकते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 5—आयात करने पर जिन राज्यों में विक्रय हो उन के द्वारा करारोपण—के बारे में विधि आयोग के 30वें प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1411/68]**

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 9—सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों और सहायक सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति—के बारे में विधि आयोग के 32वें प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—1411/68]**

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

भारतीय तारयंत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत 18 मई, 1968

** सभा की कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 919 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी–1412/68]

डा० राम सुभग सिंह : श्री इन्द्र कुमार गुजराल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय तारयंत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 13 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 882 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 883 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय तारयंत्र (चौथा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 15 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 940 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 941 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय तारयंत्र (पांचवा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 7 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1140 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय तारयंत्र (छठा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 13 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1141 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1413/68]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 802 जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 1967 की जी० एस० आर० 1845 में एक संशोधन किया गया ।

(दो) जी० एस० आर० 944, जो दिनांक 13 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 945 में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1414/68]

(चार) अन्तक्षत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (वहन नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 20 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 948 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) गुड़ (प्रयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 23 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 994 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) खाद्यान्न वहन प्रतिबन्ध (प्रमाणीकृत बीजों को छूट) दूसरा संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1056 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) आयात किया हुआ खाद्यान्न (अनधिकृत विक्रय निषेध) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1105 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) खाद्यान्न वहन नियंत्रण (भारत के खाद्य निगम को छूट) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1106 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 11 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1132 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1414/68]**

(दस) दिल्ली बेलन मिलें गेहूं उत्पादन (मिल पर और खुदरा) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1968, जो दिनांक 11 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1133 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 22 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1155 में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) मणिपुर खाद्यान्न (वहन) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 22 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1156 में प्रकाशित हुआ था।

(तेरह) गुड़ (प्रयोग का विनियमन) दूसरा, संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 24 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1174 में प्रकाशित हुआ था।

(चौदह) भारतीय मक्का (गुजरात में मांड के निर्माण में अस्थायी प्रयोग) आदेश, 1968 जो दिनांक 24 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1224 में प्रकाशित हुआ था।

(पन्द्रह) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (वहन नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 3 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1269 में प्रकाशित हुआ था।

(सोलह) दिल्ली, मेरठ तथा बुलन्दशहर दुग्ध उत्पादन नियंत्रण आदेश, 1968, जो दिनांक 14 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1757 में प्रकाशित हुआ था।

(सत्रह) फल उत्पाद (संशोधन) आदेश, 1968 जो दिनांक 1 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1890 में प्रकाशित हुआ था।

(अठारह) कोल्ड स्टोरेज (संशोधन) आदेश, 1968 जो दिनांक 1 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1891 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1414/68**]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1055 जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किये गये।

(दो) जी० एस० आर० 1327 जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 24 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किये गये। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1414/68**]

(तीन) (एक) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान सभा मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों की एक-एक प्रति :—

(क) पश्चिमी बंगाल भूमिसुधार (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या संख्या 1) जो दिनांक 26 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ख) कलकत्ता थिका पट्टेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम, संख्या 2) जो 26 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग) कलकत्ता थिका पट्टेदारी कार्यवाहियां रोकना (अस्थायी उपबन्ध) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम, संख्या 3) जो दिनांक 26 मार्च, 1968 के भारत के राजजत्र में प्रकाशित हुआ था।

(घ) पश्चिमी बंगाल भू-गृहादि पट्टेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 4) जो दिनांक 26 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखियें संख्या एल० टी० 1415/68**]

(दो) ऊपर के अधिनियमों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

(4) पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत वर्ष 1966–67 के लिए पशु कल्याण बोर्ड के लेखा परीक्षित लेखे की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1416/68]**

(5) पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी समिति के नियम 24 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के लिए पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण संबंधी समिति, बम्बई, के लेखापरीक्षित लेखे की एक-एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1417/68]**

(6) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(एक) खाद्य निगम (14 वां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 819 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खाद्य निगम (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 10 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 870 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1418/68]**

(7) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डागारण निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1252 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1419/68]**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : श्री स० चु० जमीर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय शिक्षता परिषद् (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1250 में प्रकाशित हुए थे । (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1420/68]**

(2) गोदी श्रमिक (नियोजना का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गोदी श्रमिक नियोजन का विनियमन)

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2384 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1421/68]**

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन, नियम 1968 की एक प्रति जो दिनांक 8 जून 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1059 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1422/68]**

(4) लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (दूसरा संशोधन) नियम 1968 की एक प्रति जो दिनांक 6 जुलाई 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1251 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1423/68]**

(5) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1967-68 के संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 1968-69 के बजट अनुमानों की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1424/68]**

(6) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) तीसरा संशोधन, नियम 1968 की एक प्रति जो दिनांक 1 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1006 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1425/68]**

(7) बिजली उपक्रमों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में दिनांक 20 जून, 1968 के सरकारी संकल्प संख्या डबल्यू बी० -15(24)167 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 1426/68]**

(8) (एक) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पश्चिमी बंगाल खनन बस्तिया (स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1964 की धारा 34 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :— **[पुस्तकाल में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1427/68**

(क) पश्चिमी बंगाल खनन बस्तियां (स्वास्थ्य तथा कल्याण) (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1967 जो दिनांक 22 सितम्बर, 1967 के कलकत्ता राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी० एच० 5565/2 आर०-1/66 भाग 1 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) खान स्वास्थ्य बोर्ड (कार्य संचालन) नियम, 1968 जो दिनांक 25 मार्च, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी० एच० 711/2 आर-1/66 भाग 4 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1427/68]

श्री मु० यूनस सलीम : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचकों का पंजीयन (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 25 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1519 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1428/68]**

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1524 की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1429/68]**

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1433 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 25 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1520 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1430/68]

बिहार राज्य के बारे में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उदघोषणा संबंधी सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION : *RE* : PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO BIHAR

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : श्री यशवन्त राव चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा बिहार राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1968 को जारी की गई उदघोषणा का अनुमोदन करती है।"

इस सम्बन्ध में सभा में बहुत कुछ कहा गया है तथा सभी जानते हैं कि आम चुनावों के पश्चात् बिहार राज्य में तीन मंत्रिमंडल और चार मुख्य मंत्री बनें। बड़े स्तर पर वहां अनेक

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

दलों के सदस्यों ने दल परिवर्तन किया तथा इसके परिणामस्वरूप वहां काफी अस्थिरता फैली। इसी कारण बिहार के अन्तिम मुख्य मंत्री ने बिहार के राज्यपाल को यह सलाह दी कि वह राज्य की विधान सभा को भंग कर दे तथा तदोपरान्त मध्यावधि चुनाव करायें। अतः अब इसी सिफारिश के आधार पर बिहार की विधान-सभा भंग कर दी गई है और वहां मध्यावधि चुनाव कराये जायेंगे। केन्द्रीय सरकार ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह प्रमुख राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श करके मध्यावधि चुनाव के लिये शीघ्रता से चुनाव का दिन निश्चित करे।

इस राज्य में नये विधान मण्डल का गठन होने तक राज्य प्रशासन का दायित्व इस संसद् का होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य समय-समय पर हमें इस सम्बन्ध में एक अच्छा और लोकप्रिय प्रशासन चलाने के लिये अपने सुझाव देते रहेंगे।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : The hon. Minister should say something regarding strike in Bihar. He may state the hurdles in accepting the demands of the employees. Are those demands reasonable or not in his opinion ?

श्री पें० वेन्कटासुब्बैया (नन्दयाल) : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय वाद-विवाद बिहार में राष्ट्रपति के शासन के बारे में हो रहा है। अतः कुछ सदस्यों द्वारा यह आपत्ति उठाई जानी कि मंत्री महोदय ने बिहार में हो रही हड़ताल के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा, कहां तक संगत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने ठीक कहा है। परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान अध्यक्ष ने कहा था कि दोनों पक्षों को इस दौरान उठाये गये प्रश्नों पर बोलने का अवसर दिया जायेगा तथा इस संबंध में जानकारी प्राप्त करायी जायेगी। अब वही बातें उठाई जा रही हैं।

Shri Madhu Limaye : The President's Rule has already been promulgated in Bihar. The hon. Minister may now throw some light on the demands of the striking employees in Bihar, and answer the queries.

Shri A. B. Vajpayee : It would have been better if the hon. State Minister had himself stated about the demands of the striking employees, and had taken the House in confidence. He wants that we should put questions, which he would like to answer. This shows that the Govt. have no interest or concern for the Bihar Government employees. Is it not the duty of the Central Goverument now to look after the Bihar employees since the President's rule has been promulgated there ?

Shri S. M. Joshi (Poona) : The hon. Minister may please say something about the strike in Bihar and thereafter, we shall put questions to be answered by him.

श्री दत्तात्रय कुन्ते (कोलाबा) : मंत्री महोदय ने बिहार में पहले से लागू राष्ट्रपति शासन के लिये सभा का अनुमोदन तो प्राप्त कर लिया है, परन्तु क्या वह इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि वह शासन अच्छा है अथवा बुरा ? अतः श्री वेन्कटासुब्बया की यह आपत्ति उचित नहीं कि बिहार

की हड़त ल के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। क्या मंत्री महोदय केवल शासन की वैधता की स्वीकृति चाहते थे पर वहां की स्थिति के बारे में भी यहां विचार विमर्श करना चाहते थे ?

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : बिहार विधान मंडल का काम अब संसद् के हाथ में आ गया है तथा संसद् के माध्यम से ही राष्ट्रपति द्वारा शासन चलाया जा रहा है। अतः इस उद्घोषणा के साथ-साथ संसद् को यह भी मालूम होना चाहिये कि बिहार में इस समय वस्तुस्थिति क्या है ? हम सब जानते हैं कि सारे प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल फैल गई है। अतः मंत्री महोदय सारी स्थिति से हमें अवगत करायें, ताकि हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह ठीक है कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की उद्घोषणा से संबंधित है और इस बारे में पूरे वाद-विवाद का भी मैं स्वागत करूंगा। माननीय सदस्यों के विचारों के बारे में मैं पूर्व कल्पना तो नहीं कर सकता।

हमें यह देखना है कि कौन सी बात कब कहनी है। हम कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम हर बात का उत्तर देना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान बिहार के राज्यपाल द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें सब कुछ बताया गया है। यदि कोई बात इसके अतिरिक्त शेष है तो माननीय सदस्य उसे उठायें और मैं उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सब से पहले तो संविधान संबंधी प्रश्न लेना है कि राष्ट्रपति के शासन से बाद भी वहां की पहली सरकार ने कुछ निर्णय लिये इस बारे में आपने स्पष्टीकरण देना है।

जहां तक हड़ताल का संबंध है, अब क्योंकि वहां का शासन आपके हाथ में है तो आप को सदन को विश्वास में लेना चाहिये क्योंकि अब यह सभा का उत्तरदायित्व है। अतः आप वहां की स्थिति को विस्तारपूर्वक बताइये। दूसरे पक्ष की यह मांग उचित है। आपको सभा को संतुष्ट करना चाहिये।

श्री विद्या चरण शुक्ल : पहली बात तो यह है कि यदि वहां की सरकार ने कोई निर्णय लिये भी हैं, तो यदि हम चाहें तो उन्हें बदल सकते हैं।

मैं मानता हूं कि मुझे सारी स्थिति का ब्यौरा देना चाहिये। केवल हड़ताल के बारे में ही नहीं प्रत्युत और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। वे सब ही बताई जायेंगी। परन्तु प्रस्ताव रखते हुए मुझ पर ऐसा करने का दबाव नहीं है।

Shri Madhu Limaye : On a point of order I and my friends had given a notice under Rule 193 seeking information about the strike in Bihar by the State Government employees, but Mr. Speaker had told us that when we were getting an opportunity during this motion why should we do it. Now before we extend our approval to the proclamation, we should know why this proclamation was promulgated and whether the earlier reasons for promulgation have been removed by the new rule. We should be told how the last Government worked as also how the present administration is going on. Only then we can give our opinion or vote.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें दो मामले हैं।

पहला, मुख्य रूप से यह है कि बिहार में वैधानिक मशीनरी क्यों नहीं कार्य कर सकी और राष्ट्रपति को क्यों उद्घोषणा जारी करनी पड़ी । यह मुख्य बात है । उद्घोषणा जारी करने और जिम्मेवारी संभालने के बाद अगर कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनकी ओर सदन को ध्यान देना जरूरी है, तो उसके बारे में तथ्य दिये जायें ; माननीय मंत्री महोदय के पास अगर कोई सूचना है तो वह दे सकते हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने पहले ही सूचना दे दी है, हम कुछ भी..... (**व्यवधान**)

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, these are non-Biharis and they are not giving chance to the people of Bihar to Speak.

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा में जो लोग निर्वाचित होकर आते हैं उन्हें हर मामले में बोलने का अधिकार है । मैं श्री विभूति मिश्र से सहमत हूं कि उन्हें कुछ कहने का मौका दिया जाये ।

श्री राणे (बुलडाना) : अगर प्रस्ताव बिना वाद-विवाद के पारित हो जाता है तब मंत्री महोदय को विवरण देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष उद्घोषणा के प्रस्ताव को रखते हुए यह आपत्ति उठाई गई है । जब प्रस्ताव रखा जा रहा था तब हाल की घटनाओं का विवरण देना जरूरी था । उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय कुछ सूचना दी थी, जिम्मेवारी लेने के बाद अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो उनके बारे में कुछ बताया जाना चाहिये । अगर ऐसा नहीं होता है तो यह ठीक नहीं है । वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन घटनाओं के बारे में उन्हें कुछ अवश्य कहना चाहिये ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस मामले में हमारी जो संवैधानिक जिम्मेवारी है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। यह सर्वविदित है कि बिहार की सरकार ने छंटनी से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की मांग को मान लिया है । जहां तक दूसरी मांगों का संबंध है, उनमें वित्तीय कठिनाइयां बाधक हैं अतः उन पर विचार किया जा रहा है । एक सवाल यह भी सामने आया है कि क्या अस्थायी राष्ट्रपति शासन काल में इस प्रकार के निर्णय लिये जाने चाहियें, जिसके कारण राज्य को आगामी कई वर्षों तक भारी व्यय उठाना पड़े ।

Shri Ramavatar Shastri : The Governor has said that there will be no retrenchment but the Employees Federation has no such information.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न श्री जोशी द्वारा उठाया गया था । यह संवैधानिक मामला है । प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय आप यह बात उठा सकते हैं ।

Shri Ramawatar Shastri : I am speaking on the other point. The S. V. D. Government had dicided on the issue of paying salary for five day's agitation and it was also d cided that there would be no transfer of leaders. But now the honourable Minister is not ready to say anything about their transfer.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा दो बजे म० प० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे (म० प०) पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रा० की० अमीन ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय जब प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तब प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा यह पूछा गया था कि क्या पिछली सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को अलग रखा जा सकता है । यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है अथवा दूसरी सरकार होने की स्थिति में क्या वे पिछली सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को पर्याप्त कारण या आधार के बिना अस्वीकार कर सकती है । मैं मंत्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय इस संवैधानिक स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल जब कभी भी भूतपूर्व सरकार कोई निर्णय लेती है तो उत्तराधिकारी सरकार बिना कोई विशेष कारण उसे बदल नहीं सकती । जब तक लिये गये इन निर्णयों के प्रति कोई विशेष आपत्ति या अभियोग न हो तब तक हम इसको बदल नहीं सकते । परन्तु हम कोशिश यही करते हैं कि मध्यवर्ती काल में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जाये जिसका प्रभाव दूरगामी हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य की समस्या की दो संभावनाएं हैं । एक तो जब संवैधानिक संकट की स्थिति आने पर राज्यपाल शासन संभाल लेता है । इस तरह की स्थिति को हमारे संविधान में कामचलाऊ व्यवस्था कहा जाता है ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : (बम्बई-मध्य) : जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक इसे कामचलाऊ सरकार नहीं कहा जा सकता । क्योंकि संविधान के अन्तर्गत इसको सब अधिकार मिले होते हैं अतः इसे कामचलाऊ सरकार नहीं कह सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक तरह की कामचलाऊ सरकार है, क्योंकि इसे जनता का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार पिछली सरकार के लिए हुए निर्णयों को रद्द कर सकती है ? राज्य में संवैधानिक मशीनरी भंग हो जाने और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर पिछली सरकार द्वारा लिए हुए निर्णय को उचित आधार के बिना रद्द नहीं किया जा सकता है । मंत्री महोदय कृपया वास्तविक आधार सभा के सामने रखें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने कोई निर्णय नहीं बदला है ।

Shri Ramavtar Shastri : It is not yet clear.

उपाध्यक्ष महोदय : इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है और अब इस पर अधिक बाद-विवाद नहीं होना चाहिए ।

श्री रा० की० अमीन (मेहसाना) : मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आम चुनाव के बाद गंगा के मैदान में उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, जिनमें पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि शामिल

यदि हम अतीत में हुई सब बातों को ध्यान से देखें तो हम पायेंगे कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने में कोई असंगत बातें की हैं। इन असंगतियों के कारण ही सरकार द्वारा यह राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है।

राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए, जयपुर में एक छोटे से उपद्रव को ही लेकर सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। परन्तु पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था के पूरी तरह भंग हो जाने पर भी और उद्योगों में 'घेरा डालो' और तरह तरह के उपद्रव के होने के बावजूद भी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू करने में बहुत विलम्ब किया। हरियाना में राष्ट्रपति शासन कोई दूसरे आधार को ले कर किया गया। वहां कहा गया कि कोई स्थायी सरकार नहीं है और हर समय दल बदलने के कारण शासन की व्यवस्था भंग हो चुकी है। बिहार में भी दल बदलने की वही प्रक्रिया चल रही थी। जब से वहां आम चुनाव हुए तब से वहां कितनी ही बार दल बदले गये और वहां मंत्री-मंडल भी बड़ा बनाया गया परन्तु सरकार ने इस आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया। बिहार में सरकार ने राज्यपाल को अपने हित के अनुसार नियुक्त किया ताकि वह मनमाने ढंग से इस प्रकार वहां परिवर्तन लाये जिससे कि कांग्रेस सरकार वहां पुनः सत्तारूढ़ हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां शोषित दल बना और उसकी अल्पसंख्यक सरकार बनाई गई। इस प्रकार यह सारा कार्य अलोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इन सबके पीछे यही उद्देश्य था कि कांग्रेस पुनः शासन की बागडोर संभाले, कांग्रेस को यह भय था कि अगर राज्यों में उनकी सरकारें न बनीं तो अगले आम चुनाव में केन्द्र में उनकी सरकार नहीं बन सकेगी। इस प्रकार अपने हितों को देखते हुए कांग्रेस ने इस प्रकार की नीतियां अपनाई।

बिहार के लोग अन्य राज्यों में सत्तारूढ़ गैर-कांग्रेसी सरकारों से सबक सीखेंगे और बिहार में एक मजबूत गैर-कांग्रेसी सरकार को सत्तारुढ़ करेंगे। बिहार में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इस से बिहार के लोगो को यह सोचने का अवसर मिलेगा कि उन्होंने किस प्रकार की गैर-कांग्रेसी सरकार को सत्तारूढ़ करना है।

मद्रास और उड़ीसा की गैर-कांग्रेसी सरकारों को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे समान विचार वाले लोगों ने मिलकर बनाई हैं। अतः वे मजबूत हैं।

केन्द्रीय सरकार को पता था कि वह बिहार में पुनः कांग्रेस की सरकार को सत्तारूढ़ नहीं करा सकती : अतः यही कारण है कि बिहार में पहले राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया।

सब से महत्वपूर्ण सबक जो हम लोगों ने लेना है वह यह है कि यदि वामपंथी साम्यवादियों के बिना मिलीजुली सरकारें बनाई जाती हैं तो लोग कांग्रेस सरकार पर उसको प्राथमिकता देंगे और यह मिलीजुली सरकार प्रशासन को दक्षतापूर्ण चला सकेगी। बिहार के लोग नहीं चाहते कि विधि व्यवस्था भंग हो और बिहार विदेशी तत्वों के समर्थकों के लिए एक अखाड़ा बने। हम यह भी जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन में दलगत प्रयोजन हेतु पुलिस का प्रयोग किया जाता है।

लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो प्रशासन को दक्षतापूर्वक चलाये और दल के लाभ के लिये पुलिस का प्रयोग न करे। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति तथा राज्यो के राज्यपालों को दलगत हितों के लिए प्रयोग कर रही है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मध्यावधि चुनाव तक राज्य में विधि व्यवस्था को बनाये रखना चाहिए और कांग्रेस को सत्तारुढ़ कराने के लिए पुलिस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि गैर-कांग्रेसी सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर सकी तो लोग कोई अन्य मार्ग निकालेंगें परन्तु कांग्रेस को सत्तारूढ़ नहीं होने देंगे।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : It will be seen in the mid-term elections in whose favour public gives its verdict. But I agree that with my hon. friend that elections should be fair and impartial and Law and Order situation should be maintained.

Law and Order situation has deteriorated in Bihar as several Governments have changed hands there during the last fifteen months. The last out-going Chief Minister, Shri Shastri recommended the Governor to impose President's rule as there was no other party to form a stable Government. Thus the Central Government had no alternative except to impose President's rule. As the hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs have said the mid-term elections should be held in or before February.

The question in regard to the demands of the non-Gazetted Government servants have been raised before the previous Governments also but they fail to solve it. Now this question has been raised before the Governor. He demanded some time to consider this matter but the non-Gazetted Government servants resolve to strike. I have full sympathy with their demands but I cannot support the way they have adopted for the fulfilment of their demands.

The Hospital Staff is not attending even to the serious patients. No Government whosoever it might be cannot tolerate such things. I would suggest that all parties should demand that such strikes specially in Hospitals should be declared as illegal.

Development work in Bihar remained stand-still for want of stable Government. I am sure the people will learn the lesson from past and return the Congress party to power with thumping majority.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह बड़े दुख की बात है कि एक अन्य राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है । इससे पूर्व पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा चुका है । यह स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । कांग्रेस के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में पृथक पृथक मापदण्ड अपनाये गये हैं। वर्तमान मामले में राज्यपाल ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करके नहीं बताया गया है ।

मुख्य मंत्री ने जो त्याग-पत्र दिया था उसमें उन्होंने राज्यपाल को सभा को भंग करने तथा तथा मध्यावधि चुनाव कराने का परामर्श दिया था। परन्तु राज्यपाल ने उनके परामर्श के अनुसार कार्यवाही नहीं की थी । राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी के नेता को आमंत्रित किया और उनसे उनके द्वारा सरकार बनाये जाने के बारे में पूछताछ की । राज्यपाल ने अन्य किसी दल से इस बारे में बातचीत नहीं की । इसका अर्थ स्पष्ट है कि राज्यपाल ने निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया । श्री भोला पासवान शास्त्री ने राज्यपाल से पुनः भेंट की और कहा कि या तो राज्यपाल सभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव की सफिारिश करें अन्यथा उनको सरकार बनाने की अनुमति दे तो राज्यपाल ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया । श्री शास्त्री के साथ उस समय भी बहुमत था । राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन के तीसरे पैरा में इस बात को स्वीकार किया है कि श्री शास्त्री सरकार बनाने की स्थिति में थे परन्तु सम्भवतः वह ऐसा कुछ दलबदलुओं तथा अन्य लोगों के समर्थन से ऐसा करते । अतः यह सिद्ध होता है कि श्री शास्त्री के साथ बहुमत था और उन्होंने केवल यह कहा था कि वह त्यागपत्र दे रहे है । जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है उसको 315 में से केवल 105 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था ।

हमारे संविधान में राज्यपाल को अपनी इच्छाओं अनुसार काम करने की अनुमति दे रखी है। यह सब से बड़ी कमी है । उसकी कार्यवाही की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । यदि राज्यपालों की नियुक्ति निष्पक्ष तथा सामान्य रूप से तथा गुणों के आधार पर की जाये तो ऐसी घटनाएं नहीं घटें । परन्तु यहां तो चुनाव के हारे व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

कुछ मामलों में राज्यपाल को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते देखा गया है । श्री अजीत प्रसाद जैन जब केरल के राज्यपाल थे तो उन्होंने ऐसा किया था ।

ऐसा भी कहा है कि संयुक्त मोर्चे की सरकारों में अनेक विचारधाराओं के लोग सम्मलित थे। मेरा कहना है कि कांग्रेस में सभी विचारधाराओं के लोग शामिल हैं ।

जहां तक बिहार में चल रही हड़ताल का सम्बन्ध है मंत्री महोदय द्वारा आज सुबह यह कहा गया है कि वहां पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया है । परन्तु श्री तिवारी, जो कि वहां से आये हैं, ने कहा कहा है कि लाठी चार्ज किया गया है । मेरा निवदेन है कि यदि समूचे मामले की न्यायिक जांच कराई जाये तो अधिक अच्छा होगा ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : All the concerned ministers are absent from the House. This is a very important matter The Hon. Home Minister should himself remain present in the House.

[गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री श्री क० एस० रामास्वामी) : वह अभी आ रहे हैं ।]

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Subhag Singh) : I have sent him a massage to come.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : During the last general elections Congress became the single largest party in the Bihar Assembly. But it could not capture 50 per cent seats. This was unfortunate. The opposition parties joined together, although there was nothing common in them, to form the Government. That did not last long as was apparent. All the parties who joined United Front Governments worked for their own selfish ends. So all the Governments of the United Fronts fell down one after the other because of their own internal differences.

Shri Bhola Paswan Shastri was asked by the parytmen not to present the resignation to the Governor. They wanted to elect new leader of the United Front. But Shri Shastri did not heed to their request and presented his resignation to the Governor. On being enquired by the Governor whether they can form the Government the Congress leader requested that he should be given some time to assess the situation. But the Government of India was of the view that it is not possible to form a stable Government in the State.

So far as the question of strike is concerned I would say that all reasonable demands of the employees should be met. The overall standard of the Society should be kept in view while considering the demands of the employees.

Government have to see general standard of the society and economic condition of the State.

In so far as the question of Gulabia Devi is concerned, it is clear fron the press report that dead body was asked for but same was not given and ultimately it stood in the way of impartial enquiry. In this connection the leader of the federation of employees said that the deceased might have been suffering from some ailment but assault by the police was also one of the factors that led to her death. He further stated that the body was not given for postmortem on the plea that Goverment would manage to have the report in its favour.

The name of Dr. A.K. Sen has been mentioned but we have to keep one thing in our mind that no doubt he is an eminent doctor but besides he is a great politician, he is a leader of Communist party.

Shri S. M. Joshi (Poona) : On a point of order, Sir, Doctor belong to a professional class and it is not proper to cast aspersions on any profession.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है और मेरे विचार में वक्ता स्वयं भी इसे स्वीकार करते हैं। परन्तु उन्होंने केवल यही कहा है कि उनके राजनीतिक सम्बन्ध भी हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डाक्टर से ज्यादा साम्यवादियों के समर्थक हैं। अतः मैं श्री जोशी के व्यवस्था के प्रश्न का समथन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को कटाक्ष नहीं करना चाहिये। सामन्यतया डाक्टर अपने कर्तव्य के प्रति सजग होता है और उसका पालन करता है मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का भी यही आशय था और उन्होंने सामान्य रूप से यह कह दिया कि उनका सम्बन्ध किसी दल विशेष से है। उनका विचार उनके व्यवसाय सम्बन्धी चरित्र पर आक्षेप करने का इरादा नहीं था।

Shri Mritunjay Prasad : In so far as the question of strike in the hospitals is concerned it is supported by only Communist Party and no one else. Moreover the patients are quite satisfied with the alternative arrangements made by the hospital authorities.

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : When Shri Bhola Paswan Shastri, the Chief Minister of Bihar had resigned, Presiden's rule was promulgated there. It was just

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Goud in the Chair]

because of the attitude of Raja Kamakhya Narain Singh that Shastri Ministry have to resign. He put certain conditions before Shri Bhola Paswan Shastri, which were not acceptable to Shri Shastri. Three Ministries and four Chief Ministers have been changed in Bihar. The Governor has also been adopting different policies towards different Ministries.

Now non-Gazetted employees of Bihar have been on strike since 11 July, 1968. They have two demands *viz.* (i) that they should be given dearness allowance at Central Government rates and (ii) that there should be no retrenchment. In spite of bumper crop in the country, prices of foodgrains have not come down and in view of this Government employees continue to face hardships. I have come to know that the federation resolved to end the

strike if Government agrees to sanction interim relief, withdraw victimisation, concede non-financial demands and finalise examination of the issues, within two months. Even this demand is not being accepted by the Governor. Government should ask the Governor to accept the demands of the State Government Employees so that strike is called off.

I would request the Government to implement the irrigation schemes formulated at the time of Mahamaya Prasad Ministry. In case Kosi and Gandak Projects are implemented, it will make Bihar not only self-sufficient but it will be in a position to supply foodgrains to other States.

I would also like to suggest that Ayyar Commission, which was looking into the conduct of former Ministers should continue to work as scheduled.

Before concluding I may point out that a serious situation has been developed in Jharkhand. Christian Missionaries are creating similar situation to that of Nagaland. The hon'ble Home Minister should pay necessary attention to this matter as soon as possible. It is understood that there are 52 secret training centres functioning in hilly areas of Ranchi in which people are being trained for Guerilla Warfare. This is very dangerous not only for Bihar but for the entire country.

I would also like to draw the attention of Government to the fact that there are many primary schools in Bihar which are without any roof. The Government should therefore make necessary arrangements to do the needful. They should also take steps to deal with the situation arising out of unemployment of Engineers.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : It has been noticed that opposition parties have always been criticising the action of the Governor wherever President's rule is imposed. The fact remains that SVD Governments could not function properly due to the differences in various constituents. It is a wrong notion that Governor of Bihar has favoured Congress. He did not give even two or three days' time to congress party to form a Ministry in Bihar. The Central Government had said that Governor's opinion would be final. President's rule in Bihar was imposed only when there was no Government in Bihar in the real sense. In fact it had become a question of law and order in that State.

In so far as the question of giving more dearness allowance to the State Government employees, the State Government want to consult the Central Government because it involves financial implications and financial position of the State is critical. The State Government employees have not given that much time to the authorities and they resorted to strike. I also want that their demands should be met but the fact remains that they do not work for more than two or three hours in a day in the Secretariat. Moreover financial position of the State is very critical. The work of Gandak Project has not yet been completed. Had this project been completed, it would have solved the food problem of North Bihar.

There is no factory in North Bihar except one sugar factory. Recently a refinary has been set up there. All other factories have been set up in South Bihar. Central Government should try to implement Gandak Project and other projects as well. It may be pointed out that *per capita* income in Bihar is very low in comparison to other States. The areas of North Bihar are the worst affected areas. The employment opportunities are rare and unemployment is increasing in these areas. It has been observed that people of other states are occupying high positions in the factories situated in Bihar but the people of state itself have to play second fiddle. It has always been the case that people of state concerned occupy high positions in factories situated in that particular State but it is not the

case with Bihar. I do not mean that only people of Bihar should occupy high positions in factories of public sector but I want to point out that there should be uniform policy for this purpose. It should not be taken for granted that there is no briliant person in Bihar. The people of Bihar should also be provided with equal opportunity of employment in other States also. Government should take steps to boost up economy of Bihar.

Shri Bhogendra Jha (Jai Nagar) : The report of the Bihar's Governor is not only impartial but it includes some wrong things also. For example, the Governor has mentioned in his report that "there have been three successive Ministries inducted into office since the General Election. Each of the Ministries has been defeated when it faced the Legislative Assembly on the very first occassion except the Ministry headed by Shri Mahamaya Prasad Sinha."

It is not true because censure motion was never passed against Bhola Paswan Government.

The Legislative Assembly has been promulgated for six months. Thus the election should be held in November and not in February as announced by the Government.

I want that the Home Minister should look into the matter and the adopting of this wrong policy should be stopped.

At present a Supreme Court Judge is making investigation regarding the Charges framed against the Six ex-Ministers. The Supreme Court has stated in its decision that *prima-facie* there is a case of investigation.

In Ranchi Adivasis are being supressed.

So far as the question of non-gazetted employees is concerned, it is true that it is causing inconvenience. The Home Minister should have complete investigation into the matter. If he gives assurance regarding the investigation, this strike may be withdrawn.

There has been a lathicharge in Ranchi. The Home Minister should personally look into the matter.

Some responsible officers from the centre should be sent to Bihar for doing work under Ayengar Commission because the officers working there are afraid of those Congress leaders who are now ministers.

The Public Accounts Committee of the State Assembly has recommended that the State Government should take over the Ashoka Paper Mills which is under crisis. The Mill has got some costly machines of about Rs. 4½ crores. If the charge of this mill will not be taken foreign exchange will be wasted in large quantity. The Central Government should look into this matter.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : It is very strange that the Governor has been criticised for making recommendation for the making imposition of President's rule in the State when even opposition leaders had admitted the failure of S.V.D. Government. The people of Bihar are fed up with Bihar Government.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The Financial position of the Bihar Government is not very sound. There is a overdraft to the extend of Rs. 40 crores. Which have been converted into loans. In Bihar the administrative expenditure is increasing. Whereas revenues are going down.

There is no extent of smuggling in our country. Goods are being sumuggled from and to Nepal and Pakistan and as a result of it the State is losing its revenue. It has become an economic problem to us. The market is full of Chinese silk, transisters and other goods. I will request the Home Minister to please stop it so that the State may not suffer loss.

It is not proper to say that the Congress Government at the Centre has discriminated with the non-Congress Government at Bihar. The fact is that this year the Central Government has given Rs. 60 crores for famine relief. Whereas relief given in similar circumstances during the Congress Government was not even half of this amount. Since the demand for a separate State is made by Assam, the demand for separate State is also in progress here. Some political elements are behind. it.

So far as the trouble in Ranchi is concerned, some Pakistani agents, political parties and missionarias are inciting the people and spreading discontent amongst them. The situation is going grave and unless it is effectively dealt with it may take a grave turn.

Before criticising Congress, the opposition should look into their own weakness.

Shri S. M. Joshi (Poona) : The situation in Bihar has so much deteriorated that the democracy cannot work there. Although I do not consider President's Rule proper in Bihar, yet sometime it is necessary for the proper administration. Hence the imposition of President's rule was a step in the right direction. Since Bihar is a broder State it is of great importance that democracy should function well there.

Although there has been so much talk of land reform and we have passed an Act, yet no progress has been made in this direction in Bihar. We have not implemented the law. Even the Deputy Chairman of the Planning Commission Shri D. R. Gadgil has said that "the land reform which affected the producer as such at the bottom the position of the tenant and the share cropper, was a thing which was found to be very much more difficult to implement than had been tought earlier". He has clearly admitted that we are still at the same position as before.

The trouble in Ranchi is a serious matter. The rights of Adivasis are not being protected and their lands have been snatched. As a result of it they are very much discontented. Justice was not provided to the Adivasis, As a result of it they organised a demonstration and four persons were killed in a firing by police.

It is a matter of great regret that no help has been provided for the families of the persons killed. The Home Minister should look into this matter the proper assistance to the member of the families of the persons killed should be provided. The promises given to them are being broken. Government should fulfil the promises given to them.

In Hatia there is a big project in which 16,000 people have been working out of which 12,000 are unskilled labour. Out of these the number of Adivasi is only 1200. The rest of the Adivasis will be out of employment whose lands have been taken over. This will be an undesirable thing.

In Bihar, there is President's rule. The Congress Government did nothing in Bihar and even the basic questions could not be solved there. Goondaism is at its extreme in Bihar. People are terrorised there.

The demands of the workers on strike are reasonable and we should discuss these demands with them and there are chances of withdrawal of strike.

The coming election should be held in a free atmosphere and there should not be any element of terror. I would again appeal that the families of the persons who have been killed should be given relief.

I agree that as far as possible there should be no strikes in hospitals. The question of Bihar should not be backed from party point of view but from national point of view. Since there is President's rule in Bihar the responsibility is yours and I hope that you will discharge this responsibility properly.

Shri Bhola Raut (Bagaha): The imposition of President's rule in Bihar is a right step in the right direction.

There were internal conflicts in S.V.D. Government and every Dal was engaged in consolidating its position which resulted in disruption of administration. Now after imposition of President's rule, people have taken a sigh of relief.

There are charges of corruption against Ministers in which not only Congress is involved. The Mandal Government has levelled charges against some of those Ministers also who are not Congressmen. When Paswan Government was formed, the concerned parties asked for file pertaining to those charges. Since their demand was not accepted, Shri Paswan did not get their cooperation and he had to resign.

The strike of hospital employees was going on peacefully and the Congress tried its best to avert this strike. But the Communist did not like it and with a view to incite the people to resort to violence they spread this rumour that a worker had died due to beating by the police. The Communist leader, Shri Chaha Ram is responsible for all these things.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । माननीय मंत्री, श्री शुक्ला के कथनानुसार यह मामला न्यायाधीन है । अतः हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये । इससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे यह मजिस्ट्रेट की जांच हो अथवा न्यायिक जांच हो, जहां तक सम्भव हो ऐसी कोई बात नहीं कही जानी चाहिये जिससे जांच के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । आज सुबह मंत्री जी ने कहा कि जांच की जा रही है और यह जब तक पूरी न हो जाय, इसके बारे में कुछ भी न कहा जाय ।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : Bihar is fifth state where there has been murder of democracy and President's rule has been imposed. The Congress Government at the Centre cannot tolerate it that non-Congress Governments function in states and therefore the Congress Government is making changes.

The policy of state Government is responsible for strike in hospitals. It is useless to blame the employees for it. So long as, they are not given better emoluments, how can you expect from them that they will work sincerely.

There is discontentment and excitement among Adivasis because their rights are not being safeguarded. The Home Minister should make an enquiry in the matter.

Government employees have been compelled to resort to strike because the Governor has refused to look into their grievances. The Home Minister should pay attention to it that

talks are held with the leaders of the employees and their demands should be sympathetically considered.

Shri Bibhuti Mishra (Motiharo): The peole in Bihar have welcomed President's rule. They have taken a sigh of relief by it.

It appears that non-gazetted employees in Bihar have been incited to resort to strike. This strike is untimely. Even then, Government should consider over their demands sympathetically. Recently, there has been a case of dacoity. Government should investigate this case

(Mr. Speaker in the Chair)
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

At the time of drought in Bihar, the United Front Government had given contracts to some people. An enquiry should be made in the matter whether these contracts were given in a proper way or not. The cases relating to Gandak Project should also be looked into.

Such persons should be appointed as Advisors to Governor of Bihar who are efficient and able. Such retired officers should not be sent there who are not efficient workers.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : बिहार राज्य में विधि-शासन विद्यमान नहीं है। वहां पर दल-बदल की अनेक घटनाएं हुई। श्री मंडल की सरकार का पतन कांग्रेस दल ने कराया। विपक्षी दलों ने भी ऐसे ही कारनामे किये हैं। यद्यपि कांग्रेस तथा अन्य दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं परन्तु वे दोनों ही इस मामले में असफल रहे हैं। किसी दल की सरकार के पतन के बाद जब दूसरे दल की सरकार बनती है तो वह पहले सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध जांच करवाती है। इस प्रकार से ठीक परम्पराएं या लोकतांत्रिक आदर्श स्थापित नहीं किए जा रहे हैं।

यह बहुत अच्छा हुआ है कि सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। इससे लोगों को स्थायी सरकार प्राप्त होगी, निर्वाचन निष्पक्ष रूप से हो सकेंगे तथा लोगों में अक्षम और भ्रष्ट शासन की समाप्ति से शंका और संदेह की भावना समाप्त होगी। हम सब आदर्शवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इस वाद और उस वाद की चर्चा करते हैं परन्तु इस बात पर कभी भी विचार नहीं करते कि साधारण जनता क्या चाहती है। साधारण लोग इन विभिन्न वादों की भाषाओं को नहीं समझते, प्रत्युत वे सक्षम, शुद्ध और न्यायसम्मत शासन की स्थापना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि मंत्रियों का आचरण इस प्रकार का होना चाहिये जिसकी ओर कोई भी अंगुली न उठा सके। आचरण न केवल ठीक होना चाहिये, बल्कि वह ऐसा होना चाहिये जिससे लोगों को दिखाई भी ठीक ही दे। उसके सम्बन्ध में किसी को शंका करने का अवसर नहीं मिलना चाहिये। मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई एक ईमानदार और देशभक्त व्यक्ति हैं। परन्तु अपने पुत्र को अपने निजी सचिव के रूप में रखने का उनका आचरण अवश्य ही ऐसा है जिस पर संदेह किया जा सकता है। यदि अपने मुख्य मंत्रित्व काल में मेरी पत्नी (श्रीमती सुचेता कृपालानी) मुझे अपना निजी सचिव नियुक्त कर लेतीं तो लोग क्या सोचते? मंत्रियों के लिये इस प्रकार का आचरण त्याज्य होना चाहिये जिससे किसी भी प्रकार के संदेह का आभास होता हो। साथ ही मैं यह आशा करता हूं कि मंत्रीगण मेरे शब्द व्यवहार पर ध्यान न देकर उनमें अन्तर्निहित मेरी भावना को समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी भी इस बात पर विचार करेंगे।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj): Sir, it is our misfortune that there is President's rule in Bihar. The Congress party is repeatedly saying that people of Bihar have welcomed the imposition of President's rule, because the SVD Government brought about boredom for them and they are tired of it.

But I want to remind Congressmen that people of Bihar celebrated the victory of SVD in 1967 elections in form of a liberation day from the Congress regime. May I know the reason why Shri Mahesh Prasad Singh being the leader of minority, went to the Governor for begging an other opportunity of making Government. This request of Shri K. B. Sahai was not acceded to. Riots and disturbances took place in Jamshedpur, Chhota Nagpur, Bhagalpur, Ranchi, Patna and Muzaffarpur and firing was ordered at every riot-torn place. It all happened during the congress of 20 years. Even then Shri K. B. Sahai says that there has been more incidents of dacoity in SVD's rule.

The SVD Government faced the famine situation boldly and honestly. Nobody was allowed to die of starvation while in Congress rule hundreds of people died as a result of starvation. It is due to the well-built bureaucratic machinery that SVD Government could not do what they should have done. These all white elephants are corrupt and they act arbitrarily in their own interest. Police officers, Magistrates, Hospital incharges, Education Officers, Cooperative Societies' Inspectors or the Agricultural Officers all are sailing in the same boat. Now the Central Government should give proper attention to this aspect of administration, as now there is President's rule in Bihar.

We should give sympathetic consideration to the demands of the non-gazetted staff of Bihar Government. The Government can spend the colossal amount on the inaugural functions *e.g.* an amount of ten lakhs of rupees was spent when Shrimati Indira Gandhi went to inaugurate the Thermal Power Station, but they have no money to be given to low salaried Government employees.

Shri Kartik Oraon (Lohardaga): Mr. Speaker, today we should consider seriously one question. Why the President has taken over the administration of Bihar in his hands and whether it is right or wrong ? In one year three Governments came into existance and dismantled on account of defections. This tendency of defection has created a bad image of political leader in the minds of people. Now they do not respect political leaders. In my opinion defected leader should not be given the opportunity of becoming the ministers. Defections will cut out the very roots of democracy in our country. It is in the national interest that we should discourage the tendency of defection. There should be only two or three big political parties instead of 15 political parties in our country. A coalition Government of 15 parties with different policies cannot be successful. This aspect should be considered seriously.

I welcome the President's rule in Bihar and I say that this step was the most appropriate action the Central Government could have taken in the prevailing atmosphere of defections, instability of Governments and uncertainty. I also want to draw the attention of Central Government to a recently formed organization, which is known by the name of Birsa Sewa Dal under the Presidentship of Lalloo Rao. All the students of the area are the members of this organization. Government should enquire into the activities of this Dal and take appropriate steps. Otherwise it will create another Nagaland problem. Government should pay due attention towards Tribes of Bihar with these words I conclude.

Shri B. P. Mandal (Madhipura) : The fact is that there was no other way out for the Governor except to recommend President's rule in Bihar. He gave three chances to form a Government but no Government could run successfully. So underthese circumstances he had to recommend for the President's rule. This was all legal.

In a democracy, the voice of the people and the public opinion is supreme. I went for election and won with a heavy majority. The public liked me, my Government and my performance. You must yield before the public opinion. So to bring discussion again and again regarding my election is not in consonance with the principles of democracy.

It is alleged that the Governor did not show any sympathy with the non-Gazetted employees. The non-gazetted employees went to the Governor after 8-10 days of the President's rule. The Governor asked for a little time to consider the case but he was not given any time. When I formed the Government, the same thing happened with me. The same demand was put before me. But I was also not given time to make efforts to redress their grievances. No agitation was made under the Government of Shri Mahamaya Prasad and Shri Bhola Shastri while the same grievances existed there. Therefore, I think that politics is being played with the non-gazetted employees and they are being provoked and agitated but this will niether helped the employees nor the country.

The clashes which took place during these 15 months have a humiliating results. Communists and Jana Sanghas are imposing allegations on each other for these clashes, and Praja Socialist Party says that both Communists and Jana Sanghas are responsible for these clashes. There was no administration in Bihar during these fifteen months. This can be seen from the records of the Bihar State that there was never such a deteriorating position of law and order before. People expected much from the SVD Government but during these fifteen months there that beautiful image has been dashed to earth. They have recognised their real image. Now in the next elections they will not come out with such a victory.

It has been said that charges have been imposed on the six Congress leaders. Bhola Shastri Government have also imposed 83 charges on the 14 S.V.D. Ministers. Enquiry should be instituted against the charges levied on the Congress leaders as well as 14 SVD Ministers.

General elections should be conducted in Bihar as early as possible. People should be given the opportunity to give their decision. It will be evident from the General elections that the action of the Governor was alright.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : बिहार के सम्बन्ध में संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का लगभग सबने स्वागत किया है। जिन सदस्यों ने इसकी आलोचना की है वे भी समझ गये होंगे कि पिछले 15 महीनों में हुई राजनीतिक घटनाओं का क्या अभिप्राय था। लेकिन सम्भवत: वे दलगत विचारों से अधिक प्रभावित थे।

जहां तक राज्यपाल का सम्बन्ध है उन्होंने इस मामले में पूर्णत: संवैधानिक रूप से कार्य किया, जैसा कि हमने देखा कि पिछले 15 महीनो में तीन सरकारों तथा चार मुख्य मंत्रियों ने बिहार में शासन किया है। बहुत छोटी-छोटी पार्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक पार्टी से दल-परिवर्तन हुए हैं। जब उदघोषणा के अन्तर्गत इस सरकार को हाथ में लिया गया था तब विधान सभा दलबदलुओं के तीन बड़े ग्रुपों के मेल से बनी हुई थी। एक बात स्पष्ट है कि ऐसी उद्घोषणा के

अन्तर्गत किसी भी राज्य के प्रशासन को हाथ में लेना स्वयं उस राज्य की अच्छी राजनीतिक स्थिति का प्रतीक नहीं है। बिहार की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक सम्बन्धित राजनीतिक दल का यह कर्त्तव्य है और उसके लिए यह चिन्ता का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ और भविष्य में हम इससे कैसे बच सकते हैं।

वर्तमान प्रशासन अन्तरिम प्रशासन है। इसे कुछ सक्रिय कार्य भी करने होंगे।

रांची जिले के आदिवासियों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इस पर बड़ी सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस समस्या की गम्भीरता को मैं स्वीकार करता हूं। यह भूमि और बेरोजगारी की समस्या है। मैं इस मामले पर बिहार प्रशासन के साथ विचार-विमर्श करूंगा और देखूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

यह कहा गया है कि चुने गये सलाहकारों में से कुछ काफी वृद्ध हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वे इतने वृद्ध नहीं हैं। यह भी सच नहीं है कि उनमें से कुछ देख नहीं सकते या अंधे हैं। सम्बन्धित सलाहकार वरिष्ठ व्यक्ति हैं। वे एक बार बिहार के मुख्य सचिव थे। जब हमें वरिष्ठ अधिकारियों में से सलाहकार चुनने होंगे तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को ही चुनना होगा और जो व्यक्ति वरिष्ठ नहीं है उसे राज्यपाल को सलाह देने के लिए कैसे कहा जा सकता है। दूसरे सलाहकार यहां से वहां भेजे गये हैं। वह तकनीकी व्यक्ति हैं और एक अच्छे कारगर ढंग से कार्य करने वाले अधिकारी हैं। वह देश के एक प्रमुख और प्रसिद्ध इंजीनियर हैं। वह सी० डब्ल्यू० पी० सी० के चेयरमैन थे। जिस व्यक्ति ने जीवन भर इस प्रकार प्रशासन में कार्य किया है वह निश्चय ही इस कार्य के लिए योग्य व्यक्ति है।

बिहार के प्रशासन में सुधार करना होगा। लोगों में विश्वास फिर से जागृत करना होगा। लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा और इसके लिए सभा के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी।

अराजपत्रित अधिकारियों के साथ हम सबकी सहानुभूति है। उनकी समस्यायें हैं। उन पर ध्यान देना होगा। आश्चर्य की बात है कि राज्यपाल के शासन सम्भालने के कुछ दिनों के अन्दर ही लोगों ने हड़ताल करने की अन्तिम चेतावनी दे दी। कार्यभार सम्भालने के तीन दिन के अन्दर ही क्या राज्यपाल अथवा उसके सलाहकार ऐसा निर्णय कर सकते हैं जिससे मूलतः राज्य के वित्तीय स्थायित्व पर प्रभाव पड़ेगा?

राज्यपाल का प्रशासन सक्रिय होना चाहिये। लेकिन उनको अत्यधिक मूल वैधानिक कार्यक्रम नहीं करने चाहियें और उनको महत्वपूर्ण करों सम्बन्धी प्रस्ताव भी नहीं करने चाहियें। इन दो कार्यों के अतिरिक्त उन्हें प्रत्येक कार्य करना है। वे पुराने निर्णयों को बेकार कर सकते हैं, नये कार्यक्रम, नई नई नीतियां कार्यान्वित कर सकते हैं।

राज्यपाल ने हड़ताल बन्द करने के लिए तथा बैठ कर विचार-विमर्श करने के लिए लोगों से आग्रह किया है।

बिहार के अराजपत्रित अधिकारियों को हड़ताल वापिस लेनी चाहिये और राज्यपाल को समस्या पर नये सिरे से विचार करने के लिए अवसर देना चाहिये। राज्यपाल ने कहा है कि वे इस मामले में प्रतिकारात्मक रुख नहीं अपनायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : लाठी-चार्ज के विषय में एक प्रश्न उठाया गया था। इस सम्बन्ध में जांच कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इस पर गौर करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 जून, 1968 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा 26 जुलाई, 1968 4 श्रावण, 1890 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock, July 26, 1968/Sravana 4, 1890 (Saka)

GMGIPND—LSIII—1780LSD—1-2-69—600